सरल हिन्दी व्याकरण

भाग—3

SARAL HINDI VYAKARAN

Part—3

BY

S. R. SASTRI, M.A.

प्रकाशक

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा

मद्रास

PREFACE

This book, the third part of Saral Hindi Vyakaran, is presented to the public as one more addition to the list of useful guides. The requirements of the Matriculation and Intermediate Examinations of the University of Madras, and the Rashtrabhasha and Praveshika examinations of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras, have been kept in view, in the preparation of this book.

The book is divided into four broad divisions—Section I dealing with rudimentary grammar, Section II giving model essays, Section III giving model passages for translation and Section IV giving model questions.

The book is the outcome of the long experience of Late Sri S. R. Sastri, M.A.

PUBLISHERS

विषय-सूची

पहला हिस्सा : व्याकरण

दूसरा हिस्सा : निबन्ध-रचना

पृष्ठ

तीसरा हिस्सा

चौथा हिस्सा

पहला हिस्सा

1. शब्द-विचार - Etymology

अ. कानों से जो सुन पड़े उसे ध्वनि कहते हैं। एक, दो या कई अक्षरों की सार्थक ध्वनि को 'शब्द' कहते हैं। पानी, दूध, माता, पिता आदि सार्थक शब्द हैं। पशु-पक्षियों की बोली के शब्द निरर्थक हैं, क्योंकि इनका कुछ अर्थ नहीं है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रतिपादन किया जाता है।

आ. शब्द आठ प्रकार के हैं :—

1. संज्ञा - **Noun** 2. सर्वनाम - **Pronoun** 3. विशेषण - **Adjective** 4. क्रिया - **Verb** 5. क्रियाविशेषण - **Adverb** 6. संबन्धसूचक - **Post-Position** 7. समुच्चयबोधक - **Conjunction** 8. विस्मयादिबोधक - **Interjection.**

संज्ञा : किसी वस्तु, स्थान, भाव या मनुष्य के नाम को बतलानेवाला शब्द संज्ञा है। जैसे : **आम, मद्रास, मिठास, राजगोपाल।**

सर्वनाम : संज्ञा के बदले प्रयुक्त होनेवाले विशेष शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे : **मैं, हम, वह, वे।**

विशेषण : जो किसी वस्तु का गुण बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे : **काला, गोल, अच्छा।**

क्रिया : क्रिया उस शब्द को कहते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट हो। जैसे : **हूँ, पढ़ना।**

क्रियाविशेषण : जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे : **धीरे, जल्दी।**

संबन्धबोधक : जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर अपना वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताएँ, वे संबन्धबोधक कहलाते हैं। जैसे : पुस्तक मेज़ के **नीचे पड़ी है।** यहाँ 'नीचे' शब्द संबन्धबोधक है ; क्योंकि यह 'पुस्तक' और 'मेज़' इन शब्दों के पारस्परिक योग, संबन्ध को सूचित करता है।

समुच्चयबोधक : जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्य-खण्ड़ों को जोड़कर उसका पारस्परिक योग या पृथकत्व सूचित करता है, वह 'समुच्चयबोधक' शब्द है। जैसे : **राम और लक्ष्मण वन से आये। सच बोलना या तप करना दोनों एक ही है।**

विस्मयादिबोधक : जिन शब्दों से बोलनेवाले के मन के आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का ज्ञान होता है, वे विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। जैसे : **ओ ! आह ! बाप रे ! हाय हाय ! छिः ! छिः ! वाह ! वाह !**

अभ्यास

1. शब्द किसे कहते हैं ? उसके भेद लिखिये।
2. विशेषण और क्रियाविशेषण में क्या अंतर है ?

2. संज्ञा - Noun

संज्ञाएँ तीन प्रकार की होती हैं—

व्यक्तिवाचक - **Proper Noun,** जातिवाचक - **Common Noun,** और भाववाचक - **Abstract Noun**

जिस संज्ञा से एक विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, उसे **व्यक्तिवाचक संज्ञा** कहते हैं। जैसे: **कृष्णमूर्ति, मद्रास, कावेरी, ताजमहल** आदि।

जिस संज्ञा से संसार की एक जाति के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, **उसे जातिवाचक संज्ञा** कहते हैं। जैसे: **पुस्तक, आदमी, घोड़ा, लोहा** आदि। 'पुस्तक' **जातिवाचक संज्ञा** है, क्योंकि संसार में जितनी पुस्तकें हैं, उन सबको पुस्तक ही कहते हैं: लेकिन 'रामायण' व्यक्तिवाचक हैं।

जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार आदि जाने जाते हैं, उसे **भाववाचक संज्ञा** कहते हैं। जैसे: **मिठास, चोरी, लड़कपन** आदि।

भाववाचक संज्ञाएँ निम्नलिखित शब्दों से बनती हैं—

1. **संज्ञा से—बच्चा - बचपन, मनुष्य - मनुष्यत्व**
2. **विशेषण से—चौड़ा - चौड़ाई, बूढ़ा-बुढ़ापा, मीठा - मिठास**
3. **क्रिया से—बनाना - बनावट, दौड़ना-दौड़, बहना - बहाव, बचाना - बचाव**

अभ्यास

1. संज्ञा किसे कहते हैं?
2. संज्ञा के कितने भेद हैं? उदाहरण देकर बताइये।
3. व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में क्या अन्तर है?
4. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
5. भाववाचक संज्ञाएँ किन-किन शब्दों से बन सकती हैं?

3. संज्ञाओं के रूपांतर

लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञाओं के रूपों में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें 'संज्ञाओं के रूपांतर' कहते हैं। जैसे: लड़का लाता है, लड़की लाती है। यहाँ लिंग के कारण 'आ' 'ई' हो जाता है।

लड़का दौड़ता है। लड़के दौड़ते हैं। यहाँ वचन के कारण परिवर्तन हो जाता है। घोड़ा लाओ, घोड़े पर चढ़ो। यहाँ 'पर' के संयोग के कारण 'आ' 'ए' हो जाता है।

लिंग - Gender

संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति (Sex)—पुरुष या स्त्री—का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं।

हिन्दी भाषा में दो ही लिंग हैं—**पुल्लिग** - Masculine और स्त्रीलिंग Feminine. जिस शब्द से किसी पुरुष या नर का बोध हो, उसे पुल्लिग कहते हैं। जैसे: **लड़का, बैल, घोड़ा** आदि।

जिस शब्द से किसी स्त्री का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे: **लड़की, गाय, घोड़ी** आदि। **नपुंसक लिंग** - Neuter gender हिन्दी भाषा में नहीं होता।

प्राणिवाचक शब्दों के लिंग की पहचान आसान है। जैसे: लड़का (पु.), लड़की (स्त्री.), बैल (पु.), गाय (स्त्री.), आदमी (पु.), औरत (स्त्री.)।

अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग की पहचान कुछ कठिन है। इसका बोध अभ्यास से ही हो सकता है। नीचे कुछ नियम दिये जाते हैं।

पुल्लिग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम

1. कुछ पुल्लिग शब्दों के अन्त में आनेवाले 'अ' या 'आ' के स्थान में 'ई' लगा देने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे :—**पुत्र-पुत्री ; लड़का-लड़की ; दादा-दादी।**

2. कहीं-कहीं शब्दों के अन्त के 'आ' को 'अ' कर देने से पुल्लिग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे : **भैंसा** he-buffalo- **भैंस** - she-buffalo ; **भेड़ा**-he sheep **भेड़**-she sheep.

3. कुछ अकारान्त पुल्लिग शब्दों के अन्त में 'नी' लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे : **शेर-शेरनी ; मोर-मोरनी ; ऊँट-ऊँटनी।**

4. कुछ शब्दों के अंतिम स्वर—vowel का लोप करके स्त्रीलिंग में 'इन' जोड़ देते हैं। जैसे : **लोहार-लोहारिन ; धोबी-धोबिन ; तेली-तेलिन।**

5. कुछ पुल्लिग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिलकुल भिन्न होते हैं। जैसे : राजा-रानी ; बैल-गाय ; भाई-बहन ; बाप-माँ ; ससुर-सास ; मियाँ-बीबी ; साहब-मेम।

6. जिन शब्दों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं, उनके पहले नर या मादा शब्द लगाकर लिंग-भेद माना जाता है।

जैसे : नर भेड़िया - he wolf ; **मादा भेड़िया** - she-wolf ; **नर चील** - male kite ; **मादा चील** - female kite.

वचन - Number

शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। हिन्दी में दो वचन हैं—एकवचन singular और बहुवचन - plural । एकवचन से एक ही वस्तु का बोध होता है, जैसे : लड़का, पुस्तक, घोड़ा । बहुवचन से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, जैसे : लड़के, पुस्तकें, घोड़े ।

बहुत-से शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक-से रहते हैं। क्रिया, विशेषण या संदर्भ से इनका वचन जाना जाता है। जैसे : आदमी खाता है (एकवचन) ; आदमी खाते हैं (बहुवचन) । अच्छा बैल (एकवचन) ; अच्छे बैल (बहुवचन) । पहले वाक्य में क्रिया से, और दूसरे वाक्य में विशेषण से, वचन का निर्णय होता है।

बहुवचन बनाने के नियम

विभक्ति रहित शब्दों का बहुवचन

1. कहीं कहीं अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों; के 'अ' को 'एँ' कर देते हैं। जैसे : गाय-गायें ; रात-रातें ; बहन-बहनें ।

2. अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त में बहुवचन बनाने के लिए 'एँ' लगा देते हैं। जैसे : माला-मालाएँ ; माता-माताएँ ; कथा-कथाएँ ।

3. ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों को इकारान्त करके उनके अन्त में 'याँ' जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे: लड़की-लड़कियाँ ; नदी-नदियाँ ; टोपी-टोपियाँ ।

4. आकारान्त पुल्लिग शब्दों के 'आ' को 'ए' कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे: लड़का-लड़के ; घोड़ा-घोड़े ; कपड़ा-कपड़े ; लोटा-लोटे ।

कारक - Case

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। कारक के समुचित प्रयोग के बिना वाक्य का अर्थ साफ़-साफ़ प्रकट नहीं होता। शिकारी ने हिरन को तीर से मारा—इस वाक्य में तीन संज्ञा शब्द हैं। शिकारी, हिरन और तीर। ये तीनों शब्द भिन्न-भिन्न कारकों में हैं। पहले शब्द में 'ने' विभक्ति है, दूसरे में 'को' और तीसरे में 'से' है। इन विभक्तियों के प्रयोग के बिना शब्दों का पारस्परिक संबंध समुचित रूप से नहीं जाना जा सकता है। 'शिकारी हिरन तीर मारा'—यहाँ कर्ता, कर्म और करण कारकों के बोधक न होने के कारण यह निरर्थक होता है। कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ 'को', 'ने' आदि जो चिह्न लगाये जाते हैं, उन्हें विभक्ति प्रत्यय case-endings कहते हैं। विभक्ति सहित शब्द 'पद' कहलाता है।

हिन्दी में आठ कारक होते हैं। इन आठ कारकों के नाम और विभक्ति-प्रत्यय यों हैं—

कारक	विभक्ति-प्रत्यय
1. कर्ता	ने
2. कर्म	को
3. करण	से
4. संप्रदान	को, के लिए
5. अपादान	से
6. संबन्ध	का, के, की
7. अधिकरण	में, पर
8. संबोधन	हे, अरे, अजी, अहा

1. कर्ताकारक - Nominative :—

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करनेवाले का बोध होता है, उसे 'कर्ताकारक' कहते हैं।

उदा०—गोपाल लिख रहा है। राम कहाँ है? मैंने पुस्तक पढ़ी है। यहाँ गोपाल, राम और मैंने—कर्ता हैं।

2. कर्मकारक - Accusative :—

जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को 'कर्मकारक' कहते हैं।

उदा०—राम ने ख़त लिखा। मैंने गोपाल को मारा। कर्मकारक का चिन्ह 'को' है। पर बहुधा अप्राणिवाचक कर्म के साथ 'को' का लोप हो जाता है।

3. करणकारक - Instrumental :—

क्रिया के साधन का बोध करानेवाले संज्ञा के रूप को 'करणकारक' कहते हैं। इसकी विभक्ति 'से' है।

उदा०—राम ने रहीम को लाठी से मारा। मैं क़लम से लिखता हूँ।

4. संप्रदानकारक - Dative :—

जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, उसका बोध करानेवाले संज्ञा के रूप को 'संप्रदान-कारक' कहते हैं। जिसके चिह्न 'को' और 'के लिए' हैं।

उदा—माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है। राम ने सीता को एक घड़ी दी।

5. अपादानकारक - Ablative :—

वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, उसे 'अपादानकारक' कहते हैं। इसकी विभक्ति भी 'से' है।

उदा० पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। मैं पाठशाला से आ रहा हूँ।

6. संबन्धकारक - Possessive :—

संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबन्ध प्रकट हो, वह 'संबन्धकारक' कहलाता है। इसकी विभक्ति 'का, के, की' है।

उदा०—यह ज़मींदार का घोड़ा है। यह राम की पुस्तक है।

7. अधिकरणकारक - Locative :—

जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी क्रिया का आधार हो उसे 'अधिकरणकारक' कहते हैं। इसके चिह्न 'में' और 'पर' हैं।

उदा०—राजा महल में सो रहा है। बंदर पेड़ पर बैठा है।

8. संबोधनकारक - Vocative :—

संज्ञा के जिस रूप के द्वारा कोई किसीको पुकारता है, उसे 'संबोधन कारक' कहते हैं।

उदा०—अरे मोहन! तू क्या कर रहा है? हे नाथ! दया करो। अरे छोकरे! तू कहाँ नौकरी करता है?

अभ्यास

1. लिंग किसे कहते हैं? हिन्दी में लिंग कितने हैं?
2. पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कौन-कौन से नियम हैं? —उदाहरण सहित लिखिये।
3. नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिये :—
   राजा, चील, भाई, बेटा, बैल भैंसा, साहब।
4. वचन किसे कहते हैं? हिन्दी में कितने वचन होते हैं?
5. जिन शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक-से रहते हैं, उनका वचन कैसे जाना जाता है?
6. बहुवचन बनाने के कुछ नियम लिखिये।

7. इनके बहुवचन के रूप लिखिये—घोड़ा, नदी, माला ।
8. इनके एकवचन के रूप लिखिये—गायें, टोलियाँ, लोटे ।
9. कारक किसे कहते हैं ? हिन्दी में कितने कारक हैं ? उनके प्रयोग बताइये ।
10. कर्मकारक और संप्रदानकारक में क्या अन्तर है ? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिये ।
11. करण और अपादानकारकों में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर समझाइये ।

4. सर्वनाम - Pronoun

एक ही शब्द (संज्ञा) को किसी वाक्य में बार-बार दोहराना भद्दा मालूम होता है। अतः उसे बार-बार न दोहराकर उसके स्थान दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं।

सर्वनाम छः प्रकार के होते हैं :—

1. पुरुषवाचक - Personal— मैं, हम (उत्तम पुरुष - first person) तू, तुम, आप (मध्यम पुरुष - Second person) वह, वे, यह, ये (अन्य पुरुष - Third person).

2. निजवाचक - Reflexive—जो अपनी ओर संकेत करे। जैसे :—आप, खुद, स्वयम् ।

3. निश्चयवाचक - Demonstrative—जो निकट या दूर की वस्तु को सूचित करे। जैसे :—वह, यह, वे, ये ।

4. संबन्धवाचक -Relative—जो वाक्य में शब्दों का पारस्परिक संबन्ध बतलाएँ। जैसे :—जो, सो।

5. प्रश्नवाचक - Interrogative—जिससे प्रश्न सूचित होता हो। जैसे :—कौन, क्या।

6. अनिश्चयवाचक - Indefinite—जो किसी अज्ञात और अनिश्चित पुरुष या वस्तु को सूचित करे। जैसे :—कोई, कुछ।

अभ्यास

1. सर्वनाम किसे कहते हैं ?
2. सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ?
3. प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिये।

5. विशेषण - Adjective

जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण प्रकट हो, उसे विशेषण कहते हैं।

उदा०—काला साँप, मोटा आदमी।

विशेषण के मुख्य चार भेद हैं।

1. गुणवाचक - Adjective of quality : उदा०—पेड़ पर एक लाल चिड़िया बैठी है।

2. संख्यावाचक - Adjective of number : उदा०—इस वर्ग में चालीस विद्यार्थी हैं।

3. परिमाणवाचक - Adjective of quantity : उदा० मुझे थोड़ा दूध पिला दो।

4. सार्वनामिक-विशेषण - Demonstrative Adjective-
उदा०—यह घोड़ा नहीं चाहिए। वह पुस्तक पढ़ो।

अभ्यास

1. विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिये?
2. विशेषण कितने प्रकार के होते हैं?

6. क्रिया - Verb

वाक्य में जिस शब्द के द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उदा०—राम पढ़ता है। यहाँ 'पढ़ता है' क्रिया है। क्रिया के मुख्य दो भेद हैं:— **सकर्मक** Transitive और **अकर्मक** Intransitive।

जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, उसे 'सकर्मक क्रिया' कहते हैं। रहीम ने भैंस को मारा—इस वाक्य में 'मारा' शब्द क्रिया है। इस क्रिया का कर्ता 'रहीम' है और इस क्रिया का फल भैंस पर पड़ी है। इसलिए यह क्रिया सकर्मक है।

जिस क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता में रहे, उसे 'अकर्मक क्रिया' कहते हैं। गोपाल पाठशाला गया—इस वाक्य में 'गया' क्रिया है। उसका कर्ता 'गोपाल' है। पाठशाला जाने का फल 'गोपाल' ही पर पड़ता है। इसलिए इसमें 'गया' जो क्रिया है, वह अकर्मक है।

अ. प्रेरणार्थक

जब किसी कार्य को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से कराता है, उस समय क्रिया का रूप कुछ परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्रिया के बदले हुए रूप को **प्रेरणार्थक क्रिया - Causative Verb** कहते हैं। राम गोपाल से समाचार-पत्र **पढ़वाता है**—इस वाक्य में 'पढ़वाता है' प्रेरणार्थक क्रिया है, राम प्रेरक कर्ता है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए साधारणतया धातु के अन्त में 'आना' या 'वाना' लगा देते हैं। उदा०—बनना (अकर्मक), बनाना (सकर्मक) बनवाना (प्रेरणार्थक)

आ. काल - Tense

क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय जाना जाए—उसे **काल** कहते हैं। काल के तीन भेद हैं—1. **वर्तमान काल** Present Tense. 2. **भविष्यत् काल** - Future Tense. 3. **भूतकाल** - Past Tense.

इ. वाच्य - Voice

हिन्दी में तीन वाच्य होते हैं:—1. **कर्तृवाच्य** - Active Voice ; 2. **कर्मवाच्य** - Passive Voice। 3. **भाववाच्य**- Impersonal Voice। **राम ने रोटी खायी** (कर्तृवाच्य)। **राम से रोटी खायी गयी।** (कर्मवाच्य) **राम ने लड़की को देखा** (कर्तृवाच्य)। **राम से लड़की देखी गयी** (कर्मवाच्य)। **मैं नहीं बैठता हूँ** (कर्तृवाच्य)। **मुझसे बैठा नहीं जाता**

(भाववाच्य)। मैं नहीं सोता हूँ। (कर्तृवाच्य)। मुझसे सोया नहीं जाता (भाववाच्य)।

अभ्यास

1. क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइये।
2. क्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं?
3. प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? उसका प्रयोग कब होता है?
4. हिन्दी में कितने काल होते हैं?
5. हिन्दी में कितने वाच्य होते हैं?

7. क्रियाविशेषण - Abverb

जो शब्द क्रिया के अर्थ की कोई विशेषता बताए, उसे क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे :—राम खूब सोता है। गोपाल बहुत खाता है। मैं यह काम कल करूँगा। सीता बाहर गयी। तुम यहाँ कैसे आये?

8. संबन्धसूचक - Post-position

जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबन्ध किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट करे, उसे संबन्धसूचक कहते हैं। जैसे :—गोपाल घर के भीतर बैठा है। राम पेड़ के नीचे खड़ा है। पहले वाक्य में गोपाल और घर का संबन्ध 'भीतर' शब्द के द्वारा दिखलाया गया है। दूसरे वाक्य में राम और पेड़ का संबन्ध 'नीचे' शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। ऊपर, नीचे, बाहर, अन्दर पास आदि संबन्धसूचक शब्द हैं। अक्सर संबन्धसूचक शब्दों के पहले संबन्धकारक विभक्तियाँ आती हैं। जैसे :—मेज़ के नीचे; घर की ओर; गोपाल के पास।

9. समुच्चयबोधक - Conjunction

दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलानेवाले अव्यय-Indeclinable को समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे—गोपाल और करीम पढ़ते हैं। तुम जोओगे या मोहन जाएगा ?

10. विस्मयादिबोधक - Interjection

जिन शब्दों से वक्ता के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा ग्लानि आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे :—हा-हा ! वाह वाह ! जय ! शाबाश ! राम ! बापरे ! आदि।

11. शब्द के भेदों में परिवर्तन

हिन्दी भाषा में कुछ शब्द, प्रयोग के अनुसार भिन्न-भिन्न शब्द-भेदों में आते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :—

अच्छा : संज्ञा—अच्छों से मिलकर प्रसन्नता होती है।
विशेषण—अच्छे आदमियों से मिलना चाहिए।
क्रियाविशेषण—वह अच्छा गाता है।

और : संज्ञा—औरों की बात जाने दीजिये।
विशेषण—थोड़ी देर में और आदमी आ गये।
समुच्चयबोधक—राम और रहीम में दोस्ती है।

कोई : सर्वनाम—अभी कोई आया था।
विशेषण—कोई पुस्तक दो।
क्रियाविशेषण—इसमें कोई सौ पृष्ठ हैं।

क्या : सर्वनाम—राम ने आपसे क्या कहा ?
विशेषण—उन्होंने आपसे क्या बात कही ?
क्रियाविशेषण—ये घोड़े चलते क्या हैं, उड़ रहे हैं।
समुच्चयबोधक—क्या स्त्री, क्या पुरुष—सबको लड़ाई के मैदान में जाना चाहिए।

हाँ : संज्ञा—मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ।
विस्मयादिबोधक—हाँ, हाँ ! कहाँ घुसे जाते हो ?
क्रियाविशेषण—हाँ, मैं यहीं रहता हूँ।

12. लोकोक्तियाँ - Proverbs

1. ईद के चाँद होना: (दुष्प्राप्य होना)—राम और रहीम में बड़ी मित्रता थी। वे प्रतिदिन एक दूसरे से मिला करते थे। एक बार कई सप्ताह तक रहीम न मिला, तो राम ने कहा—"आप तो ईद के चाँद हो गये !"

2. आग लगे तब खोदे कुआँ: (विपत्ति के उपस्थित होने पर उसका प्रतिकार सोचना)—गोपालदास साल-भर तो खेलता रहा; जब परीक्षा सिर पर आ गयी, तो पढ़ने बैठा। उसके भाई नें कहा—"आग लगे तब खोदे कुआँ !"

3. हवन करते हाथ जलना : (भलाई के बदले बुराई)—सेठजी ने हैजे से पीड़ित मनुष्यों की सेवा की। उनको स्वयं हैजा हो गया, तो लोग कहने लगे कि "हवन करते हाथ जल गया।

4. कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर : (परिस्थिति का पलट जाना—समय पर प्रत्येक को एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती है)—पं. नारायणजी मोटर पर जा रहे थे। रास्ते में उनकी मोटर बिगड़ गयी। बेचारे को मोटर ढकेलकर लानी पड़ी। उनके एक मित्र ने कहा, "कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर"!

5. कुआँ प्यासे के पास नहीं जाता : (जिसको गरज़ होती है, वही दूसरे के पास जाता है)—गोपाल ने अपने दोस्त से कहा, "भाई, तुम्हारी इस पुस्तक को मैं पढ़ना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे घर पर दे जाना!" इसे सुनकर दोस्त ने कहा—"अजी! कुआँ प्यासे के पास नहीं जाता!"

6. लकड़ी के बल बंदरिया नाचै : (दण्ड के भय से आदमी सभी कुछ कर देता है)—रवींद्र का कार्य बड़ा असन्तोष-जनक था। कल साहब ने उसको बुलाकर निकाल देने की धमकी दी है। अब तो रवींद्र रात-दिन काम में लगा रहता है। कहा भी है कि "लकड़ी के बल बंदरिया नाचै!"

7. चिराग़ तले अंधेरा : (जहाँ संभावना न हो, वहाँ भी अंधकार होना, अर्थात् बड़े आदमियों से भूल हो जाना)—मोहन ने कहा—"आप इतने बड़े विद्वान होकर भी ऐसी भूल करते हैं।" गोपाल ने कहा—"आश्चर्य ही क्या है? क्या चिराग़ तले अंधेरा नहीं होता?"

8. मरी गाय बामन के हाथ : (निकम्मी चीज़ का दान देना)—श्रीनिवास ने अपना फटा कपड़ा सेवासमिति को दान,

देना चाहा । मंत्रीजी ने कपड़े को देखा, तो हँसकर कहा, " मरीदे गाय बामन के हाथ ! "

9. हीरे की परख जौहरी जाने : (गुणी ही गुण को पहचान सकता है)—रामानुजम के गाने सुनकर गवैया शारंगपाणि तो खुश हो गया। पर मूर्ख गोपाल की समझ में कुछ न आया ; क्योंकि "हीरे की परख तो जौहरी ही जाने । "

10. हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और : (कहना कुछ, करना कुछ; दूसरे को धोखा देना ।)

रहीम ने कहा—तुम्हारे नेता बड़े अजीब आदमी हैं ।

गोपाल ने कहा—क्यों, तुमने क्या बात देखी ?

रहीम—भाई, जब राजनीति के बारे में व्याख्यान देने जाते हैं, तो सिर से पैर तक सफेद खादी पहनते हैं । मैं कल उनके घर पर गया था, तो उनको विलायती कपड़े पहने देखा ।

गोपाल—तुम यह नहीं जानते कि हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और होते हैं ।

दूसरा हिस्सा

निबन्ध-रचना

Essay-writing

A short literary composition on any subject is called an essay. हिन्दी में यों कह सकते हैं—किसी विषय पर अपने भावों के पूर्णरूप से, क्रमानुसार लिपिबद्ध करना 'लेख' कहलाता है। लेख को 'प्रबन्ध' या 'निबन्ध' भी कहते हैं। विषय के अनुसार लेख तीन प्रकार के होते हैं—वर्णनात्मक - **Descriptive,** विवरणात्मक - **Narrative,** और विचारात्मक - **Reflective. 1. Description of a thing or place is called** वर्णनात्मक निबन्ध **or Descriptive Essay. 2. Narration of a historical or supposed event is called** विवरणात्मक निबन्ध **or Narrative Essay. 3. In** विचारात्मक निबन्ध **or Reflective Essay some abstract sub, ject is expouned ; as for instance,** मेहरबानी - **Kindness-** नम्रता - **Humility,** मित्रता - **Friendship, etc.**

हिन्दी में हम यों कह सकते हैं:—1. बहुत-सी चीज़ें ऐसी हैं, जिनको हमने आँखों से देखा है और जिनके बारे में हम बहुत-कुछ जानते हैं, जैसे, जानवर, पेड़, इमारतें आदि। इनका वर्णन बहुत कठिन नहीं होता, और जो लेख ऐसे विषयों पर लिखे जाते हैं, उन्हें 'वर्णनात्मक निबन्ध' कह सकते हैं; क्योंकि जो कुछ हमने देखा है, उसीका वर्णन करते हैं। 2. कुछ बातें

ऐसी हैं, जिनका वर्णन समय के आगे-पीछे के हिसाब से होता है, जैसे किसीका जीवन-चरित्र या कोई इतिहास की बात। ऐसे लेखों को 'विवरणात्मक निबन्ध' कह सकते हैं; और इनको लिखना वर्णनात्मक लेखों से कुछ कठिन है, क्योंकि इनके बारे में अपनी भी सम्मति प्रकट करनी पड़ती है। 3. बहुत-से विषयों पर अपने मन ही से सोचकर लेख लिखना पड़ता है, उनके लाभ, हानि, उपाय आदि बतलाने पड़ते हैं और अपनी पूरी सम्मति देनी पड़ती है। ऐसे विषयों को 'विचारात्मक लेख' कह सकते हैं।

लेखों के नमूने

अब आगे सब प्रकार के लेखों के कुछ नमूने दिये जाते हैं। साधारणतया—गाय, रेल्वे स्टेशन, मद्रास शहर, क्रिकेट का खेल आदि विषयों पर लिखे जानेवाले लेख 'वर्णनात्मक निबन्ध' होते हैं। महात्मा गांधी, गोस्वामी तुलसीदास, श्रीराम, अकबर, डाक विभाग, समाचार पत्र आदि विषयों पर लिखे जानेवाले लेख 'विवरणात्मक' होते हैं। पुस्तकें, सत्यवादिता, मितव्ययिता, चरित्र-पालन, स्त्री-शिक्षा आदि विषयों पर लिखे जानेवाले लेख 'विचारात्मक' लेख होते हैं।

लेख लिखते समय नीचे लिखी बारह बातों पर ध्यान रखना चाहिए।

1. लेख लिखने से पहले दस मिनट तक नियत विषय पर पूर्णरूप से विचार कर लीजिये।

2. समूचे लेख को एक ही तरह की शैली में लिखिये ।

3. आसान व मुहावरेदार भाषा में लिखिये ।

4. कठिन तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग मत कीजिये ।

5. भाषा में व्याकरण की अशुद्धियाँ बिलकुल न रहें ।

6. विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिये ।

7. जो विचार आपके हृदय में उठें, उनके संकेत बनाकर क्रमश: लिखिये ।

8. फिर जितने संकेत हों, उनको एक-एक 'पैरा' (Para) में अलग-अलग लिखिये ।

9. वाक्य छोटे-छोटे और शब्द सरल हों ।

10. लेख इस तरह लिखिये कि पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए और रोचक जान पड़े ।

11. लेख संक्षेप में हो, परन्तु कोई बात छूटने न पाए ।

12. लेख लिखकर अन्त में एक बार उसे पढ़ डालिये और यदि कोई भूल हो गयी, तो उसका संशोधन कर लीजिये ।

हम यहाँ नमूने के लिए दो लेखों के ढाँचे - outline देकर उन्हींके आधार पर दो लेख भी दे रहे हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों को ढाँचा बनाकर लेख लिखना चाहिए ।

लेख का ढाँचा बनाना और उसका विस्तार करना

गाय

ढाँचा—

1. **जाति**—चौपाया ; और चौपायों, घोड़ों आदि से फ़र्क—सींगदार, खुर फटे, दाँतो की एक ही पंक्ति ।

2. **निवास**—सब देशों में, मनुष्यों के साथ पालतू जीवन ।

3. **आहार**—घास, पयाल, भूसा, अनाज और खली ।

4. **स्वभाव**—बहुत सीधा, बच्चों से प्यार ।

5. **बच्चे**—दस-बारह तक, साधारणतः तीसरे वर्ष से ।

लाभ—दूध ; दही, गोबर, बच्चे, खाल, हाड़ ।

1. गाय एक जानवर है जिसके चार पैर होते हैं । यह बच्चे देनेंवाला और उनको दूध पिलानेवाला जानवर है । इसमें और घोड़े गधे आदि चौपायों में यह फ़र्क है—इनके चारों खुर फटे रहते हैं और दाँतों की केवल एक पंक्ति, अर्थात् नीचेवाली पंक्ति ही होती है । परन्तु घोड़ों, गधों और खच्चरों में ये बातें नहीं होती ।

2. गायें सब देशों में पायी जाती हैं और जलवायु के अनुसार छोटी, बड़ी, दुधारू या सूखी होती हैं । बहुधा यह पालतू होती है और आदमियों ही के बीच रहती है ।

3. इसका मुख्य आहार घास, पयाल, भूसा आदि हैं। इसलिए इसके पालने में अधिक ख़र्च नहीं होता। दयालु लोग और खासकर दूध के लिए पालनेवाले इसे आनाज, खली, भूसा और नमक भी खिलाते हैं।

4. गाय का स्वभाव बहुत सीधा होती है। चरने के लिए छोड़ देने पर शाम को फिर स्थान पर आ जाती है, और इसके सीधेपन को देखकर सीधे आदमी को 'यह आदमी गऊ है' कहते हैं। परन्तु, इसके सामने कोई इसके बच्चे को दुख देता है, तो यह क्रुद्ध हो मारने के लिए दौड़ती है।

5. गाय प्राय: तीसरे वर्ष बच्चा देती है और अगर ठीक समय पर बच्चा जनती जाए, तो दस-बारह बच्चे तक दे सकती हैं।

6. गाय से मनुष्य को बहुत लाभ हैं। हम इसका दूध पीते हैं। दूध से दही, मक्खन, घी, मट्ठा (छाछ), मिठाइयाँ आदि भी बनते हैं। हिन्दू लोग इसे देवता की तरह पूजते हैं और सबेरे उठकर इसके दर्शन करते हैं। इसके गोबर से अच्छी खाद (manure) बनती है। गोबर की यही सबसे बड़ी उपयोगिता है। गाय के बच्चों को, अर्थात् बैलों को गाड़ी और हल में जोतते हैं। इसकी खाल से जूते, थैले आदि बहुत-सी चीजें बनाते हैं। इसकी हड्डियाँ खाद के रूप में ज़मीन को बहुत उपजाऊ बनाती हैं। इन सब लाभों को देखकर जहाँ तक हो सके ऐसे उपकारी जीव की वृद्धि करनी चाहिए।

रेल्वे स्टेशन

ढाँचा :

1. **प्लैटफ़ारम**—लंबा-चौड़ा, कई तरह के लोगों की भीड़-भाड़ ।

2. **इमारत**—एक पंक्ति में बहुत-से कमरे, उनके विभाग; बाहरी दीवारों पर इश्तिहार ।

3. **ट्रेन के आने का समय**—उत्सुकता, चढ़ने-उतरने की जल्दी, फेरीवालों की पुकार ।

4. **ट्रेन का खुलना**—दोस्तों से बिदाई, लोगों का चला जाना ।

1. रेल्वे स्टेशन बड़ा अच्छा स्थान है । वहाँ सैकड़ों चीज़ें दिखाई देती हैं । फाटक पर पहुँचते ही अनोखे दृश्य मिलते हैं । दूर तक लंबा-चौड़ा प्लौटफ़ार्म फैला हुआ है, जिसके एक सिरे पर खड़ा हुआ आदमी दूसरे सिरे पर से नहीं पहुँचाया जा सकता ।

स्थान-स्थान पर लोग बेंचों पर बैठे हुए बातें करते हैं । पत्थर व ईंट के फ़र्श पर लोग कम्बल और दरी बिछाये बैठे हुए हैं, कोई-कोई हाथ पर सिर रखे लेटे भी हैं, बहुत-से लोग टहल रहे हैं । मजदूर लोग असबाब तौलते हैं । कुछ मजदूर असबाब को बाहर लाते हैं, तो कुछ बाहर से भीतर ले जाते हैं । पानीवाला इधर से उधर चक्कर काट रहा है । रेल्वे पुलिस अपनी-अपनी जगह पर खड़ी है । एक दो साहब लोग (गोरे)

मेम साहिबाओं से बातें करते घूम रहे हैं, तो कोई सिगरेट पी रहा है।

2. अब इमारतों पर निगाह डालिए। एक ही पंक्ति में बहुत-से कमरे बने हुए हैं—किसी में स्टेशन मास्टर का दफ़्तर है, किसीमें तार घर है, जहाँ से घंटी की टनटनाहट और तार की खटखटाहट आती है; किसीमें टिकट घर है, जिसकी खिड़की के सामने लोगों की लम्बी क़तार है और भीतर से रुपया परखने तथा टिकट में तारीख़ छापने की आवाज़ आ रही हैं; किसी कमरे में बाबू लोग असबाब की बिल्टी (reciept) करते हैं; और उनके सामने तौलनें की कल लगी है; किसी कमरे में पहले दर्जे के मुसाफिर आराम कर रहे हैं। बाहर दीवारों पर नाना प्रकार के रंगीन और सादे कागज़ चिपके हैं। कहीं 'लिप्टन्स चाय', 'मैसूर साबुन', कहीं रेलों की समयसारणी (टाइम टेबुल), कहीं लालटेनें और 'साइन-बोर्ड' लगे हैं। कोई जगह ख़ाली नहीं छोड़ी गयी है।

3. रेल के आने का समय निकट आ गया है। लोग बराबर घड़ी देख रहे हैं। अपढ़ लोग दूसरे से समय पूछ रहे हैं। ज्यों ही रेल के आने की घंटी हुई लोग उठ-उठकर ताकनें लगे। धुआँ दिखाई दिया, इंजन दृष्टि में पड़ा, घबड़ाहट बढ़ गयी और ट्रेन प्लैटफ़ार्म पर पहुँच गयी। अपनी-अपनी गठरियाँ स्वयं लिए या मज़दूरों के सिर पर लदाए, अपने अपने दर्जे के डिब्बे ढूंढ़ते हुए, लोग कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे दौड़ते हैं।

उतरनेवाले मुसाफ़िर प्लैटफ़ार्म पर अपना असबाब जाँच रहे हैं और मज़दूरों से मज़दूरी तय कर रहे हैं।

4. थोड़ी देर में सारा शोरगुल शान्त हो गया, तो दूसरे प्रकार के शब्द कान में आने लगे—'गरम चाय !' 'सोड़ा लेमनेड़ !', 'केले !', 'पान-सुपारी !', 'बीड़ी-सिगरेट !', 'पूरी-मिठाई !', 'इड्ली-काफ़ी ! आदि विचित्र आवाज़ें गाड़ी के बाहर से आती हैं और 'क्यों बाबू साहब, आप कहाँ जाएंगे ?' आदि प्रश्न गाड़ी के भीतर हो रहे हैं। थोड़ी देर में रेल के छूटने की घंटी बजी। गार्ड ने हरी झंडी दिखायी और सीटी बजायी इंजन ने भी ज़ोर की सीटी दी, और ट्रेन धीरे से चली।

बस, समय हो गया। बाबू लोग अपने लौट जानेवाले साथियों से 'गुड बाई' (Good bye) करने लगे और खिड़कियों के बाहर हाथ निकालकर हाथ मिलाने लगे। कुछ लोग 'नमस्कार' कहते हैं, कोई 'राम राम', कोई तसलीमात अर्ज़', कोई 'भाई, पहुँचते ही चिट्ठी लिखना' आदि। इस तरह ट्रेन निकल जाती है और लोग अपने-अपने घर को चल पड़ते हैं। स्टेशन के कर्मचारी लोग भी अपने स्थान की ओर चलते हैं, और कुछ देर के बाद भीड़ हट जाती है।

कुछ लेख

1. नदियाँ

नदियों से हमें बहुत-से लाभ होते हैं। हिन्दुस्तान में ज़्यादातर लोगों के जीवन का आधार खेती है। खेती के लिए सुन्दर और उपजाऊ भूमि तैयार करने का काम नदियाँ करती हैं। नदियों के जल से ही आसपास के खेतों की सिंचाई होती है। वर्षा नहीं होती, तो किसान नदियों का सहारा लेते हैं। जहाँ नदियाँ नहीं हो, वहाँ पानी के न बरसने से या असमय बरसने से अकाल पड़ने का डर रहता है। पर नदी-किनारे की भूमि सदा लहलहाती रहती है। वह वर्षा की परवाह नहीं करती। नदियों के किनारे ही बाग-बगीचे फूलते और फलते हैं। वहाँ उन्हें पानी की कमी नहीं रहती। इसके अलावा नदियों से नहरें निकाली जाती हैं। उनसे सुदूर और निर्जल प्रदेश भी हरे-भरे बनाये जाते हैं। ऊसर और मरुभूमि को भी लहलहाते खेतों के रूप में बदला जा सकता है। कावेरी नदी के 'मेट्टुर बाँध' की नहरों ने तंजाऊर ज़िले की पैदावार बढ़ाने में कहाँ तक भाग लिया है, यह सब जानते हैं। 'तुंगभद्रा प्रॉजेक्ट' ने आंध्र और कर्नाटक के निर्जल भूमि भाग को उपवन बना दिया, इसमें संदेह ही क्या है?

देश के भीतरी भागों में नदियाँ जल-मार्गों का काम देते हैं। इन्हींके द्वारा व्यापार और आवागमन होता है। सड़कों और स्थलमार्गों की अपेक्षा नदियों के द्वारा आने-जाने में

सहूलियत होती है और व्यय भी कम पड़ता है। यद्यपि रेलों ने आजकल नदियों के व्यापार और आवागमन को हथिया लिया है, तो भी बहुत-से ऐसे स्थान हैं, जहाँ केवल नदियों ही के सहारे जाया जा सकता है।

नदियाँ कहीं-कहीं प्राकृतिक सीमा का काम भी देती हैं। उदाहरण के लिए कोळ्ळिडम नदी तक तंजाऊर ज़िला है, उसके आगे दक्षिण आर्काट ज़िला है।

नदियों के तटवर्ती प्रदेश की जलवायु स्वास्थ्यकर होती है। इसलिए प्रायः सभी बड़े-बड़े आधुनिक नगर नदियों के किनारों पर ही बसाये गये हैं। प्राचीन काल में रेल, मोटर और हवाई-जहाज़ों के अभाव में व्यापार, व्यवसाय और आवागमन के लिहाज़ से सभी नगर नदियों के किनारे बसाये जाते थे। भारत के तो प्रायः सभी प्राचीन नगर—काशी, प्रयाग, हरिद्वार, कांचीपुरम, श्रीरंगम, मदुरै, कुंभकोणम, राजमहेन्द्री और विजयवाडा आदि शहर किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। इससे नगर के स्त्री-पुरुषों को नहाने-धोने और जल-क्रीड़ा करने की बड़ी सुविधा रहती है। जो बड़े-बड़े नगर नदियों के तट पर बसे होते हैं, वहाँ के नागरिकों को पानी का अभाव नहीं होने पाता। सुबह-शाम नदी के किनारे घूमकर दिमाग को तरोताज़ा किया जा सकता है और शरीर की थकान मिटायी जा सकती है। नाव में बैठकर मील-दो मील की जलयात्रा करके खिन्न मन को नव स्फूर्तिमय बनाया जा सकता है। नदी-तट का वातावरण एकदम शान्त, सुन्दर पवित्र

और आत्मचिन्तन के अनुकूल होता है। वहाँ पर ध्यानावस्थित होकर परम आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है।

कहीं-कहीं नदियों के जल में उपयोगी और स्वास्थ्यवर्द्धक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण देखा जाता है। गंगाजल अपनी पवित्रता के लिए इसी कारण प्रसिद्ध है कि उसमें कई रासायनिक पदार्थों का मेल पाया जाता है। इसीसे उसमें कभी कीड़े पैदा नहीं होते। हैजा आदि बीमारियों के कीटाणु उसमें स्वतः मर जाते हैं।

नदियों के प्रवाह से पनचक्कियाँ चलायी जाती हैं। नदियों के प्रपातों (Water-falls) से बिजली पैदा की जाती है। आजकल विज्ञान का कोई काम बिजली के बिना संभव नहीं हो सकता। बिजली से जीवनोपयोगी प्रायः सभी काम हो सकते हैं। उस बिजली का सबसे बड़ा संग्रह नदियों से किया जाता है।

नदियाँ समुद्रों में गिरती हैं। वे अपने आसपास के प्रदेश की सारी गंदगी को बहा ले जाकर समुद्र में डालती रहती हैं। नदियाँ सागर से पृथ्वी का संबन्ध कराती हैं, एक मार्ग खोल देती हैं। व्यापार और वाणिज्य के इस युग में तो इस मार्ग का बड़ा महत्व है। दुनिया में प्रायः सभी बड़े-बड़े बंदरगाह इन्हीं मार्गों के मुहानों पर बसे हैं। हिन्दुस्तान के बंबई और कलकत्ता ऐसे ही बंदरगाह हैं।

मांसाहारी लोग नदियों से और एक बड़ा लाभ उठाते हैं। वे अपने भोजन के लिए इनसे मछलियाँ प्राप्त करते हैं।

इन्हीं कारणों से भारत में तथा और कुछ देशों में नदियाँ पवित्र और पूजनीय समझी जाती हैं।

भारत की मुख्य-मुख्य नदियों ने (गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी आदि), प्राचीन काल से हिन्दू जाति के हृदय पर अधिकार, कर रखा है। हिन्दू साहित्य में नदियों की महिमा का गान गाया जाता है। मिस्र देश (Egypt) में लोग नील नदी को 'ईश्वर का वरदान' मानते हैं। नदियों के रम्य तटों पर उत्सव मनाने की पद्धति प्राचीन काल से हर एक देश में चली आयी है। ग्रीस, रोम और इंग्लैंड के कवियों ने अपने-अपने देश की नदियों के अनेक गीत गाये हैं। इस प्रकार नदियों से होनेवाले लाभों का अन्त नहीं है।

2. हवाई जहाज़

मनुष्य बहुत काल से उड़ने का स्वप्न देखता चला आया है। वह ज़मीन पर चल सकता था। नाव या जहाज़ के द्वारा पानी पर भी चल सकता था। परन्तु उसे आसमान में उड़ना नहीं आता था। पुराणों में पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में देवता लोग विमानों में उड़ा करते थे। देवताओं का वृत्तांत सुनकर मनुष्य को भी उड़ने की इच्छा हुई। मनुष्य की बनायी हुई चीज़ों में लोग पतंग को उड़ते हुए देखते थे। उसके अलावा हल्की हवा से भरे हुए गुब्बारे भी उड़ते दिखाई देते थे। इन गुब्बारों में धीरे-धीरे उन्नति की गयी। मनुष्य उनमें बैठकर उड़ने भी लगा। मगर इसमें एक कमी थी। मनुष्य उड़ने में

आज़ाद न था। गुब्बारों में मनुष्य वायु के अधीन था, जिधर हवा ले गयी, उधर ही उसको चलना पड़ता था। फिर, गुब्बारे सहज में उतरते भी न थे। उनसे कूदने के लिए छाता लगाना पड़ता था। इन कठिनाइयों को देखकर वैज्ञानिक लोग इस बात के प्रयत्न में लग गये कि ऐसे यान बनाएँ, जिनमें ये सब असुविधाएँ न हों। इसमें वे सफलता पा गये। फल यह निकला कि हवाई जहाज़ या वायुयान प्रचलित हो गया।

वायुयान से अनेक लाभ हैं। इसकी गति मोटर या रेल की गति से अधिक तेज़ होती है। हवाई जहाज़ तीन-चार सौ मील प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं। आसमान में चलते हैं इसलिए रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। तीर की तरह सीधे जाने के कारण दूरी को बहुत जल्दी तय कर लेते हैं। इनके लिए न सड़क बनवाने की ज़रूरत है और न पुल बंधवाने की। वायुयान के कारण महीनों का सफ़र हफ़्तों का हो गया है। अब बिलायत और हमारे देश के बीच एक ही हफ़्ते में डाक आ-जा सकती है। हवाई जहाज़ की वजह से सिर्फ़ वक़्त की ही बचत नहीं हुई, बल्कि बहुत दुर्गम स्थान भी सुगम हो गये हैं। इसके द्वारा हिमालय पहाड़ पर बदरी-केदरनाथजी की यात्रा भीं दुर्गम नहीं रही। वायुयान की उपयोगिता बढ़ाने के लिए बेतार का भी साथ ही साथ आविष्कार हो गया है। बेतार के तार द्वारा आसमान में उड़ते हुए भी नीचे की दुनिया का पता रह सकता है।

लाड़ई के मैदान में हवाई जहाज़ का बहुत उपयोग होने लगा है। अब उसके कारण दुश्मन के किले या दुर्ग में जाना मुश्किल नहीं रहा। खाई भी दुश्मन की अधिक रक्षा नहीं कर सकती। वायुयानों द्वारा सारी सैनिक परिस्थिति का पता लगाया जा सकता है। हवाई जहाज़ पर से बम बरसाकर शत्रु का संहार भी किया जा सकता है, अलबत्ता यह विज्ञान का दुरुपयोग है। इस बम-वर्षा से बचना एक बड़ी भारी समस्या हो गयी है। बम-वर्षा होने पर क्या होना चाहिए, इसका प्रदर्शन बड़े-बड़े शहरों में प्राय: किया जाता है। जिस प्रकार पहले ज़माने में राष्ट्र अपनी नौसेना (Navy) पर गर्व करते थे, उसी प्रकार अब वे विमान-बल (Air Force) पर गर्व करने लगे हैं।

वायुयान के नागरिक-उपयोग भी बहुत हैं। अब मित्रगण एक दूसरे के पास उड़कर जा सकेंगे। मान लीजिये, मद्रास में आपके किसी दोस्त की शादी होनेवाली है। विवाह के एक दो-दिन पहले समाचार मिलने पर आप दिल्ली से मद्रास उड़कर आ सकते हैं और विवाहोत्सव में शामिल हो सकते हैं। काबुल से नारंगी, सेब आदि फल रेल से मद्रास भेजें, तो उनके पहुँचने में बहुत दिन लगेंगे। रास्ते में वे सड़ भी जाएँगे। पर वायुयान के द्वारा वे सड़ने के पहले ही मद्रास पहुँच सकते हैं। भविष्य बताएगा कि विज्ञान कैसे-कैसे आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाता है। हवाई जहाज विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार है।

3. गरीबों के प्रति हमारा कर्तव्य

दुनिया में सब मनुष्य एक-से नहीं होते। कोई अमीर होता है, कोई गरीब, कोई स्वस्थ, कोई बीमार, कोई सुखी, कोई दुखी। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी है। बुद्धि से वह अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है। मनुष्य को ईश्वर ने दया भी दी है। दया रहने से आदमी ग़रीब, रोगी और दुखी की मदद कर सकता है। अगर आदमी के दिल में कमज़ोरों और दुखियों के प्रति सहानुभूति का भाव न होता, तो कोई प्राणी ज़िन्दा नहीं रह सकता। जब माँ की कोख से बच्चा पैदा होता है, उस समय उस बच्चे में चलने-फिरने की शक्ति नहीं होती। लेकिन, माँ प्रेम के साथ और बड़ी सावधानी से उसका पालन-पोषण करती है। पशु-पक्षी भी अपनी संतान के लिए बहुत-कुछ करते हैं और अपने सजातीयों के साथ दया का व्यवहार करते हैं।

हमदर्दी (सहानुभूति) मनुष्य का एक उत्तम गुण है। जब हम किसी ग़रीब को देखते हैं, तो हमारे दिल में दया उत्पन्न होती है। हमारा दिल पिघल जाता है और हम चाहते हैं कि उसकी सहायता करें। हम उसकी मदद कई तरह से कर सकते हैं। कुछ लोग ग़रीबों में पैसा बाँटकर उनकी सहायता करते हैं। लेकिन मेरी राय में पैसा बाँटना सहायता करने का अच्छा रूप नहीं है। मुफ़्त पैसा पाकर ग़रीब लोग सुस्त हो जाते हैं और मेहनत नहीं करते। कुछ हिन्दू लोग आँख मूँदकर दान दे देते हैं। इसका फल अच्छा

नहीं होता है। इससे देश में आलसी साधुओं की संख्या बढ़ती जाती है। भारतवर्ष में जगह-जगह, ख़ासकर तीर्थस्थानों में भिखारियों का जमघट दृष्टिगोचर होता है। इन भिखारियों ने भीख माँगना अपना पेशा बना लिया है। ये देश के लिए भाररूप बन गये हैं। गरीब की मदद करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि उन्हें पैसे देने के बजाय धन कमाने योग्य बनाया जाए। यदि हम किसी ग़रीब को एक रुपया दान में दें, तो वह उसे एक दो दिन में ख़र्च कर फिर हमारे सामने पैसे के लिए हाथ पसारेगा। परन्तु, यदि एक रुपया देने के बजाय उसको शारीरिक परिश्रम से रुपया कमाने का उपाय बताएँ, तो उसकी ग़रीबा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।

अमीर लोग ग़रीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठशालाएँ खोल सकते हैं। दरी बुनना, सिलाई का काम, चरखे पर सूत कातना, लकड़ी का काम या दफ़्तरी काम सिखाने के लिए व्यवसाय-शालाएँ (Technical Schools) भी खोल सकते हैं। निर्धन बच्चों को खिलाने का भी प्रबन्ध अमीर लोग कर सकते हैं। ग़रीबों के लिए अस्पताल खोल सकते हैं। इन अस्पतालों में ग़रीब आदमी को दवा मुफ़्त मिले और इलाज आसानी से हो। मीठी बोली बोलकर भी हम दरिद्रों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा सकते हैं। हमें यह न सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम निर्धनों की सेवा कैसे करें। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ तो कर ही सकता है। सेवा के मार्ग अनेक हैं। जिसके पास एक लाख रुपये हैं,

वह हज़ार रुपयेवाले की सहायता कर सकता है। जो चार रुपयेवाला है, वह एक रुपयेवाले की मदद कर सकता है। चाहे कोई कितना ही ग़रीब हो, कुछ न कुछ तो कर है सकता है। बहुत ग़रीब होने पर भी, जिसमें सेवावृत्ति हो, वह अपने हाथ-पाँव से दूसरों की सेवा कर सकता है। मान लीजिये, कोई दरिद्र मनुष्य बीमार पड़ गया है। आप उसके लिए अस्पताल तक दौड़ सकते हैं, दवा ला सकते हैं, सेवा-शुश्रूषा कर सकते हैं। यह भी न हो सके, तो उस ग़रीब बीमार आदमी के पास बैठकर कम से कम सांत्वना तो अवश्य दे सकते हैं। ग़रीबों की सेवा करने से हमारा दिल उदार बन जाता है, संसार में यश मिलता है और ईश्वर प्रसन्न होता है। ग़रीबों की सेवा करना हर एक दृष्टि से मानव का परम धर्म है।

4. भाप की शक्ति

भाप की शक्ति अद्भुत है। इससे आजकल हम सभी परिचित हैं। रेल गाड़ी भाप से चलती है। अनेक प्रकार की कलें, भाप से चलती हैं। आटा पीसने की कलें, छपाई की कलें, कपड़ा बुनने की कलें, लोहा गलाने की कलें, इन सबमें भाप की ज़रूरत पड़ती है। भाप में मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति है। यह सचमुच आश्चर्यजनक बात है। भाप की शक्ति का पता अभी दो सौ साल के पहले ही लगा। उसके पहले लोग भाप की शक्ति से वाकिफ़ न थे। भाप की शक्ति का पता पहले-पहल 'जेम्स वाट' को मिला। वह मामूली

दर्ज़े का अंग्रेज़ था। वह एक दिन केतली में पानी गरम कर रहा था। उसने देखा कि पानी से जो भाप बनती है, वह बड़े ज़ोर से केतली के ढक्कन को उछाल देती है। उसने वहाँ बैठे-बैठे यह विचार किया कि अगर थोड़ी-सी भाप में ढक्कन को उछालने की शक्ति है, तो भाप के पुंज में बड़ी-बड़ी चीज़ों को ढकेलने की शक्ति ज़रूर होगी। तुरन्त वह इसके प्रयोग में लग गया। इस छोटी-सी घटना ने उसके दिमाग में एक युक्ति पैदा कर दी। बहुत कोशिश करने के बाद उसने एक यंत्र बनाया। वह इस यंत्र से भाप के द्वारा ख़ानों में काम करनें लगा। उसने यह सिद्ध कर दिखाया कि भाप मनुष्य की बहुत बड़ी सेविका है।

जेम्सवाट के बाद जार्ज स्टीवेन्सन मैदान में आया। इसने भाप के ज़रिये बड़ा आश्चर्यजनक काम किया। आजकल देश में प्रायः सभी जगह हम रेल गाड़ियां देखते हैं। कुछ रेल गाड़ियाँ अस्सी, नम्बे किलो मीटर फी घण्टे की चाल से चलती हैं। इसका श्रेय स्टीवेन्सन को ही है। भाप पानी को आग के संसर्ग में लानें से बनती है। पानी जब गरम किया जाता है, तो पहले वह उबलता है। फिर जब अधिक गर्मी पाता है, तब पानी भाप या धुएँ के आकार में बदल जाता है। इसी भाप को धातु के बड़े बर्तन में बन्द करते हैं, जिसे 'बाइलर' कहते हैं। भाप आजकल हज़ारों घोड़ों और मनुष्य का काम करती है। मान लीजिये कि आप मद्रास से बेंगलर जाते हैं। बेंगलूर मेल में सैकड़ों आदमी बैठे हैं। कई डब्बे लगे हुए हैं। अगर भाप से

चलनेवाला इंजन हो, तो बेंगलूर मेल को खींचने के लिए कितने घोड़ों की आवश्यकता होती ! क्या घोड़े साठ-सत्तर किलो मीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ सकते हैं, नहीं, कभी नहीं। किसी पशु, पक्षी या मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं, जितनी भाप में है। संसार भाप का पता लगानेवाले का कृतज्ञ है। भाप के कारण मानव जाति को बड़ा आराम पहुँचा है। न जाने प्रकृति में कितनी शक्तियाँ छिपी हुई हैं ! आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक लोग इन शक्तियों का पता लगान में लग जाएँ।

5. सिनेमा

आजकल सिनेमा का बहुत प्रचार है। अमेरीका के एडिसन नामक सज्जन ने इसका आविष्कार किया था। सिनेमा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बड़े से बड़े विद्वान से लेकर साधारण से साधारण आदमी तक सिनेमा देखने जाते हैं। स्कूल-कालेजों के विद्यार्थियों में तो इसका शौक़ बहुत ही बढ़ रहा है। कोई-कोई शौक़ीन लोग तो रोज़ सिनेमा देखते हैं। हिन्दुस्तान में इसका समय प्राय: शाम के 6 बजे से रात के 12 तक रहा है। पर सुनते हैं, यूरोप के देशों में कहीं यह आठों पहर दिखाया जाता है। सिनेमा के आगे नाटकों को लोग भूल गये हैं और इसलिए आजकल नाटकों का लोप-सा हो रहा है।

सिनेंमा का उपयोग शिक्षा के लिए भी होने लगा है। सिनेमा के द्वारा यह बतलाया जाता है कि मलेरिया कैसे होता है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। कहीं-क़हीं सफ़ाई रखने

का उद्देश्य बताया जाता है। इसके ज़रिये इतिहास और भूगोल की भी शिक्षा दी जाती है। प्रचार-कार्य में सिनेमा से बहुत मदद मिल सकती है। नशीली चीज़ों के कुपरिणाम दिखाये जा सकते हैं। सिनेमा से मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ शिक्षा भी मिलती है। सिनेमा अत्यधिक लाभदायक व्यापार भी है। परदे पर तसवीरें चलती हैं और बोलती हैं; दर्शकों को नाटक-जैसा आनन्द मिलता है! नाटक और सिनेमा में मोटा भेद यही है कि उसमें अभिनेता दर्शकों के सामने आते हैं और इसमें उनके छायाचित्र। कुछ वर्षों के पहले केवल चित्र ही दीख पड़ते थे, आवाज़ नहीं सुन पड़ती थी। अब 'टॉकी' (बोलपट) भी बन गये हैं मूकचित्र मिट चुके हैं।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा पूना में फ़िल्म बनानेवाली बड़ी-बड़ी कंपनियाँ (स्टूडियो) हैं। सिनेमा का व्यवसाय तरक़्क़ी पर है। भारतवर्ष में फ़िल्में दिखायी जाती हैं, अधिकतर वे बाहर से आती हैं। पर खुशी की बात है, अब यहाँ भी अच्छी संख्या में अच्छी फ़िल्में बनायी जाने लगी हैं। इसमें शक नहीं कि विदेशी फ़िल्मों की-सी सफ़ाई भारतीय फ़िल्मों में अभी तक नहीं आयी है। पर धीरे-धीरे इसमें उन्नति हो रही है। अधिकतर भारतीय फ़िल्में भारतीय कथाओं से संबन्ध रखनेवाली होती हैं।

फ़िल्म का व्यवसाय काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक-एक फ़िल्म, जिसे हम लोग मिनटों में देख लेते हैं, वर्षों के परिश्रम से

तैयार होती है और उसमें लाखों रुपये ख़र्च हो जाते हैं। लेकिन एक बात है—चित्रपट बुरा हो तो उसको देखकर लोगों में कामुकता, विलासिता आदि बुरे गुणों के बढ़ने की संभावना है। कुवासनापूर्ण फ़िल्मों को देखने से लोगों का चरित्र बिगड़ सकता है। इसलिए सिनेमा की फ़िल्मों पर नियन्त्रण की अत्यन्त आवश्यकता है। हमारे देश मे सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति है, जो इसका निर्णय करती है कि अमुक फ़िल्म दिखानी चाहिए, अमुक नहीं। अन्त में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सिनेमा को और भी उपयोगी बनाया जा सकता है।

6. रेल

पुराने समय में यात्रा के अच्छे साधन न थे। लोग बैलगाड़ी, घोड़े, ऊंट, खच्चर आदि पर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। इन साधनों के द्वारा यात्रा आराम से नहीं हो सकती थी। राह में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कभी-कभी रास्ते में लुटेरे मुसाफ़िरों के सामान लूटते, तो कभी-कभी शेर, बाघ आदि हिंस्र जानवर यात्रियों को खा जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में वर्षों तक लग जाते थे। राहख़र्च बहुत होता था। पर आजकल रेल गाड़ी से यात्रा बड़ी सुगम हो गयी है। अब यात्रीगण सभी मौसमों में यात्रा कर सकते हैं। रात हो या दिन, कुहरा हो या पाला, हर घड़ी यात्रा की जा सकती है। राजा हो या रंक, लड़के हों या बूढ़े, स्त्री हो या पुरुष, सब यात्रा का आनन्द उठा

सकते हैं। काशी, रामेश्वरम आदि जिन तीर्थों और प्रसिद्ध स्थानो की यात्रा के लिए पहले लोग तरसा करते थे, वे अब सबके लिए सुगम हो गये हैं। मथुरा, बृन्दावन या अयोध्या के दर्शन करके जन्म सफल कीजिये, ऊटी या शिमला की ठंडी-ठंडी हवा का मज़ा लूटिये, मद्रास जाकर अडयार देखिये, आगरा में ताजमहल की अलौकिक शोभा निहारिये, अथवा बम्बई, कलकत्ता की ऊँची-ऊँची इमारतें देखिये! रेल ने सब सुगम कर दिया है। वन, पर्वत, नदी, नाला, झील, रेगिस्तान, दर्रे आदि दुर्गम मार्गों में से भी रेल ने मार्ग निकाल लिया है। रेल से समय और धन दोनों की बचत होती है।

रेल गाड़ी के चालू होने के पहले व्यापार नदियों के किनारे पर बसे हुए शहरों में छोटी-छोटी नावों के द्वारा होता था। एक प्रांत का माल दूसरे प्रांत में बड़ी कठिनाई से लाया जाता था। अन्न, वस्त्र आदि ज़रूरी चीज़ें ही उस समय व्यापारिक महत्व रखती थीं। परन्तु, रेल के जारी होने से अब व्यापार की बड़ी उन्नति हो गयी है! आजकल माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी सुगमता और शीघ्रता से भेजा जा सकता है। भेजने का ख़र्च बहुत कम हो गया है। एक देश की अनोखी और उत्तम वस्तुएँ दूर के दूसरे देश में लगभग उसी कीमत पर मिल जाती हैं। आजकल काश्मीर के दुशाले, अहमदाबाद के कपड़े, बंगाल के बोरे और टीठागढ़ का काग़ज बड़ी आसानी से हिन्दुस्तान के हर एक शहर में बिकने के लिए पहुँच जाता है। मतलब यह है कि रेल से देश के आन्तरिक

व्यापार में खूब वृद्धि हो गयी है। व्यापार का क्षेत्र बढ़ गया है। देश के आयात (import) और निर्यात (export) में सहायता मिली है।

देश के भिन्न-भिन्न नगर रेलों द्वारा मिल गये हैं। कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय की घाटी तक के सब उपजाऊ मैदान और व्यापारिक क्षेत्र रेल द्वारा संबद्ध हो गये हैं। कच्चा माल भेजने में सुविधा होने के कारण देश में उद्योग-धन्धों को बड़ी सहायता मिली है। कला-कौशल और व्यवसाय आदि को सफल बनाने का मुख्य साधन रेल ही है। जो उपज कौड़ियों के मोल बिक जाती थी, वह अब पहले से दुगुनी-तिगुनी क़ीमत में बिकती है। एक प्रांत दूसरे प्रांत की पैदावार से समुचित लाभ उठाता है।

रेल से आजकल अकाल के समय में बड़ी सहायता मिलती है। एक ही देश में अकाल के समय एक प्रांत के निवासी आराम से जीवन व्यतीत करते थे और दूसरे प्रांत के निवासी भूख से तड़पकर मर जाते थे। परन्तु अब रेल द्वारा अन्य प्रांतों से अन्न शीघ्र ही अकाल पीड़ित स्थानों में पहुँच जाता है। इस तरह रेल करोड़ों आदमियों को मौत के मुंह में जाने से बचाती है। हज़ारों मनुष्य रेल के कार्यालयों में काम करके अपना और अपने बाल-बच्चों का पालन करते हैं। नदी पर पुल बनाने, दरों और चट्टानों में से रेल का मार्ग निकालने में लाखों मज़दूरों और अनेक इंजिनीयरों की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग रेल गाड़ियों से अपनी रोटी कमाते हैं। रेल से सरकारों के ख़ज़ानें भी भरते हैं। माल के इधर से उधर

आने-ज़ाने से सरकारी आय खूब बढ़ जाती है। सारांश यह है कि देश की आर्थिक उन्नति में रेल गाड़ी पूरा-पूरा योग देती है।

सामाजिक और राजनैतिक विकास में भी रेलों ने सहयोग दिया है। रेलों द्वारा अब जन-समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान को खूब आने-जाने लगा है। वैवाहिक संबंध भी दूर के नगरों में होने लगे हैं। मेला, जातीय उत्सव, राष्ट्रीय सभा आदि में जनता अब खूब भाग लेने लगी है। स्वास्थ्य-लाभ के लिए लोग राँची, मदनपल्ली, नैनीताल आदि स्थानों को जाने लगे हैं। देशाटन द्वारा मनोरंजन की प्रवृत्ति तो लोगों में कम नज़र आती है, किन्तु भौगोलिक ज्ञान बढ़ने के साथ ही साथ शिक्षा का विकास भी होने लगा है। अब छोटे-छोटे शहरों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए मद्रास-जैसे बड़े शहरों और अण्णामलै नगर (चिदम्बरम) जैसे शिक्षा-केन्द्रों में जाने लगे हैं। रेल के कारण भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न राज्यों के रहनेवाले एक-दूसरे के नज़दीक आ गये हैं।

सरकार के लिए रेल बहुत लाभदायक है। देश में अशांति, दंगा, क्रांति, या लड़ाई के समय सरकार फ़ौज को एक सूबे से दूसरे सूबे में रेल के द्वारा बड़ी आसानी से और जल्दी भेज सकती है। इसके अलावा, फ़ौज के लिए खाने की चीजें युद्ध-सामग्री और अन्य वस्तुएँ भेजने में भी बड़ी सुविधा रहती है। रेल द्वारा डाक एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजी जाती है। सचमुच रेल राजा-प्रजा, राव-रंक, सेठ-साहूकार, गृहस्थ-साधु सबके लिए उपयोगी है। रेल से अनगिनत लाभ है।

7. पदार्थ विज्ञान

भौतिक पदार्थों के विज्ञान को 'पदार्थ' विज्ञान (Physical Science) कहते हैं। विज्ञान के अध्ययन से हमारे ज्ञान का बड़ा विस्तार होता है। प्राकृतिक रहस्यों का पता हमको विज्ञान से मिलता है। विज्ञान से हमें संसार में नियम और शृंखला दिखाई पड़ने लगती है। लोग विज्ञान पढ़ते हैं। वे किसी बात को बिना छानबीन किये सहसा नहीं मान लेते। वे शीघ्र धोखे में नहीं आते। इस कारण उनमें अन्धविश्वास की मात्रा कम हो जाती है। इसके साथ-साथ उनमें कट्टरपन भी नहीं रहने पाता। जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग किसी बात का सहसा विश्वास नहीं करते, उसी तरह वे, जब तक कोई बात बिलकुल असंभव न हो, उसमें सहसा अविश्वास भी नहीं करते। वे हर एक चीज़ का उचित मूल्य आंकने का यत्न करते हैं। इसलिए उनका दृष्टिकोण बड़ा उदार हो जाता है। वैज्ञानिक प्रत्येक बात में नियम और शृंखला देखना चाहता है। इस कारण वह उससे पूरा फ़ायदा उठा सकता है।

आदमी को पदार्थ विज्ञान से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी बहुत हुए हैं। अब बहुत-सी बीमारियों के यथार्थ कारण मालूम हो गये हैं। अन्वीक्षण यन्त्र द्वारा हम अपने शरीर से निकले हुए कीटाणुओं की जाँच कराकर रोग का पूरा-पूरा निदान करवा सकते हैं। ठीक निदान हो जाने पर चिकित्सा भी आसान हो जाती है। 'एक्सरे' के आविष्कार से शल्य चिकित्सा (Surgery) को बहुत सहायता मिली है। अब यह अन्धों की टटोल नहीं रही। वैज्ञानिक

'एक्सरे' द्वारा जान लेते हैं कि कहाँ की हड्डी का कौन-सा भाग टूट गया है अथवा सड़ या गल गया है। वे उसी स्थान को चीर-फाड़कर यथासंभव दोष का निवारण कर देते हैं। रेडियम से नासूर आदि की चिकित्सा में भी बहुत कुछ सहायता मिली है। अब नाना प्रकार के टीकों द्वारा रोगों की रोक-थाम हो जाती है, और बहुत-से लोग अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। विज्ञान ने खाद्य पदार्थों का विश्लेषण करके हमको अपने आहार द्वारा ही बहुत-से रोगों की चिकित्सा कर लेने की सुविधा पहुँचायी है। जितना ही हमको प्राकृतिक नियमों का ज्ञान होता जाता है, उतना ही हम उनसे लाभ उठाते हैं और अपने को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने का उद्योग करते हैं।

पदार्थ विज्ञान के आधार पर दुनिया में बड़े-बड़े आविष्कार हुए हैं। रेल के आविष्कार के कारण हज़ारों मनुष्य देश के इस छोर से उस छोर तक थोड़े ही समय में पहुँच जाते हैं और लाखों मन माल इधर से उधर पहुँच जाता है। विज्ञान ने जिस प्रकार पानी और ज़मीन पर जहाज़ और रेल द्वारा विजय पायी है, उसी प्रकार हवाई जहाज़ द्वारा उसने आसमान पर भी अधिकार जमा लिया है। विद्युत शक्ति ने संसार में एक तरह से कामधेनु को उपस्थित कर दिया है। बटन दबाते ही सारा शहर बिजली के प्रकाश से चमकने लगता है। बिजली की शक्ति से घर पर बैठे लंदन और पेरिस के गाने सुनते हैं। टलिफ़ोन द्वारा मद्रास से कलकत्ता के दोस्तों के साथ बड़ी आसानी से बातचीत कर सकते हैं, मानों वे हमारे कमरे में ही बैठे हों।

आजकल लाखों और करोड़ों का व्यापार टेलिफ़ोन के ही द्वारा चल रहा है। बेतार के तार द्वारा डूबते हुए जहाज़ भी अपनी संकटमय अवस्था की सूचना उचित स्थानों तक पहुँचा देते हैं। बेतार के तार द्वारा केवल शब्द ही दूर तक नहीं पहुँचाया जाता, वरन् दूर देशों की तस्वीरें भी भेजी जाती हैं। विज्ञान के यन्त्रों द्वारा हमारे सभी कार्य सुगम हो गये हैं। पुराने ज़माने में जो सुख और आराम बड़े राजा-महाराजाओं को बहुत धन ख़र्च करने पर प्राप्त होते थे, आज वे विज्ञान के कारण मामूली आदमी के लिए सुलभ हो गये हैं। गरमी में ठंडी हवा और जाड़े में सुखद गरमी सहज ही में प्राप्त हो सकती है। पदार्थ विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पा ली है। विज्ञान के बल पर सचमुच आदमी प्रकृति का शासक बन गया है। न जाने, विज्ञान के गर्भ में और क्या-क्या चमत्कार छिपे हुए हैं।

8. ग्राम-सुधार

इतिहास को पढ़ने से मालूम होता है कि हमारे देश के गाँव हरे-भरे थे, लोग खुशहाल थे, गांवों में अमन-चैन की तूती बोलती थी। आजादी के मिलने के बाद भी गावों की हालत बहुत खराब है। गाँवों में सड़कों की दशा अत्यंत शोचनीय है। बरसात में पानी और कीचड़ के कारण राह चलना मुश्किल हो जाता है। अन्य ऋतुओं में धूल इतनी उड़ती है कि कभी-कभी दम घुटने लगता है। गाँवों में सफ़ाई नाममात्र के लिए भी नहीं है। लोग गन्दे रहते हैं। घरों की मोरियों का पानी राह में बहा करता है और गड्ढ़ों में रुका हुआ सड़ा करता है। इससे

मच्छर पैदा होते हैं, जो मलेरिया आदि बीमारियों को फैलाते हैं। स्त्रियाँ घर कर कूड़ा बटोरकर सड़क पर फेंक देती हैं। गाँवों की सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। गाँवों के बालक सड़क पर ही पाखाना करते हैं। इससे वहाँ बदबू आती है। गाय, बैल आदि पशुओं के बाँधे जाने के स्थान भी बहुत मैले रहते हैं। गोबर तथा गोमूत्र के सड़ने पर बड़ी बदबू निकलती है। गाँववाले अशिक्षित होते हैं। इसलिए वे अपनी खेती में सुधार करना नहीं जानते। गाँवों में अज्ञान, गरीबी और गन्दगी का साम्राज्य है।

हम पढ़े-लिखे लोग गाँवों की यह दशा नहीं देख सकते। महात्मा गाँधीजी ने देश के नौजवानों का ध्यान गाँवों की तरफ़ आकर्षित कर दिया। गाँव नरक बन गये हैं। उन्हें स्वर्ग-तुल्य बनाना चाहिए। उनके लिए गाँवों में कई सुधार जारी करने चाहिए। गांवों से गन्दगी को हटाकर सफाई को क़ायम करना चाहिए। पक्की सड़कें बनानी चाहिए जिससे न धूल उड़े और न कीचड़ इकट्ठा हो। घरों का गन्दा पानी बहा ले जाने के लिए नालियाँ बनानी चाहिए। सड़कों के दोनों ओर आम, नीम आदि के पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हवा साफ़ रहे, राहगीरों को छाया मिले और ग्राम की शोभा बड़े। स्थान-स्थान पर लालटेनें लगानी चाहिए जिनके प्रकाश में लोग रात्रि के समय चल-फिर सकें। पशुओं को बाँधने के स्थान घरों के बाहर हों। उन्हें साफ़ रखा जाए। रास्ते में पेशाब करने या पाखना करनेवालों को उसकी बुराइयाँ समझाकर, उसके

लिए उचित व्यवस्था कर देनी चाहिए। रोगियों की चिकित्सा के लिए अस्पताल खोले जाने चाहिए।

गाँवों में अविदया का साम्राज्य है। पाठशालाएँ खोलकर अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करना चाहिए। दो तरह की पाठशालाएँ स्थापित करनी चाहिए—एक लड़के-लड़कियों के लिए, दूसरी प्रौढ़ लोगों के लिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए रात के समय पढ़ाने का प्रबन्ध करना चाहिए। दिन के समय वे लोग खेत में काम करने चले जाते हैं। उनको उस समय फुरसत नहीं मिल सकती। पाठशाला के अलावा पुस्तकालय तथा वाचनालय भी खोलने चाहिए। जिनमें लोग अवकाश के समय बैठकर पुस्तकें तथा समाचार-पत्र पढ़ सकें। इससे गाँववालों के ज्ञान में वृद्धि होगी, वे ज्ञानवान बनेंगे और लड़ाई-दंगा करना, जुआ खेलना आदि बुरे व्यसनों से बचेंगे। गाँवों में चरखों और करघों का भी प्रचार करना चाहिए। स्त्रियाँ अवकाश के समय चरखे पर सूत कातेंगी और करघे पर गाँवों के जुलाहे कपड़ा बुनेंगे। इनसे गाँव वस्त्र के मामले में स्वावलंबी बन जाएँगे। स्त्रियाँ फ़ुरसत के समय इससे दो-चार पैसे कमा सकेंगी।

गाँव के किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के तरीक़े बतलाने चाहिए, जिससे थोड़ी मेहनत से अच्छी उपज हो। अच्छे कुएँ खुदवाने चाहिए, जिससे लोगों को पीने का पानी मिलने में मुश्किल पेश न आए। एक सरकारी बैंक भी खोला जाए, जो किसानों को थोड़े ब्याज पर रुपया उधार देकर

महाजनों के फन्दे से उनकी रक्षा करें। एक पंचायत भी स्थापित की जाए, जो ग्रामवासियों के झगड़ों का निवारण किया करे। ये सब सुधार हम गाँवों में कर सकें, तो हमारे गांव फिर से खुशहाल बन जाएँगे। गाँवों में कोई न भूखा रहेगा, न नंगा। ग्राम-जीवन सुखमय हो जाएगा। सन्तोष की बात है कि पिछले दशकों से सरकार गाँवों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है।

9. ग्रामवास और नगरवास

यह मानी हुई बात है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है। 73 प्रतिशत जनता खेती से अपनी रोटी कमाती है। यह खेती गाँवों में ही होती है। लेकिन पिछले सौ वर्षों से गाँवों की दशा अत्यंत शोचनीय होती गयी है। इसके कई कारण हैं। मनुष्य स्वभाव से ही मेहनत से बचना चाहता है। प्राय: सभी लोग यह चाहते हैं कि उन्हें कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले। राजपूताने के रेगिस्तान में तथा पहाड़ी प्रान्तों में आबादी के कम होने की यह सबसे बड़ी वजह है। गाँवों में खुली हवा और शांति के अतिरिक्त, सुख के अन्य साधनों का एक तरह से अभाव है। इसलिए लोग गाँव छोड़कर शहरों में बसने लगे। गाँवों में शिक्षा का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। यहाँ ग़रीबी और बेकारी का बाजार गरम है। बेचारे किसानों और मज़दूरों को मशीन की तरह काम करने पर भी, भर-पेट सूखी रोटी भी नहीं मिलती। गाँव के नौजवान पढ़-लिखकर शहरो में चले जाते हैं। अपढ़ लोग भी काम की तलाश में बड़े-बड़े शहरों में जाने लगे हैं।

शहरों में कई तरह के आकर्षण होते हैं। यहाँ उन्नति के सभी साधन मौजूद हैं। वहाँ तरह-तरह के कारोबार हो रहे हैं। स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, कचहरियाँ आदि वहाँ बनायी गयी हैं। दिलबहलाव के लिए सिनेमा, नाटकशाला आदि भी हैं। आने-जाने के लिए चौड़ी व चिकनी सड़कें है। रेल, तार, डाक, मोटरगाड़ी आदि की भी सुविधाएँ शहरों को प्राप्त है। सारांश यह है कि मनुष्य-जीवन की उन्नति के लिए जिन-जिन साधनों की ज़रूरत होती है, वे सभी शहरों में सुलभ हैं। ऐसी हालत में शहरों की जनसंख्या क्यों न बढ़ें? व्यापार शहरों में ही चलता है, तरह-तरह की चीज़ें शहरों में मिलती हैं, रोज़ी के हज़ारों ज़रिये शहरों में हैं, तथा नयी सभ्यता का मूलस्रोत शहरों में है। इन्हीं सुविधाओं के कारण शहरों नें ग्रामवासियों का मन आकृष्ट कर रखा है। यही क्रम जारी रहे, तो कुछ दिनों में गाँवों की आबादी घट जाएगी।

लेकिन देश में नयी जागृति शुरू हुई है। देश के नेतागण गाँवों के सुधार की ओर ध्यान देने लगे हैं। सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है। महात्मा गांधीजी कहते थे— "पहले हमारे गाँव हरे-भरे थे। खेती के अतिरिक्त गाँवों में तरह-तरह-के घरेलू रोज़ग़ार भी होते थे। पर, अब प्रायः सभी रोज़गार नष्ट हो गये। सिर्फ़ खेती बाक़ी रह गयी। अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार ने शिक्षित लोगों में खेती के प्रति अरुचि पैदा की।" अब गाँवों में नये-नये उद्योग-धन्धों का प्रचार

किया जा रहा है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि जीवन की उन्नति के सभी साधन ग्रामवासियों को प्राप्त हो जाएँ।

गाँव हिन्दुस्तान की रीढ़ है। इसके टूटने से देश का पतन हो जाएगा।

गाँवों में जाकर बसना अच्छा है। इससे राष्ट्र का हित होगा। लेकिन गाँवों में विद्या का प्रकाश फैलना चाहिए। गाँववाले अज्ञान के गड्ढ़े में पड़े हुए हैं। उन्हें ऊपर उठाना होगा। आजकल गाँवों में 'कब्र की शांति' विराज रही है। शहरातियों को वहाँ जाकर चहल-पहल का राज्य क़ायम करना है। यह काम कोई मुश्किल नहीं है। जब कि वीरान जंगलों को काटकर जमशेदपुर-जैसे बड़े-बड़े शहर बसाये जा सकते हैं, तो सदियों से बसे हुए गाँव भी सुखमय और मनोरंजक क्यों नहीं बनाये जा सकते हैं? कर्मवीर क्या नहीं कर सकता? हमें सुस्ती के भूत को भगाकर कर्मण्यता के देव को हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहिए। तभी हमारा यह ग़रीब भारतवर्ष दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका से बाजी ले सकता है। हमारे देश में कच्चे माल की कमी नहीं है। केवल उसे सुन्दर चीज़ों में परिवर्तित करने योग्य कर्मवीरों की ज़रूरत है। देश के नौजवानों को यह काम हाथ में लेना चाहिए और गाँवों को स्वर्ग बना देना चाहिए।

10 देशाटन

मनुष्य एक सामाजिक जीव है। वह मकान में बन्द होकर नहीं रह सकता। उसके लिए तनहाई की क़ैद सबसे

बड़ी सज़ा समझी जाती है। साधारणतया मनुष्य यह जानना चाहता है कि और देशों के लोग किस प्रकार रहते हैं और उनकी रीति-रिवाज़, शिक्षा-पद्धतियाँ और हुकूमत किस तरह की है। वह अपने ज्ञान को व्यापक बनाना चाहता है। आदमी में देश-विदेश जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं। इस प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए उसने नाना प्रकार के यान और वाहन बना लिये हैं। देशाटन का अर्थ सिर्फ़ विदेश-यात्रा ही नहीं, बल्कि अपने देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में जाना भी देशाटन कहलाता है। अब तो हमारे देश में विदेश जाने का चाव बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब समुद्र-यात्रा के विरुद्ध सामाजिक सम्बन्ध पहले-जैसे नहीं रहे। अब मनुष्य के लिए कोई देश अगम्य नहीं है। उसके संबन्धों का बहुत विस्तार हो गया है। इन सम्बन्धों के कारण देशाटन बड़ी आसान बात हो गया है। देशाटन से मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शिक्षा और स्वास्थ्य संबन्धी अनेक प्रकार के काम होते हैं।

देशाटन शिक्षा का एक मुख्य अंग माना जाता है। देशाटन के बिना शिक्षा को अपूर्ण समझना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में बीसों पुस्तकें पढ़ लेने से उतना लाभ नहीं होता, जितना उसके एक बार देख लेने से होता है। आगरा के ताजमहल के वर्णन हम पुस्तकों में पढ़ते हैं? पर उसका ठीक-ठीक बनावट का ज्ञान उसे देखने से ही हो सकता है। भूगोल का वास्तविक ज्ञान देशाटन द्वारा ही हासिल होता है। देशाटन-द्वारा हम दूसरे देशों की राजनैतिक और आर्थिक अवस्थाओं से

ठीक-ठीक परिचित हो सकते हैं। देशाटन से दूसरे देशों के बाज़ारों का भी पता चलता है। हम अपने सुभीते का माल वहाँ से ख़रीद सकते हैं और अपना माल वहाँ बेच सकते हैं। देशाटन के आदी होने के कारण यूरोप के लोग आज संसार-भर के व्यापार के कर्ता धर्ता बने हुए हैं। देशाटन की बदौलत ही पश्चिम देशवासियों को अमेरिका और हिन्दुस्तान का पता चला था। देशाटन द्वारा हम दूसरे के कला-कौशल से परिचय प्राप्त कर सकते हैं और उस ज्ञान के द्वारा अपने यहाँ के कला-कौशल में उन्नति कर सकते हैं।

देशाटन का स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाते हैं, तब हमारी चिन्ताएँ कुछ कम हो जाती हैं और हमारा कार्य हल्का हो जाता है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक स्थान पर रहते-रहते हमारा जी ऊब जाता है, दूसरी जगह जाने से हमको एक आनंददायक विभिन्नता दिखाई पड़ती है और उससे हमारे दिल को खुशी मिलती है। दूसरे देशों में और प्रांतों में जाकर जलवायु-परिवर्तन पाने का भी हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रायः डाक्टर लोग समुद्र के किनारे की जलवायु का सेवन करने की सलाह देते हैं। कभी-कभी वे अपने मरीज़ों को पहाड़ पर भेज देते हैं। जो लोग देशाटन कर सकते हैं, वे सदा गरमी और शीत के कुप्रभाव से अपने को बचाये रख सकते हैं।

देशाटन से मनुष्य भिन्न-भिन्न स्थानों की प्राकृतिक शोभा का अच्छी तरह निरीक्षण कर सकता है। हमारे हिन्दुस्तान में ही काश्मीर, हरिद्वार, नीलगिरि आदि ऐसे सुरम्य प्रदेश हैं, जो ज़मीन पर स्वर्ग कहे जा सकते हैं। नदियों का जल-प्रपात, पहाड़ों की चोटियाँ और सघन वन किसका मन हर नहीं लेते ? देशाटन से प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों ही प्रकार की शोभा देखनें को मिलती है। बंबई, कलकत्ता, लखनऊ आदि की बड़ी-बड़ी इमारतें मद्रास की स्फटिक-सी स्वच्छ सड़कें, सुन्दर बाग़-बगीचे, नेताजी सुभाशचन्द्र बोस रोड़ की बड़ी-बड़ी दूकानें किसके चित्त को आकर्षित नहीं करतीं ? इसलिए देशाटन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए।

11. अनिवार्य सैनिक शिक्षा

सरकार क़ानून पास कर देश के नौजवानों को लाज़िमी तौर से जो फ़ौजी तालीम देती है, उसे 'अनिवार्य सैनिक शिक्षा' कहते हैं। पुराने ज़माने से संसार में सदा लड़ाई होती आ रही है। सिपाहियों के बिना युद्ध नहीं चलाया जा सकता। प्रायः सभी राष्ट्र वेतन भोगी सिपाहियों से काम चलाते हैं। कुछ देश अपने यहाँ के सब बालिगों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देते हैं। फ़ौज के बिना बाहरी देशों के हमलों से देश की रक्षा नहीं हो सकती। वेतन देकर स्थायी सेना रखने से राष्ट्र का ख़र्च बढ़ जाएगा। कुछ देश सभी नागरिकों को फ़ौजी तालीम देकर ज़रूरत पड़नें पर उनकी सेवाएँ लेते हैं।

भारत अब आज़ाद है। उसे किसीसे दुश्मनी नहीं है। वह शांति प्रिय है; फिर भी अगर कोई देश उसपर आक्रमण करने का साहस करे, तो उसको मार भगाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। भारत वर्ष में ही भीष्म, अर्जुन, शिवाजी आदि वीर पैदा हुए थे। भारत वीरप्रसू है। उसे अपनी रक्षा के लिए परावलंबी नहीं रहना है। स्वावलंबी बनने के लिए—अपना बचाव खुद करने की ताक़त हासिल करने के लिए—मुल्क में सैनिक शिक्षा अनिवार्य करनी पड़ेगी। तभी भारत अन्य देशों की बराबरी कर सकता है। तभी वह अपनी आज़ादी को क़ायम रख सकता है।

अनिवार्य सैनिक शिक्षा से बहुत लाभ है। इससे अमीर-ग़रीब का भेद-भाव मिटता है। फ़ौज में सभी सिपाही बराबर होते हैं। इस शिक्षा से संगठन-शक्ति उत्पन्न होती है। लोग शिकायत करते हैं कि हम हिन्दुस्तानियों में संगठन नहीं है। हर एक आदमी अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना चाहता है। सैनिक शिक्षा हमें संगठित होकर काम करना सिखाएगी।

हम भारतवासियों में एक कमी यह है कि हम नियम का पालन नहीं करते। यूरोप के लोग नियम-पालन में मशहूर हो गये हैं। सैनिक शिक्षा से हमारी यह कमी दूर हो जाएगी, हममें नियम-पालन का भाव जागृत होगा। सैनिक शिक्षा से आज्ञा-पालन की शिक्षा हमें मिलेगी। साधारणतया मनुष्य दूसरों पर हुक्म चलाना चाहता है, ताकि दूसरों की आज्ञा क

पालन करना। पर बिना आज्ञा-पालन किये आज्ञा देने की योग्यता नहीं आती। साथ ही, यह भी सोचने की बात है कि अगर सभी हुक्म चलाने लग जाएँ, तो फिर हुक्म की तामील कौन करेगा? हिन्दुस्तानियों पर यह दोष लगाया जाता है कि वे आलसी हैं। फ़ौजी तामील से हम मेहनती बन जाएँगे और हमारी अकर्मण्यता का धब्बा भी मिट जाएगा। इससे शारीरिक उन्नति भी खूब होगी। भारत के अधिकांश नवयुवकों में व्यायाम का शौक न रहने से वे बहुत कमज़ोर हो गये हैं। ज़रा-सी धूप लगने से उन्हें बुख़ार हो आता है। बात-बात में सिर दुखने लगता है। सैनिक शिक्षा से भारत के नौजवान ताक़तवर बन जाएँगे। यह शिक्षा उन्हें फुर्तीला बनाएगी।

परन्तु, कुछ लोग अनिवार्य सैनिक शिक्षा का विरोध करते हैं। उन लोगों का कहना है कि अनिवार्य सैनिक शिक्षा से नवयुवकों के अध्ययन में विघ्न पड़ेगा और यूरोप के नौजवनों की भाँति लड़ाई के पीछे पागल हो जाएँगे। लेकिन हम उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। सैनिक शिक्षा पढ़ाई का पूरक है, न कि उसका विरोधी। पुस्तकें पढ़ने से मानसिक विकास होता है और फ़ौजी तालीम से शारीरिक उन्नति। इन दोनों में संघर्ष नहीं हो सकता। हाँ, हम मानते हैं कि अनिवार्य सैनिक शिक्षा से देश के नवयुवक युद्ध प्रिय हो जाएंगे। लेकिन यह जोखिम हमें उठानी ही चाहिए। गहरे पानी में डूबने से आदमी मर जाता है; फिर भी सैकड़ों आदमी प्रतिदिन गहरे

समुद्र या तालाब में तैयार करते हैं। आग में जलाने की शक्ति है; घर के घर, गाँव के गाँव, शहर के शहर तक इसकी लपटों में आकर भस्म हो जाते हैं। ऐसा होने पर भी अग्नि का कोई बहिष्कार नहीं करता। कौन ऐसा घर है जिसमें आग का उपयोग न होता हो ?

इसलिए भारतीय नवयुवकों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य हो जानी चाहिए। इस शिक्षा के न मिलने के कारण देश के कुछ नौजवान बन्दूक चलाने का नाम सुनकर कांपने लगते हैं। वे एक तरह से कायर या बुज़दिल हो गये हैं। उनको देखकर भारतमाता आँसू बहाती है। माता को वीरपुत्र पर गर्व होता है न कि कायर पर! हमें देश के सभी नवयुवकों और नव-युवतियों को बहादुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अतः देश के शुभेच्छुकों का परम कर्तव्य है कि वे भारतवर्ष में अनिवार्य-सैनिक शिक्षा के लिए आन्दोलन करें। हर्ष की बात है कि अब कई स्कूलों और कालिजों में सैनिक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। हम आशा करते हैं कि भारतवर्ष वीरता में फिर से एक बार संसार में चमकेगा।

12. अनध्ययन और पर्यटन

संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही संसार का सौंदर्य है। अगर दुनिया में सब बातें एक-सी रहें, तो उसमें आनन्द न रहेगा। यदि हमेशा शुक्लपक्ष (सुदी) या कृष्णपक्ष (बदी) रहेगा, तो उसमें मजा ही क्या है ? गरमी के बाद वर्षा

और वर्षा के बाद जाड़ा आता है। यदि विद्यार्थी के जीवन में अनध्ययन न हो और रोज़ मशीन की तरह पाठ पढ़ता रहे, तो उनका जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने समय-समय पर 'अनध्ययन' का नियम बनाया है। तातील के दिनों को 'अनध्ययन, कहते हैं।

गरमी की छुट्टी, दशहरे, की छुट्टी फिर बड़े दिन की छुट्टी—ये बारी-बारी से आती ही रहती हैं। इससे विद्यार्थी-जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। विद्यार्थीगण अनध्ययन के दिनों को दो तरह से बिता सकते हैं। वे पुस्तकों को फेंककर घर पर पड़े रह सकते हैं, या यात्रा करके अपनी छुट्टी का उपयोग कर सकते हैं। यात्रा करना अच्छा है। इससे स्वास्थ्य की भी उन्नति होती है। क्योंकि जलवायु के परिवर्तन का शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिये कि आप मद्रास के किसी कालेज में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मई-जून में मद्रास की गरमी असह्य रहती है। उस समय कालेज में छुट्टी रहती है। इस ऋतु में शरीर और मस्तिष्क दोनों को तारोताज़ा बनाने के लिए 'उदकमण्डलम्, या 'कोडेकानल' आदि ठंडे प्रदेशों को जाना चाहिए। पहाड़ों की जलवायु स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक होती है। चन्द दिनों में अपने स्वास्थ्य में इतनी तरक्क़ी देखेंगे कि आनेवाले नौ महीनों के लिए आपको कोई चिन्ता न रहेगी। कहने का मतलब है कि छुट्टी के दिनों में स्वास्थ्यकारक जगहों में रहना चाहिए।

यात्रा अपने देश की भी कर सकते हैं, विदेश की भी। हिन्दुस्तान बड़ा देश है। एक प्रांतवाले दूसरे प्रांत में यात्रा करें तो भी अच्छा है। भ्रमण से हमारे सामान्य ज्ञान की उन्नति होती है। साधारणतया विद्यार्थी का ज्ञान पुस्तकीय होता है, लेकिन वह ज्ञान संपूर्ण नहीं। पुस्तकों का ज्ञान अधूरा रहता है। उसको पूरा करने के लिए व्यावहारिक या प्राकृतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिन कवियों व लेखकों ने पुस्तकें रचीं, उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करके ही अपने अनुभव पुस्तकों में भर दिये हैं। आप घर से या स्कूल से बाहर निकलिये। प्रकृति को देखिये। भिन्न-भिन्न दृश्यों को देखकर कितना आनन्द आता है! कावेरी, गोदावरी, गंगा आदि नदियों को प्रत्यक्ष देखने में जितना आनंद आता है, उतना उन नदियों के बारे में पुस्तकों में पढ़ने से कभी नहीं आता। विंध्य या हिमालय के रम्य प्रदेशों को देखने से जो हर्ष होता है, वह 'हिमालय माहात्म्य' पढ़ने से नहीं होता। इसलिए जो विद्यार्थी या मनुष्य सिर्फ़ किताबों के कीड़े हैं, उनका ज्ञान परिपक्व नहीं हो सकता।

पर्यटन से हमारी बुद्धि भी बढ़ती है। जगह-जगह पर तरह-तरह के लोगों से परिचय होता है। संसार में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ अच्छे हैं, तो कुछ बुरे। कहीं-कहीं साधु लोग रहते हैं, तो कहीं-कहीं धूर्त लोग। पर्यटन के समय हम इन सभी लोगों के संपर्क में आते हैं। हमें मालूम हो

जाता है कि किस तरह के लोगों से किस प्रकार का वर्ताव करना चाहिए।

भ्रमणशील विद्यार्थी साहसी भी हो जाते हैं। जो विद्यार्थी नित्य घर में ही रहते हैं, वे शरमीले और दब्बू हो जाते हैं। किसी नये मनुष्य के साथ बातें करने का उनको साहस नहीं होता। ऐसे दुर्बल विद्यार्थी संसार में अकसर धोखा खा जाते हैं। इसलिए 'अनध्ययन' में भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों से मिलने का मौक़ा यात्रा के द्वारा मिले, तो विद्यार्थियों के साहस में बहुत वृद्धि होती हैं। वे निडर, साहसी और बहादुर बन जाते हैं। वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

हम मानते हैं कि यात्रा में पैसे का ख़र्च होता है और कुछ कष्ट या असुविधा भी होती है। हम अपने घर में रहकर जो सुविधा पा सकते हैं, वह बाहर नहीं मिल सकती। यात्रा में अच्छा प्रबन्ध करने पर भी खाने-पीने और सोने में कुछ असुविधा होती है। परन्तु यात्रा से होनेवाले लाभ के सामने थोड़ा-सा ख़र्च या असुविधा नहीं अखरती। अलावा इसके, सफ़र की तक़लीफ़ों को सहन करने से हमारी सहनशीलता भी बढ़ती है। ग़रीब लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं। यात्रा सब श्रेणी के लोगों के लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार टिका हुआ पानी सड़ जाता है उसी प्रकार हमेशा एक ही जगह रहनेवाले मनुष्य की बुद्धि भी संकुचित हो जाती है। बुद्धि के विकास के लिए पर्यटन आवश्यक है।

13. समाचार-पत्र

अंग्रेज़ी राज्य के साथ-साथ हमारे देश में कुछ नयी चीज़ें आयीं। उन चीज़ों में से एक है समाचार-पत्र। अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारे देश में समाचार-पत्र नहीं थे। आजकल भारतवर्ष की सभी भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। समाचार पत्रों में संसार के भिन्न-भिन्न स्थानों के समाचार प्रकाशित होते हैं।

जनता के विचार को समाचार पत्र पलट सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन के निर्माण का कार्य समाचार पत्र करते हैं। यूरोप की सरकारें इनकी महत्ता को खूब जानती हैं। समाचार पत्र जनता को किसी शासन-प्रणाली के अनुकूल या प्रतिकूल बना सकते हैं।

समाचार पत्रों से व्यापार में भी सुविधा होती है। छोटे से छोटे दूकानदार से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी को भी इस बात की आवश्यकता रहती है कि उसका माल अधिक से अधिक मात्रा में बिके। यह तभी हो सकता है, जब बहुत-से आदमी इस बात को जानें कि फलाने शख़्स की दूकान पर फलाना माल अच्छा और सस्ता मिलता है, अथवा अमुक कंपनी अमुक वस्तु का बहुलता से निर्माण करती है। अब दूकानदार या बड़ी कंपनी के लिए भी यह संभव नहीं कि वह एक-एक व्यक्ति को अलग-अलग इस बात की सूचना देते फिरे। ऐसे करने में उसे समय, ख़र्च और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर यह काम आसानी से किया जा सकता है।

आपको नौकर की, अपने बच्चों के लिए अध्यापक की कन्या या पुत्र के लिए वर या वधू की या अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र में विज्ञापन दीजिये ; आप प्रायः सफल होंगे ।

समाचार पत्रों द्वारा अनुकूल या प्रतिकूल प्रचार भी किया जा सकता है । विधान सभा (असेंब्ली), विधान परिषद् (कौंसिल), नगरपालिका (म्युनिसिपालिटी) या अन्य किसी संस्था के चुनाव के समय उम्मेदवार लोग अपनी सच्ची या झूठी महत्ता और उपयोगिता मतदाताओं को बतलाने तथा अपने प्रतिस्पर्धी को मतदाताओं की दृष्टि से गिराने के इरादे से अन्य प्रकार के प्रचार-साधनों के अतिरिक्त समाचार पत्रों का विशेष रूप से सहारा लिया करते हैं ; यह एक प्रकार के निश्चित ही है कि जिस उम्मेदवार का समर्थन समाचार-पत्र उत्तम रीति से करते हैं, वही कामयाबी हासिल करता है ।

यह लोकतंत्र का ज़माना है । इस समय प्रत्येक शासक को अपने प्रत्येक अच्छे या बुरे काम के लिए अपने शासितों को उत्तर देना पड़ता है । इसलिए प्रत्येक शासक चाहता है कि जनता उसके पक्ष में हो, उसकी कार्यप्रणाली का समर्थन करे, उसके बनाये नियमों का औचित्य स्वीकार करे । इसलिए शासक समाचार पत्रों द्वारा ही अपनी नीति का स्पष्टीकरण करते हैं । जनता के नेता भी अपनी नीति समझाने के लिए ऐसा करते हैं । दूसरी ओर, शासित अपने शासक या नेता की कार्यप्रणाली

को बदलना चाहते हैं। वे समाचार पत्रों में लेखों द्वारा उसके कार्यों की प्रतिकूल समालोचना करते हैं।

समाचार पत्रों से लाभ यह भी होता है कि वे एक संप्रदाय, देश या राष्ट्र के प्रत्येक विषय से परिचित कराते रहते हैं। समाज, संप्रदाय, देश या राष्ट्र की जनता अथवा दो देशों में दोस्ती या दुश्मनी पैदा करने में ये ख़ास हिस्सा लेते हैं।

संक्षेप में समाचार पत्रों का कार्यक्षेत्र असीम है। इससे लाभ भी अनगिनत होते हैं। विलायत में समाचार पत्रों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन हिन्दुस्तान इस बात में पिछड़ा हुआ है। इसका कारण स्पष्ट है—हमारे देश में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। देश की ग़रीबी मशहूर है। ऐसी हालत में हमारे देश के समाचार पत्रों की संख्या कैसे बढ़ सकती है ? यह यत्न हो कि भारतवर्ष में शिक्षा का प्रचार बढ़े और उसके साथ-साथ समाचार पत्र भी अधिक लोकप्रिय बन जाएँ।

14. शिक्षा का माध्यम : देशी भाषाएँ या अंग्रेज़ी

लगभग दो साल के पहले जब हमारे देश में अंग्रेज़ी राज्य कायम हुआ, तब यहाँ शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध न था। देश में कई भाषाएँ प्रचलित थीं। उनमें आधुनिक विषयों पर पुस्तकें न थीं। लार्ड मेकाले की सिफ़ारिश पर शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी बनायी गयी। मेकाले का कहना था

कि इस पद्धति के द्वारा थोड़े दिनों में ही हिन्दुस्तान में अंग्रेजी के विद्वान हो जाएंगे और अच्छी अंग्रेज़ी पुस्तकों का अनुवाद देशी भाषाओं में कर सकेंगे। अलावा इसके अंग्रेज़ी के अध्ययन से भारतवर्ष भी पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आ जाएगा। मेकाले का उद्देश्य अंग्रेज़ी पढ़ाई के द्वारा सरकार और जनता के बीच दुभाषियों का काम करनेवाले गुमाश्ते तैयार करना भी था। मेकाले की नीति के परिणामस्वरूप स्कूलों में अंग्रेज़ी का प्रचार दिन दूना रात चौगुना होने लगा। देशी भाषाओं को पूछनेवाला कोई न था। हिन्दुस्तानी अपने साहित्य को भूलने लगे। वे अंग्रेज़ी साहित्य पर गर्व करने लगे। पर यह अच्छा न था। अंग्रेज़ी भाषा अच्छी है। उसका साहित्य काफ़ी संपन्न है। इसका मतलब यह न होना चाहिए कि हम अपने साहित्य को तिलांजलि दे दें। यह अस्वाभाविक है। दुनिया में कहीं ऐसा देखने में नहीं आता।

देश के शिक्षा शास्त्रियों और नेताओं को यह बात खटकी। अब थोड़े दिनों से देश में इस बात का आंदोलन हो रहा है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी के बदले देशी भाषाएँ बनायी जाएँ। विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में विज्ञान, इतिहास, गणित, भूगोल आदि विषय सिखाये जाएँ, तो वे विषय उनके लिए बोझ मालूम न होंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से विदेशी भाषा का माध्यम उचित नहीं ठहराया जा सकता। अंग्रेज़ी के ज़रिये शिक्षा देने से विद्यर्थियों की बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। उनका दिमाग थक जाता है। नये विषयों में उनकी रुचि नहीं होती। जिस भाषा के

वातावरण में विद्यार्थी रहते हैं, उसी भाषा द्वारा वे सुगमता से कठिन विषय सीख भी सकते हैं।

पर कुछ लोग देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि देशी भाषाओं में आजकल का विज्ञान, गणित आदि पढ़ाने के लिए अच्छी पुस्तकें नहीं हैं; लेकिन यह दलील लंगड़ी है। 'जहाँ चाह वहाँ राह'—माँग होने पर देशी भाषाओं में अच्छी-अच्छी पुस्तकें निकलेंगी। संसार में ऐसे कई देश हैं, जहाँ अंग्रेज़ी या फ्रेंच के ज़रिये शिक्षा नहीं दी जाती है और वहीं की भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। उदाहरण के लिए रूस, चीन, जापान आदि देशों की शिक्षा किसी भी देश की शिक्षा से हीन नहीं हैं; फिर भी उसका माध्यम अंग्रेज़ी नहीं है। क्या वही बात भारत में भी नहीं हो सकतीं? स्कूल-कालेज में देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा का आरंभ होते ही अच्छे-अच्छे विद्वान साहित्य निर्माण में लग जाएँगे। अंग्रेज़ी के ज़रिये जो विषय दस साल में सीख पाते हैं; वे तो चार साल में ही देशी भाषाओं द्वारा सीखे जा सकते हैं। अंग्रेज़ी के माध्यम से समय, शक्ति और धन का कितना दुरुपयोग हो रहा है।

यह बड़े हर्ष की बात है कि मुल्क में स्वदेशी और राजभाषा की भवाना की जागृति हो गयी। कुछ विद्यालय और गुरुकुल प्रारंभिक वर्ग से लेकर एम. ए., तक की शिक्षा देशी भाषाओं में देने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु राज्य में स्कूल-फ़ाइनल की परीक्षा प्रांतीय भाषाओं में ली जाने लगी है।

इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंग्रेज़ी भाषा से नफ़रत करते हैं। अंग्रेज़ी अन्तर राष्ट्रीय भाषा है। उसका साहित्य बढ़ा-चढ़ा है। हम उसको बखुशी सीख सकते हैं। हम इतना ही चाहते हैं कि वह हमारी शिक्षा का माध्यम न रहे।

15. पुस्तकालय

पुस्तकों का संग्रह जिस स्थान पर हो, उसे पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय दो प्रकार के होते हैं। एक निजी (प्राइवेट) और दूसरा सार्वजनिक। जो ख़ास व्यक्ति या उससे संबंध रखनेवाले लोगों के लाभ के लिए होते हैं, वे निजी पुस्तकालय कहलाते हैं। जिनमें कुछ शर्तों के पालन करने पर सबको समान अधिकार होते हैं, वे सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाते हैं।

कुछ लोग यह सोचते हैं कि हमारी शिक्षा स्कूलों और कालेजों में ही ख़तम हो जाती है। यह विचार ठीक नहीं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी विचारशील मनुष्य अध्ययन से निरंतर अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। स्कूल-कालेजों में पढ़ते समय भी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ने से ही विद्यार्थियों के ज्ञान की पूर्ति हो सकती है। केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़नेवाले विद्यार्थियों का ज्ञान सीमित रहता है। इसके विपरीत पुस्तकालयों के अच्छी-अच्छी पुस्तकें लेकर पढ़नेवालों का ज्ञान विशाल रहता है। पाठ्यक्रम की बहुत-सी ऐसी पुस्तकें होती हैं, जिनकी व्याख्या के लिए दूसरी

पुस्तकों से सहायता लेनी पड़ती है। उनमें से बहुत-सी पुस्तकें आसानी से प्राप्त नहीं हो सकतीं ! ऐसी हालत में पुस्तकालयों से उन पुस्तकों को लेकर लाभ उठाया जा सकता है।

जो लोग पुस्तकें लिखते हैं उनके लिए पुस्तकालय ईश्वर की देन है। लेखक को पग-पग पर दूसरी पुस्तकों से सहायता लेनी पड़ती है। गरीब लेखक सब पुस्तकें नहीं ख़रीद सकते। बहुत-सी मनोरंजन की ऐसी पुस्तकें भी होती हैं, जिनकी उपयोगिता एक बार पढ़ने से समाप्त हो जाती है। उन पुस्तकों के लिए पैसा ख़र्च करना अपव्यय है। पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकों का भंडार रहता है। उन पुस्तकों के द्वारा लोग अपना मनोरंजन करते हैं। सारांश यह कि पुस्तकालय से सब लोग, चाहे वे विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ, फ़ायदा उठा सकते हैं।

पुराने ज़माने में भी पुस्तकालय होते थे। लेकिन उस समय उनका प्रचार अधिक न था। आजकल पुस्तकालयों का प्रचार बहुत बढ़ गया है। हमारे देश में बंबई, कलकत्ता, मद्रास; नागपुर, इलाहाबाद आदि शहरों में अच्छे पुस्तकालय हैं। पुस्तकालयों में पूर्ण शांति और निस्तब्धता का राज्य रहता है। इस कारण वहाँ किसीके अध्ययन में विघ्न नहीं पड़ता। कुछ अमानत जमा कर देने पर सार्वजनिक पुस्तकालयों का सदस्य बन सकते हैं। सदस्यगण पुस्तकालय की पुस्तकें अपने घर पर भी ले जा सकते हैं और कुछ दिन के लिए अपने पास रख भी सकते हैं। पुस्तकालय वास्तव में बड़ी उपयोगी संस्था है।

इससे प्रत्येक शिक्षित मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। यह बड़े हर्ष की बात है कि भारत वर्ष में भी पुस्तकालय लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। यह देश की उन्नति का शुभ लक्षण है।

16. शिक्षित समाज और जनसमुदाय

हमारे शिक्षित समाज व सर्वसाधारण जनसमुदाय के बीच में आज एक बड़ी खाई पड़ गयी। शायद इसके पहले कभी इस क़दर अन्तर इन दोनों के बीच में नहीं पड़ा था। बहुत मुमकिन है, निकट भविष्य में यह अन्तर दूर किया जा सकेगा।

शिक्षित समाज का यहाँ मतलब अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त समाज से है। जनसमुदाय और शिक्षित समाज स्वयं अपने को एक दूसरे से अलग समझने लगे हैं। यह अलगपन कुछ खास बातों में ही दिखाई पड़ता हो, ऐसी बात नहीं है। आचार-विचार में, खान-पान में रहन-सहन में, विश्वास में यहाँ तक कि जीवन के सभी पहलुओं में यह अन्तर पाया जाता है। फलतः हमारा सामूहिक जीवन एकदम शिथिल हो गया है और हम बिलकुल कमज़ोर हो गये हैं।

इस दुर्दशा का मूल कारण खोजने के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ही इसके लिए जिम्मेदार है। कल तक हम इस धोखे में थे कि आज जो शिक्षा हमें मिल रही है वह बहुत ज़्यादा पुरोगामी है। मगर आज जब कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं और अपने समाज की

दशा को सूक्ष्मतया देखने पर विवश हो गये हैं, हमें मालूम होने लगा है कि हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली न केवल अभिमान-विहीन ही है, बल्कि हमारी प्रगति को रोकनेवाली भी है। आज हम उस हिन्दुस्तान के लोग नहीं हैं, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्कों की सृष्टि करना था। आज चाहते हैं—हमारे देश में ऐसी शिक्षा दी जाए, जिसमें शिक्षित-अशिक्षित के बीच की खाई को भर देने की क्षमता हो और शिक्षित समाज को जनसमुदाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दे।

व्यक्ति समाज में पैदा होता है और समाज से ही वह सब कुछ प्राप्त करता है। समाज ही उसको जीवन प्रदान करता है, उसके फलने-फूलने में मदद देता है। समाज का व्यक्ति पर यह जो ऋण है, व्यक्ति को चाहिए कि वह उसको जान ले और यथासमय उसे चुकाने में दत्तचित्त रहे। व्यक्तियों का समूह ही समाज है। अगर सभी व्यक्ति अपना-अपना कर्तव्य समाज के प्रति निभाते जाएँ, तो समाज हर तरह से आपसी संबंध भी बनाया रखेगा।

शिक्षित का हमारा मतलब उस व्यक्ति से होना चाहिए, जिसने मानसिक उन्नति प्राप्त की हो और समाज के साथ संपर्क रखने और तज्जनित संतोष तथा आत्मबल का अनुभव करने की क्षमता रखता हो। समाज के हित-अहित को देख और समझकर अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन करने को तैयार न रहनेवाला व्यक्ति कभी शिक्षित न समझा जाना चाहिए, भले ही

उसने बड़ी से बड़ी उपाधि हासिल की हो। शिक्षा का व्यक्ति की उन्नति के साथ जो संबन्ध चला आता है, वही व्यक्ति का समाज के साथ होना चाहिए। जिस तरह शिक्षा अभ्यास से आती है, उसी तरह सामाजिक जीवन का ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। कितने ही शिक्षित अपने सामाजिक जीवन के कार्य-क्षेत्र में पराजित हो जाते हैं। इसका कारण उनका जनता के साथ संपर्क बढ़ाने की कला से अनभिज्ञ होना ही है।

समय एक साथ स्वयं चलता है और चलाता है। अर्थात् वह व्यक्ति को चलाता है और व्यक्ति से चलने की शक्ति खुद ग्रहण करता है। समाज में स्वस्थ वातावरण की सृष्टि तभी होगी, जब उसके सभी पहलुओं तक प्रकाश पहुँचाया जाएगा। सामाजिक जीवन में समत्व और स्वातंत्र्य समान मात्रा में सबको मयस्सर हो, तभी वह संभव है। समत्व और स्वातंत्र्य ही उसके ताने-वाने हैं। आज हम अपने समाज में दो श्रेणी के लोगों को देखते हैं। एक बिलकुल अंधकारावृत वातावरण में पड़े हैं, दूसरे एकदम प्रकाश के खुले मैदान में। आप कहेंगे, आर्थिक असमानता ही उसका कारण है। हम मानते हैं; मगर गरीब होने पर भी शिक्षित व्यक्ति की प्रकाश में रहना और अशिक्षित का धनी होने पर भी अन्धकार में रहना किस बात के प्रतीक हैं?

चूंकि मनुष्य सामाजिक जीव है, इसलिए उसे अपने सामाजिक कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्नति में हो उसने अपनी वैयक्तिक उन्नति को भी देखा होगा।

हर शिक्षित व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह समाज का अध्यापक है और समाज का उसपर पैदाइशी हक़ है। अगर वह यह महसूस करे कि उसका हर क़दम आनेवाली पीढ़ी के लिए एक सबक है, बननेवाले इतिहास का एक पृष्ठ है, तो समाज की उन्नति की हर एक सीढ़ी उसके द्वारा तैयार की हुई समझी जा सकेगी। तब हम उस स्वर्ण दिवस को अपने बिलकुल निकट देख पाएँगे, जिस दिन शिक्षित समाज और जन-समुदाय एक ही भावना, एक ही विचारधारा और एक ही कल्पना से स्पंदित होंगे। वह दिन निश्चित ही महान होगा। आइये, हम सब मिलकर उस दिन को शीघ्रातिशीघ्र समीप लाने का अनवरत प्रयत्न करें।

17. समय का सदुपयोग

प्राय: यह देखा गया है कि लोग बेशक़ीमती चीज़ों का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करते हैं। उसपर यदि यह मालूम हो जाए कि अमुक वस्तु का प्राप्त होना दुर्लभ है, तो उसे और भी जतन से रखेंगे। जब कोई आदमी बेहिसाब पैसा ख़र्च करता है, तब हम कह सकते हैं कि वह पैसे का मूल्य नहीं जानता। पैसे हो कि नहीं, प्रत्येक वस्तु की, यहाँ तक कि हमारी अपनी आयु के दिनों की भी यही हालत है।

संसार में अक़लमंद अपनी चातुरी से अपनी ज़रूरत की हर चीज पैदा कर सकता है और हर तरह आराम की ज़िंदगी बसर कर सकता है। यह कौन नहीं जानता कि ज़िंदगी जैसे आराम

के लिए है, वैसे ही यश, धन, धाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी है। लेकिन ज़्यादा लोगों को मरते समय इस बात के लिए पछताते हुए देखा जाता है कि हाय, मैंने ज़िंदगी यों ही खो दी! ऐसा क्यों ?

जब हमारी आयु साठ या सत्तर वर्ष की है, तब हमें दस-बीस साल आराम क्यों नहीं करना चाहिए ?—कितने ही लोग इस प्रकार तर्क करते हैं। इस तर्क का हमारा इतना ही उत्तर है कि ख़र्च करते-करते ख़ज़ाना ख़ाली हो जाता है, क्षण-क्षण बिताते युग बीत जाता है।

हम देखते हैं कि अमुक की उम्र साठ साल की रही। साठ साल कुछ कम तो नहीं होते; परंतु मरने से थोड़ी पहले भी वह यही सोचता है कि दो मिनट और बचा रहता, तो कितना अच्छा होता! साठ साल की उम्र बिता दी, फिर भी दो मिनट के लिए रो रहा है! कैसे दयनीय अवस्था है!

समय कैसे चला जाता है? यह कइयों का सवाल है। अकसर लोग कहते हैं, कि हम तो समय का इतना सदुपयोग करते हैं, न कभी सुस्ताते हैं और गपशप ही करते हैं। फिर भी समय चला ही जाता है। आराम से बैठनें से या अन्य किसी काम से समय का दुरुपयोग नहीं होता। असल में समय का दुरुपयोग उसका मूल्य न समझकर बेकार कार्यों में ख़र्च करते रहनें से होता है।

काम करते समय या उसे आरंभ करते समय हमें सोचना चाहिए कि हम काम किस मतलब से कर रहे हैं। कई काम ऐसे होते हैं, जो अभ्यासवश हमें करने पड़ते हैं और हमारी ज़िंदगी से उनका ताल्लुक नहीं रहता। ऐसे कामों के करनें से—सिवाय समय की बरबादी के, प्रयोजन लेशमत्र भी नहीं होता।

जीवन लम्बी आयु से बना है, फिर भी उसका प्रत्येक मिनट मूल्य रखता है। क्योंकि रोज़ एक घंटे की हिसाब से बिताते रहें, तो पूरी ज़िन्दगी में क़रीबन दस-बारह साल बेकार ही जाते हैं। ये दस-बारह साल एक साथ बिताने पड़ें, तो हम हैरान होंगे; बल्कि रोज़ एक घंटे के हिसाब से हम अनजाने ही इस लम्बे अर्से को बिता डालते हैं। आखिर मरते समय हम एक-दो मिनट के लिए रोने और कलपने लगते हैं।

अतः हमेशा समय को, जो कभी पीछे नहीं लौटता, बचाकर आवश्यक तथा उपयोगी कार्यों में ही लगाने की आदत डालनी चाहिए। हमारे लिए आवश्यक काम हैं स्वास्थ्य रक्षा, जीविका, ज्ञान की वृद्धि, धार्मिक काम, परोपकार, मनोरंजन तथा श्रम के बराबर आवश्यक आराम आदि।

यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े-बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, धनी व कीर्तिशाली हुए हैं, वे समय के सदुपयोग से ही उस उच्चता को पहुंचे हैं। अतः इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं कि कोई भी आदमी समय का सदुपयोग करके

अपनी हैसियत, मान-सम्मान, दुनियादारी, जानकारी आदि को बढ़ा सकता है और गण्य-मान्य बन सकता है ।

18. विद्यार्थी जीवन

विद्या का अर्थ है किसी वस्तु के गुणों को अच्छी तरह जानना । जो लड़का विद्या प्राप्त करता है वह विद्यार्थी कहलाता है । विद्यार्थी वही है जो किसी चरित्रवान व्यक्ति से अच्छी बातों को सीखता है, सेवा का भाव हृदय में रखता है और उत्तम स्वभाववाला होता है । जो अहंकार में फूला रहता है, वह किसी मनुष्य से कुछ नहीं सीख सकता । विद्यार्थी को गुण लेने चाहिए, अवगुणों को छोड़ देना चाहिए । जो जितना ही विनम्र, आज्ञाकारी, स्थिर स्वभाव का है, वह उतना ही अधिक सीख सकता है । विद्यार्थी को शांत चित्त से अपने आचार्य के सदुपदेशों को सुनना चाहिए और खूब मनन करना चाहिए । अपने मन को संयमित और नियंत्रित रखना चाहिए । दिल और दिमाग को नयी चीज़ों की विशेषताओं को जानने के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए । उसे मेहनत-मशक्क़त से घबराना नहीं चाहिए और उसमें पढ़ने-लिखने के कार्य के प्रति निष्ठा और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए ।

विद्यार्थी के लिए सरलता और सादगी पर अधिक ध्यान देना बहुत ज़रूरी है । स्वच्छता और पवित्रता उसके जीवन में कूट-कूटकर भरी रहनी चाहिए । उसे स्वावलम्बी बनना भी

आवश्यक है। केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक श्रम भी करना चाहिए।

खुद भोजन बनाकर खाना, कपड़े खुद साफ़ करना, व्यायाम करना और नित्यप्रति अपने सबक याद करना उसका फ़र्ज़ होना चाहिए। विद्यार्थी को सबेरे साढ़े चार बजे बिस्तर छोड़कर दाँतों को खूब साफ़ करना चाहिए व स्नान करना चाहिए। कपड़े-लत्ते फ़ैशन की दृष्टि से न पहनने चाहिए, बल्कि शरीर का हिफ़ाज़त और सफ़ाई की दृष्टि से पहनने चाहिए।

जिस विद्यार्थी के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास है, उसकी तबीयत भी पढ़ने-लिखने में खूब लगती है। और वह दिन दूना रात चौगुना विकास करता जाता है। उसको देखकर 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' कहा जाता है।

जो विद्यार्थी अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करता है, उससे उसके खुद का, उसके समाज तथा देश का बड़ा उपकार होता है। दुनिया में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, वे विद्यार्थी जीवन में बड़े नियमित और संयमित रूप से रहते थे और महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ा करते थे। इससे उन्हें नयी प्रेरणाएँ और चेतनाएँ मिली हैं और वे आगे बढ़ सके हैं। हम महात्मा गांधी, विश्वकवि रवीन्द्र, कार्ल मार्क्स, मिलटन, न्यूटन आदि के विद्यार्थी-जीवन का पता लगाएँ, तो हमें सहज ही में मालूम हो जाएगा कि उनको आगे बढ़ानेवाला उनका विद्यार्थी-जीवन ही था। सच्चे विद्यार्थी समय का मूल्य जानते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं।

विद्यार्थी को केवल बुद्धिजीवी ही नहीं बनना चाहिए बल्कि साथ ही श्रमजीवी भी बनना चाहिए; तभी सोने में सुगंधि होगी। वरना विद्यार्थी का अध्ययन अपूर्ण और अपक्व ही रहेगा। उसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए ; कोई झिझक या हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि विद्यार्थी सच्चे और ईमानदार न हों, तो देश की तरक्की संभव नहीं है।

प्राचीन काल में एकलव्य नाम का एक आज्ञाकारी और सुशील विद्यार्थी था, जिसने गुरुदक्षिणा में अपने हाथ के अंगूठे को काटकर दे दिया और दिखला दिया कि गुरुभक्ति के आगे हमें किसी वस्तु का मोह न होना चाहिए; और यह भक्ति, प्रेम, शील, करुणा आदि आख़िर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? ये तो सत्संगति और मधुर स्वभाव तथा पवित्र आचरण के द्वारा ही आ सकते हैं। संस्कार का परिष्कार अभ्यास और उत्तम वातावरण से होता है। वातावरण स्वयं बनाया जाता है और अभ्यास भी धीरे-धीरे लगन के साथ काम करने पर बढ़ाया जा सकता है। इसलिए किसी भी विद्यार्थी को अपने जीवन की तक़लीफ़ों और झंझटों से ऊबना नहीं चाहिए, बल्कि उनके कारण ढूंढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। विद्यार्थी के हृदय में नये-नये कार्यों को करने की उमंग होनी चाहिए। नयी स्फूर्ति पैदा होती रहे, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। प्रकृति की सुन्दरता का निरीक्षण

करना और अपने जीवन तथा बाह्य जगत से परिचित होना विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है।

यदि कोई विद्यार्थी अपने जीवन की वास्तविक स्थितियों को नहीं पहचानता और दुनिया की बातों की जानकारी नहीं रखता और रात-दिन किताबी कीड़ा बनकर रहता हो, तो उससे न तो उसकी अपनी भलाई होगी, न राष्ट्र की ही। अस्तु, विद्यार्थी को हर स्थिति से परिचित होना है और उससे उचित फ़ायदा भी उठाना है।

विद्यार्थी का आदर्श आसमान की तरह ऊँचा होना चाहिए, सिद्धान्त हिमालय पहाड़ की तरह अटल रहना चाहिए ! हृदय के भाव समुद्र की तरह अनंत और गंभीर होने चाहिए। बड़ों के प्रति श्रद्धा, भक्ति तथा निष्ठा होनी चाहिए और उसे भेद-भाव को भूलकर अपने कर्तव्य में व्यस्त रहना चाहिए। उसे अपने पराये के पचड़े में न पड़कर सच्चा, आज्ञाकारी और सदाचारी बनना चाहिए।

19. पुस्तकों का आनंद

लोगों को यह कहते सुनते हैं कि भाई, मैंने अमुक पुस्तक पढ़ी, बड़ा आनन्द आया। कोई रामायण पर लट्टू है, तो कोई गीता पर। कोई गोर्की की 'माँ' पढ़कर अपनी खुशी जता रहा है, तो कोई प्रेमचन्द के 'गबन' पर एकदम फ़िदा हो गया है। हम देखते हैं कि कोई-कोई तो पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं, तो दुनियाँ की सुध ही भूल जाते हैं।

इसका कारण जाननें के लिए हमें यह जान लेना आवश्यक होगा कि पुस्तकें कैसे लिखी जाती हैं। पुस्तकें कई प्रकार की होती हैं ; कोई विज्ञान के बारे में है, तो किसीमें उपदेश भरे है। किसी में यात्रा सम्बन्धी बातें लिखी हैं, तो कोई क़िस्से कहानियों से ही भरी रहती है।

पुस्तकें आख़िर क्या हैं ? लिखनेवाला अपने मनोभाव, तर्कशंकित, देखी-सुनी बातें आदि को मिलाकर पुस्तकें तैयार करता है। तब हमें यह समझना चाहिए कि पुस्तकों में दिली-दुनिया बसी रहती है।

सबका दिल एक-सा नहीं होता। सब एक-सी बात पसंद नहीं करते। कोई चाहता है कि हमारी स्त्रियाँ आज भी सीता-सावित्री के समान रहें, उस ज़माने की जैसी पोशाक पहना करें और वैसे ही अपना आचार-व्यवहार रखा करें। इसके ख़िलाफ़ कोई नौजवान सोचता है कि हमारी सारी पुरानी बातें फूहड़ हैं, उन्हें एक दम छोड़ देना चाहिए, सबसे पहले हमारे महिलाओं को अप-टु-डेट बन जाना चाहिए।

जब हमारे भावों में ऐसा अंतर है, तो हम उन्हीं पुस्तकों को पसंद करेंगे, जिनमें हमारी पसंद के भाव भरे हैं। ऐसी पुस्तकें कहीं मिल गयीं तो हम उछल पड़ते हैं। तिसपर यदि किसीमें हमारे विचारों से ठीक मिलने-जुलनेवाली बातें पा गये तो बस, फिर क्या ? खाना-पीना भूलकर पहले उसे ख़तम करेंगे, तब दम लेंगे।

गाँवों में नाटक खेले जाते हैं। काफ़ी प्रेक्षक जमा रहते हैं ! उस समय तुम देख सकते हो, कभी-कभी लोग नटों का वेष-भूषा व बातों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि कुछ तो उनके साथ ही साथ अपने को भी भूलकर उछलने लगते हैं। पिछले दिनों तुमने देखा होगा—बंबई टॉकीस के 'बंधन' फ़िल्म के गानों से कुछ दर्शक ऐसे खुश हो गये कि यह भूलकर कि हम फ़िल्म देख रहे हैं चिल्लाने लगे "फिर एक बार ! फिर एक बार ! (Once more ! Once more !)।" वह नाटक तो था नहीं और गायक भी सामने न था कि फिर गाकर दर्शकों का मनोरंजन करता !

जिस तरह दृश्य देखकर उसपर लट्टू होना स्वाभाविक है, उसी तरह पढ़ने में तल्लीन व्यक्ति भी पढ़ते-पढ़ते उसीमें अपने को खो देता है। किसी तरह की अभिन्नता महसूस न करने की हालत को हम आनन्द कहते हैं—याने, सुख हो तो ऐसा हो कि जब तक उसमें लिप्त रहें, तब तक कोई दूसरा अनुभव ही न हो। ऐसी स्थिति आनन्ददायक कही जाती है। इसी तरह पुस्तकों में खो जाना, उनके पात्रों व घटनाओं के साथ-साथ अपने को बहते पाना और उस समय दुनिया की किसी अन्य बात का अनुभव न होना पुस्तकों का आनन्द कहा जाता है।

आप पूछ सकते हैं कि इससे फ़ायदा क्या है। पुस्तकों में तल्लीन हो जाने से हम अपनी चिंताओं को भूल सकते हैं, दुख-दर्दों से दूर रह सकते हैं। मन की उलझन से ही हमें दुख-दर्द व चिंताएँ होती हैं। कोई-कोई डाक्टर रोगियों को कहानी

सुनाते-सुनाते आपरेशन करते हैं ! डाक्टर के चले जाने के बाद ही रोगी को पता लगता है कि उसका आपरेशन हुआ है। इसकी वजह मन का दूसरी ओर अटके रहना ही है। इसी तरह दुनिया की चिंताओं से दूर रहने के लिए पुस्तकें पढ़ना उत्तम साधन है। उसमें ज्ञान का भंडार भरा है।

20. कर्तव्य

कर्तव्य वह वस्तु है जिसका पालन न करने से लोगों की दृष्टि से हम गिर जाते हैं। घर से ही हमारी कर्तव्य-शिक्षा शुरू होती है। घर में माता का पिता के प्रति, माता-पिता का लड़कों के प्रति, बच्चों का माँ-बाप के प्रति कर्तव्य बना रहता है।

घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और दूसरे लोगों के आपस के कर्तव्यों को देखते हैं। संसार में जिधर देखो कर्तव्य ही कर्तव्य भरा पड़ा है। इन सारे कर्तव्यों का पूरा-पूरा पालन करना ही हमारा धर्म है। वही हमारे जीवन की शोभा है।

हम सब के मन में ऐसी शक्ति है, जो हमें बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर प्रवृत्त करती है। कोई मनुष्य यदि कोई बुरा काम करता है, तो आप ही लजाता और दुखी होता है। तुमने देखा होगा कि लड़का यदि मिठाई चुरा ले, तो आप ही घबराता और पछताता है। इसके विपरीत कोई कभी ऐसा काम ही न करे, तो वह सदा प्रसन्न

रहता है और उसके मन में किसी बात का पछतावा भी नहीं होता। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि जब हम चोरी करते हैं, तब हमारी आत्मा हमें कोसती है और हमें पछतावा होता है। इसलिए यह अच्छा है कि हम बुरा काम न करें और सदा प्रसन्न रहें। यही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है।

धर्म-पालन में शुरू-शुरू में कष्ट बहुत होगा। लेकिन साहस नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हुआ जो तुम्हारा पड़ोसी ठगकर, झूट बोलकर पैसेवाला बन गया और तुम ग़रीब ही बने रहे? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी खुशामद से बड़ी नौकरियाँ पा लीं और तुम्हें कुछ न मिला? और क्या हुआ जो नीच कार्य करके सुखी बने हैं और हम सच्चाई का व्यवहार करके सदा कष्ट भोगते रहे? तुम्हें जो संतोष और आदर प्राप्त होगा, वह अन्य लोगों को न होगा। तुम्हारी आत्मा कभी किसी काम के लिए पछताएगी नहीं, बल्कि प्रसन्न ही होगा।

इसलिए यह बहुत ज़रूरी है की हम आत्मा की पुकार को समझें और कर्तव्य का पालन करें। संसार में कितने ही बड़े-बड़े लोग हो गये हैं, जिन्होंने संसार का उपकार किया है और बदले में आदर-सत्कार पाया है। इन सबनें अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है।

24. दहेज-प्रथा

ब्याह के समय लड़की की ओर से लड़के को कुछ रक़म अदा करने की प्रथा दहेज़-प्रथा कहलाती है। भारत के सामाजिक जीवन की कुछ बातें नरक बना रही हैं, यह दहेज प्रथा उनमें से प्रमुख है।

इस प्रथा का कोई क्रमिक तिहास नहीं बताया जा सकता। अनुमान और अनुभव से ही काम लिया जा सकता है— धर्मशास्त्रों में विवाह के समय कन्या-पक्ष की ओर से वर को कन्या के साथ-साथ कुछ संपत्ति दी जाने का भी विधान है। ईसाई और मुसलमान समाज में भी ऐसी ही प्रथा है। एक तरह से यह अच्छी बात है। विवाह के बाद दो नये प्राणी एक साथ मिलकर संसार-यात्रा करने लगते हैं। इसलिए दोनों के शुभेच्छु अपने आशीर्वाद के साथ कुछ लौकिक साधन भी दे देते हैं, ताकि उन्हें तक़लीफ़ न हो। धर्मशास्त्र में कन्यादान के साथ-साथ संपत्ति देने का जो विधान है, वह इसी मनोभावना का परिचायक है। लेकिन वह मनोभावना बहुत दिनों तक इसी रूप में न रह पायी। जातियों, उपजातियों व प्रांतों के अनुसार इसमें कई परिवर्तन हो गये। किसी उपजाति में लड़कियों की संख्या अधिक हो गयी, किसीमें लड़कों की। किसी प्रान्त में लड़के अधिक हैं, किसीमें लड़कियाँ। परिणाम यह हुआ कि जिस जाति या प्रांत में लड़कियों की संख्या अधिक हुई, वहाँ अधिक धन लड़के को देने की प्रथा चल पड़ी। यह इसलिए कि लड़की छाती का पीपल न बनकर अपने घर चली

जाए। अपने सिर की बला टालने और लड़की को सुखी रखने के लिए लोगों ने वर-पक्ष को अधिक से अधिक लोभ दिखाकर अपने कब्ज़े में करने की चेष्ठा की। यह हाल जहाँ लड़कियों की संख्या कम थी, वहाँ लड़केवालों का हुआ।

यह बात आज बढ़ते-बढ़ते इस रूप में आ गयी है, जो हमारे सामने है। आज ये दोनों बातें पायी जाती हैं। लेकिन लड़कीवालों की ओर से धन देने का सवाल ही अधिक देख पड़ता है, लड़केवाले कहीं-कहीं धन देते हैं।

दहेज़-प्रथा के इस रूप ने विवाह को आत्मिक और शारीरिक संबंध न मानकर एक सौदा बना दिया है। जिनके घर में अच्छा लड़का है वे उसके लिए अच्छी लड़की नहीं, अच्छी रक़म खोजते हैं। जिनके घर लड़का नहीं है, लेकिन उनका कुल अच्छा है या घर पर उलूकवाहिनी लक्ष्मी की कृपा है, उनकी नज़र भी मोटे आसामी को ढूँढ़ती है। परिणाम स्वरूप अच्छे जोड़े नहीं मिलते। बहुत लड़कियाँ कुँआरी रह जाती है। कई तो बूढ़ों और अयोग्यों के गले मढ़ी जातीं हैं; उससे अधिक करुणात्मक बात यह होती है कि बहुत-सी लड़कियाँ आत्महत्या करके अपना दुखद जीवन ही समाप्त कर लेती हैं। भारत के प्रायः सभी प्रांतों से इस तरह के समाचार मिलते हैं। बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दहेज़-प्रथा का नाशकारी, ताण्डव अधिक दीख पड़ता है। इस दहेज़-प्रथा के कारण जब अच्छे ज़ोड़े नहीं मिलते, तब उनकी संतति भी अच्छी नहीं होती, विधवाओं की संख्या बढ़ती है. कई तरह के दुराचार फैलते हैं।

जो दहेज की बलिवेदी पर अपना बलिदान दे चुकी हैं, उनकी पूरी संख्या एकत्रित की जाए, तो मोटी पोथी तैयार हो सकती है, जिसे पढ़कर पत्थर के कलेजे भी पिघले बिना नहीं रह सकते ।

केवल स्त्रियाँ ही इस प्रथा के परिणामस्वरूप परेशान नहीं होतीं, पुरुषों को भी योग्य पत्नियाँ नहीं मिलतीं । वे भी इसी तरह परेशान होते हैं ।

आज यह सिद्ध हो चुका है कि दहेज़-प्रथा के कारण अनेक युवतियाँ जिनके खेलने-खेलने के दिन हैं, जो संसार की मिट्टी पर सोने के महल खड़े कर सकती हैं; वीर माताएँ बनकर राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकती हैं, असमय में आत्महत्या करने के लिए विवश होती हैं । अनेक युवक योग्य पत्नी के अभाव में निकम्मे बन जाते हैं । फलतः योग्य संतति के अभाव में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाता ।

हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग इस प्रथा का समर्थन इसलिए करते हैं कि यह एक धार्मिक विधान है । वे यह भी सोचने की तक़लीफ़ नहीं उठाते कि मानव-समाज को धारण करनेवाली शक्ति का ही नाम धर्म है—वह सदा कल्याणकारी है । ऐसी कोई व्यवस्था धर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती, जिससे समाज और राष्ट्र का—मानव जाति का कल्याण नहीं होता है । इस प्रथा का धार्मिक रूप इतना ही है, जितना कि हमने ऊपर बताया है; जिस बात से किसीको आपत्ति नहीं हो सकती ।

यदि दहेज़ प्रथा न होती, तो हमारा समाज उन्नत होता, दांपत्य जीवन की विषमता भी इतनी तेज़ न होती। बूढ़ों को चार-चार विवाह करने का मौक़ा न मिलता, युवक और युवतियाँ अविवाहित न रहतीं। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रथा में फ़ौरन सुधार किया जाए। दहेज़ का सौदा न करके, जो प्रसन्नता के साथ जितना दे सके, उससे उतना ही ले लिया जाए। यदि सुधार न हो सके, तो इसे मिटा देने में भी किसी तरह की आनाकानी न होनी चाहिए। जब तक यह प्रथा इसी रूप में रहेगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता।

22. नाटक और समाज

नाटक और समाज का एक दूसरे से अटूट नाता है। जब तक नाटक समाज के सामने नहीं आता, यानें समाज के लोगों की आँखें उसको नहीं देखतीं, तब तक नाटक नहीं कहलाएगा। साहित्य का कोई दूसरा अंग समाज पर इस क़दर अवलंबित नहीं है। उपन्यास, कहानी, कविता वग़ैरह का समाज से इतना सीधा रिश्ता नहीं है, जितना कि नाटक का है। उपन्यास, कविता वग़ैरह श्रव्य काव्य हैं। मगर नाटक दृश्य काव्य है। उसका असर आँखों तथा कानों के द्वारा इनसान के दिल पर पड़ता है। नाटककार को अपने को कामयाब साबित करने के लिए सामयिक परिस्थितियों का सहारा लेना और अपने को उनमें भुला देना पड़ता है।

यह बात नाटक लिखनेवालों ने बहुत पहले से ही समझ ली थी। यही वज़ह है कि हमें नाटक के विकास का इतिहास समाज ही की बीती कहानी-सा लगता है। एक वह समय था, जब हमारा यह समाज सिर्फ़ मज़हबी उसूलों के आसरे पर ज़िन्दा था। समाज के भाग्य-विधातओं को उस वक़्त अपनी बातों तथा विचारों के प्रचार के लिए कई उपाय करनें पड़ते थे। जिस बात को समझना होता है, उसे लोगों के सामने सुन्दर ढंग से रखना, वाक़ई यह एक अनोखा और आश्चर्यजनक कार्य है। बस, फिर क्या था; कहानी आयी, रंगमंच बना, नट तैयार हुए और नाटक खेला गया। उसका प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि नाटक साहित्य का सबसे प्रभावशाली अंग साबित हुआ।

प्राचीन भारत में सबसे पहले धार्मिक सभा-सम्मेलनों के अवसर पर नाटक हुआ करते थे। रामलीला, स्वांग आदि के रूप में आज भी वे हमारे बीच में मौजूद हैं। धीरे-धीरे नाटक ने सामाजिक जीवन के अन्यान्य पहलुओं पर भी असर डालना शुरू किया।

बीच में कुछ दिन नाटक केवल शास्त्रीय ढंग का ही रहा। भले ही रामलीला, स्वांग आदि के रूप में सर्वसाधाराण के बीच में नाटक चला करते थे, फिर भी समाज के विचारवान वर्ग के लोगों के लिए वह एक साहित्यिक वस्तु हो गया। इसका यह तात्पर्य नहीं कि नाटक रंगमंच पर खेला जाना एकदम बंद हो गया। नाटक खेले जाते थे, किन्तु ऊँची श्रेणी

ही के लोग दर्शकों के रूप में हाज़िर होते थे। नाटक निम्न श्रेणी के विचारों से बहुत ऊपर उठा और नाटककार साहित्य और कला की खूबियों का ख़याल रखने पर मजबूर हुआ। नतीजा यह हुआ कि साधारण जनता कुछ देर के लिए नाटक से विमुख हुई। मगर, मध्यम युग में एक बार फिर नाटक का जनता के साथ नाता क़ायम हुआ; और पश्चिमी देशों में शेक्सपियर जैसे कलाकार इसके अगुआ रहे। तब से नाटक साहित्य उच्च भावों की रक्षा करते हुए साधारण जनता की ओर बढ़ता आया। यहाँ तक कि आज नाटक जनता के बिलकुल निकट की चीज़ बन गया है। सिनेमा के रूप में समाज के लाखों आदमियों पर उसका असर पड़ रहा है और समाज का दिल-बहलाव ही नहीं, बल्कि उसको बनाना-बिगाड़ना भी आज उसके हाथ में है।

नाटक का इतिहास हमें बतलाता है कि उसका रिश्ता जनता के साथ तीन तरह का रहा है। सबसे पहले मनोरंजन के रूप में उसका लोगों के साथ रिश्ता रहा। जनता ने हमेशा मनोरंजन के लिए ही नाटक देखा। बाक़ी विषय उसके लिए गौण रहे। आज भी प्रेक्षक केवल मनोरंजन के लिए नाटक-भवन में जाते हैं। मगर, नाटककार ने महसूस किया कि मनोरंजन के साथ-साथ और बातों की भी चर्चा हो सकती है। और तब एक दूसरे प्रकार का नाता नाटक का समाज के साथ हुआ। वह है धर्म, नीति व आदर्श के प्रचार का। ज़्यादातर पुराने नाटकों की सामग्री धर्म या नीति के क्षेत्रों से ही ली गयी

थी ; और अब तीसरा नाता शुरू हो गया। इब्सन, बर्नाड शा जैसे नाटककारों नें समाज की आलोचना की भावना को नाटक का विषय बनाकर नाटक और समाज का एक नया रिश्ता कायम किया है। समाज को आलोचना द्‌वारा उसमें सुधार की कोशिश अब शुरू हो गयी है। यही सबब है कि आज के नाटक बुद्‌धप्रधान और व्यंग्यात्मक हैं। उनका उद्‌देश्य ही समाज की वस्तुस्थिति को स्वीकार करके उसके मर्म पर चोट करना होता है। इतना ही नहीं, आज नाटक समाज से आगे बढ़ने लगा है। उसने राष्ट्रीय, अन्तर राष्ट्रीय और सार्वभौमिक समस्याओं को अपना विषय बनाया है। आज उसके हाथ में क्रांति के हथियार पहुँच गये हैं। आज नाटककार समाज का विरोधी, विद्रोही और क्राँति द्रष्टा है। वही समाज को प्रगति के पथ पर बढ़ा रहा है। इस तरह, जहाँ एक दिन नाटक धर्म नीति व आचार संबन्धी ख़्यालात के तंग दायरे में अपने को सीमित रखता आया था, वहाँ आज वह समाज में भावों और विचारों की क्रांति का बीज बोकर उसे विप्लव की ओर बढ़ने के लिए विवश कर रहा है। सारांश यह कि आज नाटक साहित्य के विभिन्न अंगों में सबसे अधिक प्रगतिशील और प्रभावशाली हो गया है।

समाज व्यक्तियों का समूह है। नाटक देखनेवाला हर व्यक्ति समाज का अंग होता है। इसलिए नाटक का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, वही समूचे समाज पर भी पड़ेगा। जो नाटक व्यक्ति के मूल भावों की अभिव्यंजना के द्‌वारा उसके

मनोविकारों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर निकलने का मौक़ा देता है और इस तरह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उसको सभ्य और सहनशील बनाकर आगे की तरफ़ बढ़ने की प्रेरणा देता है, वही समाज के साथ अपना अमिट व अटूट नाता रख सकेगा। उसीको समाज अपनी चीज़ मानेगा।

23. शहर का वर्णन—मदुरै

तमिलनाडु राज्य के बड़े शहरों में मदुरै का नंबर दूसरा है। राज्य का राजधानी मद्रास का पहला नंबर है और उसके बाद आता है मदुरै का। इसकी आबादी छः लाख से ज़्यादा है। यह शहर 'वैगै' नदी के किनारे बसा है।

मदुरै में कई मंदिर हैं जिनमें सबसे बड़ा मीनाक्षी का मंदिर है। यह मंदिर शहर के बीच में बना हुआ है और इसके चारों तरफ़ चार बड़े-बड़े परकोटे हैं। हर एक परकोटे के बीच में एक दरवाज़ा है और उसके ऊपर एक ऊँचा गोपुर। मंदिर के अंदर एक तालाब है, जिसका नाम है 'पोट्रामरै' याने 'सुनहला कमल'। इसका पानी काई के कारण हरा मालूम होता है। शाम और सबेरे इसमें कई ब्राह्मण पूजा-पाठ करते हैं। दर्शक इसमें नहाकर श्री मीनाक्षी और श्री सुन्दरेश्वर के दर्शन करते हैं। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसकी कारीगरी दक्षिण भारत की शिल्पकला का बढ़िया नमूना है।

मंदिर में बारहों महीने कोई न कोई त्योहार होता रहता है, जिसके कारण इस शहर का नाम 'त्योहारों का शहर' पड़

गया है। यात्रियों का ताँता दिन-रात लगा रहता है और शहर में काफ़ी चहल-पहल रहती है। यहाँ के त्योहारों में 'चैत्रोत्सव' सबसे बड़ा त्योहार है। उस वक्त यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के शहरों से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ जमा होते हैं और इसमें भाग लेते हैं।

इतिहास की दृष्टि से भी मदुरै बहुत मशहूर है। दक्षिण के सुप्रसिद्ध पांड्य राजाओं की राजधानी यही थी। इनका राज ईसा के पहले से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक जारी था। पांड्य राजा जैसे पराक्रमी थे, वैसे ही विद्या प्रेमी भी थे। इनके दरबार में तमिल के बड़े-बड़े विद्वान रहते थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे ग्रन्थ रचे हैं। इन्हीं राजाओं ने उस तमिल विद्यापीठ की स्थापना की, जो आज भी 'मदुरैत्तमिष्च्चंगम्' के नाम से मशहूर है।

यहाँ का राजमहल 'तिरुमलै नायक महल' आलीशान और सुन्दर है। आजकल इस महल में सरकारी कचहरियाँ हैं। मदुरै के देखने लायक़ स्थानों में यह भी एक है। शहर से कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसके बीच में एक सुन्दर बगीचा और मंडप हैं। मदुरै जानेवाले इसे भी अवश्य देखते हैं।

मदुरै व्यापार का बड़ा केन्द्र है। पुराने ज़माने में यहाँ के व्यापारी अपना माल यूनान (ग्रीस) और इटली तक पहुँचाते थे। यहाँ कपड़े की कई मिलें हैं, जिनमें हज़ारों लोग काम करते हैं। रेशम का भी यहाँ अच्छा धन्धा होता है।

राष्ट्रीय जागृति में भी मदुरै बहुत आगे है। बड़े-बड़े देश भक्तों ने यहाँ जन्म लिया था। श्री वैद्यनाथ अय्यर जिन्होंने श्री राजाजी के आशीर्वाद के साथ सर्वप्रथम हरिजनों के लिए मंदिर खुलवा दिया था—यहीं के थे। राष्ट्र-भाषा हिन्दी को बड़े प्रेम से यहाँ के लोगों ने अपनाया है।

मदुरै का नगर निगम बड़े उत्साह के साथ काम करता है। उसके यत्नों से शहर बहुत साफ़ और सुन्दर बन गया है। पानी का अच्छा इन्तज़ाम है और जगह-जगह पर जनता की सुविधा के लिए स्नानागार बने हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए अच्छी सरायें भी हैं।

24. वर्तमान शिक्षा का प्रभाव

इस समय देश में शिक्षा का प्रसार तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग अपने लड़कों और लड़कियों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेने लगे हैं। यद्यपि गाँवों में पाठशालाओं की संख्या संतोषजनक नहीं है, तो भी शहरों में स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। वर्तमान शिक्षा के कारण देश में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है। यह देश की प्रगति का शुभ चिन्ह है। भारतवर्ष में निरक्षरता को दूर करने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है।

वर्तमान शिक्षा के कारण लोगों के दृष्टकोण में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य पूरी तरह नहीं समझा गया है। बहुत लोग परीक्षा पास करना ही शिक्षा का ध्येय समझते हैं; पर यह ठीक नहीं है। हमारी राय में सच्ची

शिक्षा वही है, जिससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान शिक्षा में इस दिशा में विशेष उन्नति नहीं हुई है।

हमारे स्कूलों और कालेजों में शारीरिक उन्नति के लिए नाना प्रकार के खेल खेलाये जाते हैं। इन खेलों से बालक-बालिकाओं के शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल से उनका स्वास्थ्य भी सुधरता है। खेलों के कारण सामाजिकता भी बढ़ती जाती है। परन्तु साथ-साथ फ़ैशन की भी तरक़्क़ी हो रही है और जीवन अधिक पेचीदा बनता जा रहा है। 'टेनिस' के लिए अलग कपड़े चाहिए, फुटबाल के लिए अलग। इससे रहन-सहन ख़र्चीला बन जाता है।

विदेशी खेलों से शरीर में स्फूर्ति अवश्य आती है, लेकिन उनसे हमारे विद्यार्थियों में मेहनत करने की शक्ति नहीं बढ़ती। हमारे विद्यार्थी गेंद का बड़ा अच्छा निशान लगा लेते हैं, उसको दूर भी फेंक देते हैं। किन्तु जहाँ पर हाथ से कुछ करने का प्रश्न आता है, वहाँ वे मुँह ताकते रह जाते हैं। खेल के मैदान से बाहर आजकल के विद्यार्थी बहुत आलसी होते हैं। उनमें स्वावलंबन का अभाव है। विद्यार्थियों के मन में प्रायः अमीरी के भाव भर जाते हैं। वे घर के मामूली काम करने में भी लज्जित होते हैं।

आजकल के विद्यार्थी पहले के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक पुस्तकें पढ़ते हैं। फिर भी उनका ज्ञान कच्चा ही

रहता है। परीक्षा पास करना वे अध्ययन की इतिश्री समझते हैं। वे साल-भर आराम से गुजारकर परीक्षा के दिनों में रात-दिन एक करके स्वास्थ्य ख़राब कर लेते हैं। जो कुछ पढ़ते हैं, उसको परीक्षा-भवन में वमन कर लेते हैं। उनकी पढ़ाई उनके मन को परिपक्व व पुष्ट नहीं बनाती। इसलिए हिन्दुस्तान में मौलिकता का अभाव बना रहता है। हमारे देश में श्री जगदीश-चन्द्र बोस, श्री प्रफुल्लचन्द्र राय, सर सी. वी. रामन, राधाकृष्णन सरीखे इने-गिने ही हैं। यूरोप से हम विद्या का जो ऋण ले रहे हैं, उसको चुका नहीं रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमारी शिक्षा रुचिकर नहीं बनायी जाती और जो कुछ हमें पढ़ाया जाता है, उसका असली रूप में अभ्यास नहीं कराया जाता। हमारी उच्च शिक्षा विदेशी भाषा में होती है, इससे हम अपनी शिक्षा का लाभ देश के दूसरे लोगों को नहीं दे सकते। शिक्षित और अशिक्षित लोगों में अन्तर बढ़ता जाता है। इस कारण ज्ञान और क्रिया का भी विच्छेद हो जाता है। शिक्षित लोगों में ज्ञान है, तो जनता में क्रिया और शक्ति है। वे लोग हमारे ज्ञान का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकते, इसलिए मुल्क में काफ़ी तरक्की नहीं हो पाती।

वर्तमान शिक्षा में धर्म की ओर तो बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण हमारे नवयुवक भारतीय संस्कृति से भी अपरिचित रहते हैं। बहुत-से लोगों को रामायण और महाभारत की कथा भी नहीं मालूम है। वे भारतीय साहित्य को केवल दन्तकथा समझकर उससे अपरिचित रहते हैं। इससे

विद्यार्थियों में धर्म और ईश्वर के प्रति आदर नहीं रहता, उनमें राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति आदर नहीं रहता। इन बातों से स्पष्ट है कि हमारे नवयुवकों पर वर्तमान शिक्षा का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा है। इसलिए वर्तमान शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन को लाने की सख़्त ज़रूरत है।

25. स्त्री-शिक्षा

हर एक वस्तु के दो पहलू होते हैं—अच्छा और बुरा। यह बात स्त्री-शिक्षा में भी है। कुछ लोग स्त्री-शिक्षा के पक्ष में हैं, और कुछ लोग उसके विपक्ष में। स्त्री-शिक्षा में गुण अधिक हैं, दोष कम। स्त्रियों को शिक्षा देना हमारा परम धर्म है। क्योंकि अशिक्षित स्त्रियाँ माता का दायित्व ठीक तरह से नहीं सँभाल सकतीं। स्त्री-शिक्षा का सबसे पहला लाभ यह है कि उनका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है, वे कूपमंडूक नहीं बनी रहतीं। उनके संसार संबन्धी ज्ञान में वृद्धि होती है। उनमें प्रत्येक बात की हानि और लाभ का विचार करने का सामर्थ्य आ जाता है। जातीय जीवन और रीति-रिवाज़ों का वास्तविक तत्व समझने की योग्यता उनमें आ जाती है। शिक्षित स्त्रियाँ अन्ध-विश्वासों का शिकार नहीं बनतीं। संसार की प्रगति को जानकर पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ देश की उन्नति में सहायता दे सकती हैं और अपने शिक्षित पति के साथ विचार-विनिमय करके उनके कार्य में सहयोग दे सकती हैं।

शिक्षा के द्‌वारा स्त्रियों को ठीक-ठीक बातचीत करने की योग्यता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षित स्त्रियाँ हिसाब-किताब ठीक तरह से रख सकती हैं। गार्हस्थ्य शास्त्र की शिक्षा से घर को स्वच्छ और परिमार्जित रखना, सीना-पिरोना, बुनना-काढ़ना, कपड़ों की देखभाल करना, गाना-बजाना आदि सब बातें वे जान लेती हैं, जिनसे कि जीवन सरल और सुखमय बन सकता है। यदि वे अपने ज्ञान का सदुपयोग न करें, तो यह उनका दोष है न कि शिक्षा का।

स्त्री-शिक्षा का स्वास्थ्य से विशेष संबंध है। स्त्रियाँ घर की स्वामिनी होती हैं। बच्चों का तथा प्रायः सारे घर का स्वास्थ्य उनके हाथों में रहता है। हमारी बहुत-सी बीमारियाँ सफ़ाई के अभाव के कारण होती हैं। शिक्षित स्त्रियाँ रोगों से बचने के लिए आवश्यक साधनों का प्रयोग कर हमको बीमारियों से सुरक्षित रख सकती हैं। परिवार के लोगों के रोगग्रस्त हो जाने पर शिक्षित स्त्रियाँ साफ़ रहकर अपने बच्चों को भी साफ़ रख सकती हैं। वे स्वास्थ्य संबंधी सिद्‌धांतों के ज्ञान से अपने परिवारवालों को बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकती हैं। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा माता से ही मिलती है। शिक्षित माताएँ अपने बच्चों को अच्छे तरीक़े से शिक्षा दे सकती हैं। उन्हें शुरू से ही नियम-पालन का अभ्यास करवा सकती हैं तथा वे बुरी आदतों में न पड़ें, इसका भी ध्यान रख सकती हैं। इसके ख़िलाफ़ अपढ़ माताओं के बच्चे प्रायः छोटी उम्र से ही बुरी संगत में पड़ जाते हैं।

स्त्री-शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे अपने पैरों पर खड़ी रह सकती हैं। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षित स्त्रियाँ अपनी जीविका खुद चला सकती हैं। हमारे देश में कितनी ही स्त्रियाँ जवानी में ही विधवा हो जाती हैं। उस हालत में पति के बाद स्त्री की देख-भाल करनेवाले कोई नहीं होता। पति के बाद वे अपने नातेदारों को भार रूप मालूम होती हैं, और वे लोग उनसे बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं। उस हालत में अगर स्त्री शिक्षित हो, तो वह किसी पर भार रूप नहीं होती; बल्कि अपना और अपने आश्रितों का गुज़ारा स्वयं कर सकती हैं।

स्त्री-शिक्षा के कुछ दोष भी दिखाये जाते हैं; किन्तु वे दोष स्त्री-शिक्षा के नहीं, बल्कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के ही हैं। पुरुषों की शिक्षा में भी वे दोष पाये जाते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति के कारण स्त्रियाँ 'फैशन का गुलाम' बन जाती हैं। इसके कारण घर का ख़र्च बहुत बढ़ जाता है। वे बारीक सुन्दर और क़ीमती साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं, सादगी से नफ़रत करती हैं। वे सौंदर्य के स्वास्थ्य संबंधी स्वाभाविक साधनों को छोड़कर 'क्रीम', 'पाउडर' आदि कृत्रिम साधनों का प्रयोग करने लगती हैं। अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण वे विलायत की बातें अधिक जानती हैं, मगर अपने देश के बारे में बहुत कम जानती हैं।

शिक्षित स्त्रियाँ अपने हाथ से काम करना पसंद नहीं करतीं। नौकरों पर ही वे अधिकतर निर्भर रहने लगती हैं।

उनके व्यवहार में स्वाभाविकता नहीं रहतीं। सब बातें वे किताबों के आधार पर करती हैं। पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ अनपढ़ स्त्रियों से मेल-जोल रखना पसंद नहीं करतीं। वे एक नयी दुनिया में रहने लगती हैं। किताबों के संसार में रहते रहते वास्तविक संसार से वे बहुत दूर पहुँच जाती हैं और काल्पनिक जीवन व्यतीत करने लगती हैं।

लेकिन ये दोष सब शिक्षित स्त्रियों में नहीं पाये जाते। ऐसी भी कई पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ हैं, जो पुराने ज़माने की सीता, सावित्री के समान सादा जीवन और उच्च विचार रखती हैं। स्त्री-शिक्षा में कुछ त्रुटियों के होते हुए भी भारतवर्ष की स्त्रियों को शिक्षा देना देश के शुभचिंतकों का परम कर्तव्य है। उचित शिक्षा पाने से ही स्त्रियाँ शील और सदाचार संबंधी उच्च आदर्श को पूरा करती हुई, देश और जाति के लिए गौरव का विषय बन सकती हैं। इसलिए स्त्री-शिक्षा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

26. भ्रमण

नये देशों और नये लोगों को देखने जाना भ्रमण कहलाता है। भ्रमण के बिना शिक्षा पूरी नहीं होती। संसार विशाल है। संसार में एक से एक बढ़कर वस्तुएँ हैं। वे वस्तुएँ एक ही जगह नहीं होतीं। वे दुनिया में बिखरी हुई हैं। कोई कहीं है, कोई और कहीं। सबसे ऊँचा हिमालय पर्वत हिन्दुस्तान में है, तो अफ्रिका में घने जंगल हैं। उत्तरी अमेरिका में संसार

प्रसिद्ध नयागरा नदी का जलप्रपात है। संसार की सबसे बड़ी नदी अमेज़ान दक्षिणी अमेरिका में हैं। कहीं कहीं बारहों महीने ओस पड़ती है, तो कहीं सहारा के मरुस्थल हैं, जहाँ हज़ारों मील जानें पर भी पानी की एक बूँद भी नहीं मिलती। संसार में विचित्र-विचित्र मनुष्य रहते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है और कोई पीला। भारतवर्ष का ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, चीन का परकोटा आदि दुनिया में मशहूर हैं। इन सबको देखने का आनन्द वही लूट सकता है, जिसे भ्रमण करने का शौक़ हो। प्रत्यक्ष देखने से जो आनंद मिलेगा, वह पुस्तकों में दिये हुए वर्णन पढ़ने से नहीं मिल सकता।

भ्रमण से संसार के प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकते हैं। इसके अलावा, संसार मे रहनेवाली भिन्न-भिन्न जातियों के रहन-सहन, वेष-भूषा, आचार-विचार आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भ्रमण, के द्वारा भिन्न-भिन्न देशों तथा जातियों मनुष्यों से संपर्क होता है, उनसे विचार विनिमय होता है और उनके गुण-दोष परखने का अवसर मिलता है। इतिहास और समाज-शास्त्र (Sociology) के विद्यार्थियों के लिए ये बातें बड़े लाभ की है। भूगोल के विद्यार्थी भी भ्रमण से अपना पुस्तकीय ज्ञान पक्का कर सकते हैं। व्यापारियों को भ्रमण या यात्रा से बहुत लाभ होते हैं। वे अपनी आँखों से देख सकते हैं, और जान सकते हैं कि किस देश में कौन-सी चीज़ बनायी जाती है, वहाँ के बाजार की क्या दशा है, वहाँ के निवासियों की क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं। मान लीजिये कि कोई मद्रासी यात्रा के लिए

निकलता है—'हम्पी' के आसपास के दृश्यों को देखकर विजय नगर के राजाओं की वीरता का उसे स्मरण हो आता है और अपने मन में निश्चय कर लेता है कि मुझे भी उन राजाओं का अनुकरण करना चाहिए, देश के दुश्मनों को मार भगाना चाहिए। जब वह गंगा नदी को देखता है, तब आनन्द के मारे नाचने लगता है। हरिद्वार के पास गंगामाई के दर्शन कर वह अपना जन्म सफल मानता है। जब अयोध्या जाता है, तब रामायण की सारी कहानी उसे फिर याद आती है और भगवान रामचन्द्र की स्तुति करने लगता है। जब दिल्ली के पास हस्तिनापुर देखता है, तब कृष्ण के गीता के उपदेश उसके कानों में गूँजने लगते हैं। मथुरा-वृन्दावन को देखकर कृष्ण कन्हैया की लीलाएँ बरबस उसकी आँखों के सामने आ जाती है।

भ्रमण से हमारा ज्ञान विकसित होता है। दूसरे देशवालों को देखकर हम उनके अच्छे-अच्छे गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। भ्रमण-प्रवृत्ति के कारण ही कोलम्बस अमेरिका का पता लगा सका। भ्रमणशील लोगों के कारण ही नये-नये देशों का पता हमको मिलता है। भ्रमण न करनेवाले संकुचित वृत्ति के होते हैं। वे कूपमण्डूक के समान व्यवहार करते हैं। पुराने ज़माने में भी लोग यात्रा करते थे। सातवीं शताब्दी में चीन के ह्वेनसाँग नामक बौद्ध यात्री ने भारतवर्ष की यात्रा की थी। उत्तर भारत के लोग रामेश्वर (सेतु) के दर्शन के लिए दक्षिण की यात्रा करते थे और दक्षिण के लोग काशी, गया, प्रयाग आदि तीर्थस्थान जाया करते थे। उस समय लोग पैदल यात्रा करते थे,

पर आजकल रेल, मोटर, हवाई जहाज़ आदि के कारण यात्रा सुलभ हो गयी है।

यूरोप के लोग यात्रा की महिमा खूब जानते हैं। अध्ययन के बाद यात्रा किये बिना स्नातकों का ज्ञान कच्चा समझा जाता है। खुशी की बात है कि हमारे देश में भी भ्रमण लोकप्रिय बनता जा रहा है। लोग दल बाँधकर यात्रा के लिए निकलते हैं। भ्रमण की यह रुचि पाश्चात्य सभ्यता के संसर्ग का बल है। आशा है कि भविष्य में लोग भ्रमण की ओर अधिकाधिक ध्यान देंगे तथा इससे वास्तविक लाभ उठाकर अपना भी कल्याण करेंगे और साथ ही अपने देश का भी।

27. हिन्दू समाज

भारतवर्ष में अधिकांश जनसंख्या हिन्दू लोगों की है। हिन्दू लोग देश में सब जगह फैले हुए हैं। हिन्दुस्तान से हिन्दुओं का सम्बन्ध बहुत प्राचीन है। प्राचीनता और व्यापकता के कारण हिन्दू लोगों में नाना प्रकार की विचारधाराएँ और नाना प्रकार की प्रथाएँ वर्तमान हैं। इन विचारधाराओं और प्रथाओं में कुछ बातें ऐसी भी हैं, जो बहुत प्राचीन होते हुए भी बहुत उपयोगी हैं। और कुछ बातें ऐसी भी हैं, जो परिस्थितियों के बदल जाने से अब अनुपयोगी हो गयी हैं। बहुत-सी प्रथाएँ ऐसी भी हैं, जिनका असली रूप बदल गया और इस बदले हुए रूप में उनका सारा तत्व जाता रहा है। ऐसे प्राचीन समाज में कुछ त्रुटियों का होना अस्वाभाविक नहीं है। आधुनिक शिक्षा के

कारण इन त्रुटियों में कमी होती जा रही है। लेकिन पूरे तौर से इन त्रुटियों का निराकरण नहीं हुआ है। इन त्रुटियों में से कुछ का ज़िक्र यहाँ करते हैं।

हिन्दू समाज में अनेक जातियाँ और उपजातियाँ हैं। इससे हिन्दू लोगों में एकता के भाव का पूर्ण विकास नहीं होने पाता। कुछ जातियाँ अपने को दूसरी जातियों से उच्च समझती हैं। धर्म के नाम पर लोग दूसरों पर अत्याचार करते हैं। ऊँचे वर्ग का दुराचारी भी आदर पाता है। निम्नवर्ग का सदाचारी भी अपने वर्ण के कारण अपमानित होता है। खुशी की बात है कि शिक्षा प्रसार के साथ ये जात-पाँत के बन्धन अब ढीले होते जा रहे हैं। पर शादी आदि के मामलों में अब भी जात-पाँत का बहुत ख़्याल रखा जाता है। अपनी जाति के बाहर विवाह करने को लोग राज़ी नहीं होते फल इसका यह होता है कि बहुत बार इच्छा के विरुद्ध अयोग्य वरों को भी कन्याएँ देनी पड़ती हैं। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह की इस मुख्य प्रथा में बहुत त्रुटियाँ हैं। बाल विवाह और वृद्ध विवाह भी चल रहे हैं। यह समाज के लिए कलंक स्वरूप है। इनके सिवाय दहेज़ की प्रथा ऐसी है, जो कन्या के माता-पिता को सदा चिन्ता में डाले रखती है। लड़कियों के विवाहों पर जितना पैसा ख़र्च किया जाता है, उतना उनकी शिक्षा पर नहीं किया जाता। कहीं-कहीं तो विवाह बरबादी का कारण बन जाता है। लोग कर्ज़ा लेकर अपनी सारी जायदाद से हाथ धो बैठते हैं।

स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार होते हैं, उनमें 'पर्दा' मुख्य है। पर्दे की प्रथा उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। दक्षिण की बहनें इस बात में उत्तर की बहनों से खुशनसीब हैं। पर्दे से स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वे खुली हवा का लाभ उठा नहीं पातीं। घर में ही बंद रहने से कूपमंडूक की भाँति उनका ज्ञान भी संकुचित रह जाता है। इस बुरी हानिकारक प्रथा को बिलकुल उठा देना चाहिए।

हमारे देश में कई लाख साधु और फ़कीर हैं। वे आर्थिक दृष्टि से देश के लिए भार रूप हैं। हिन्दू लोग अन्ध-भक्ति के कारण निकम्मे साधुओं की पूजा करते हैं। साधु-लोग कुछ काम-धंधा तो करते नहीं। समाज को उन्हें खिलाना पड़ता है। आप किसी मेले में जाइये, वहाँ कितने साधुओं का जमघट देखने में आता है! उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएँगे कि किस प्रकार हिन्दू समाज इतने साधुओं को पाल रहा है। इन साधुओं को किसी न किसी उपयोगी काम में लगा देना चाहिए।

इस प्रकार हिन्दू समाज में छोटी-मोटी कुछ और बुराइयाँ भी हैं किन्तु बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समाज सुधारकों के प्रयत्न से और कुछ पश्चिमी सभ्यता के संपर्क से धीरे-धीरे ये बुराइयाँ दूर हो रही हैं। ईश्वर वह दिन जल्दी लाए, जब इन त्रुटियों का बिलकुल अन्त हो जाए। तभी हिन्दू समाज दुनिया में टिक सकता है। अगर हिन्दू समाज इस बीसवीं सदी में भी 'लकीर का फ़कीर' बना रहे, तो उसकी अंतिम घड़ी के आने में बहुत दिन नहीं लगेंगे।

28. प्राचीन और नवीन सभ्यता

प्राचीन और नवीन सभ्यता से साधारणतया पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का मतलब लिया जाता है। पश्चिमी सभ्यता का प्रतिनिधि आधुनिक यूरोप और अमेरिका कहा जा सकता है और पूर्वी सभ्यता का प्रतिनिधि भारत। इन दोनों सभ्यताओं में से कौन-सी श्रेष्ठ है, इसका विचार करने से पहले इन दोनों सभ्यताओं में क्या अन्तर है, इसपर दृष्टिपात करना बेहतर होगा।

प्राचीन सभ्यता में श्रद्धा, आदर और धार्मिक भावों की अधिकता पायी जाती है, तो आधुनिक सभ्यता में समानता; स्वतंत्रता, भ्रातुभाव तथा राष्ट्रीयता के भाव अधिक देखने में आते हैं। प्राचीन सभ्यता के उपासक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं माता-पिता को देवता समझो, बड़ों और बूढ़ों के पैर छुआ करो; राजा ईश्वर का अवतार है, अतः उसके सामने सिर झुकाओ, स्त्री के लिए पति परमेश्वर है; अतः उसकी उपासना करो। इसके विपरीत आधुनिक सभ्यता के उपासक कहते हैं कि मनुष्य मात्र में कोई भेदभाव नहीं, सब समान हैं, उनमें न कोई उच्च, न नीच; कोई पूज्य और कोई अपूज्य नहीं; राष्ट्र की उन्नति करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

प्राचीन सभ्यता का लक्ष्य जीवन में सादगी और आवश्यकताओं को कम कर लेना है। मगर आधुनिक सभ्यता का लक्ष्य आवश्यकताओं को बढ़ाना है। पुरातन सभ्यता के उपासक कहते हैं कि संसार मिथ्या है, दुनिया के कार्यों में फँसे रहना

मूर्खता है ; जन्म-मरण से मुक्ति पाने का यत्न करना मनुष्य मात्र का ध्येय होना चाहिए। परंतु आधुनिक सभ्यता के उपासक कहते हैं कि इस संसार को भूलो मत, यहाँ की आवश्यकताओं को बढ़ाओ, तभी तुम्हारा देश और समाज समृद्ध और सभ्य होगा। यदि पुरातन सभ्यता में आध्यात्मिकता का आधिक्य है, सांसारिक भावनाओं का अभाव है—तो आधुनिक सभ्यता प्रकृति की उपासिका है। वह विज्ञान द्वारा नित्य प्रकृति को वश करने के मार्ग ढूँढ़ती रहती है। जल, स्थल सबको उसने वश में कर लिया। अब वह आकाश पर भी अधिकार जमा रही है। उसने भाप और बिजली आदि असीम शक्तियों को वश में करके संसार की काया पलट दी है। पर अभी इस आधुनिक सभ्यता की दौड़ समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार वह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अग्रसर होती जा रही है। सांसारिक समृद्धि ही इस सभ्यता की कसौटी है।

सारांश यह कि पुरातन सभ्यता का ध्येय त्याग है और आधुनिक सभ्यता का लक्ष्य प्राप्ति है। प्राचीन सभ्यता में त्यागी का आदर था। पर आजकल उसीका आदर होता है, जिसके पास काफ़ी धन हो। प्राचीन सभ्यता में त्यागी और संन्यासी के सामने राजा भी सिर झुकाता था। आज अमीर दूसरों को तुच्छ समझता है। पुरातन सभ्यता नम्रता और सादगी का पाठ पढ़ाती है, तो आधुनिक सभ्यता आत्मसम्मान, समानता और आडंबर का उपदेश देती है।

इन दोनों सभ्यताओं में कौन-सी सभ्यता अच्छी है, यह प्रश्न बड़ा जटिल है, क्योंकि सभ्यता किसी कसौटी पर परखी नहीं जा सकती। उसमें देश, काल जातीय विचारों के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है। अगर भारत और एशिया के लोग प्राचीन सभ्यता के उपासक हैं, तो यूरोप और अमेरिका के लोग आधुनिक सभ्यता के उपासक हैं।

हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि जीवन में सच्ची शाँति अपनी सांसारिक आवश्यकताओं को बढ़ानें से नहीं मिल सकेगी। यूरोप के विद्वान भी अब कहने लगे हैं कि आधुनिक सभ्यता मनुष्यता को महानाश की ओर ले जा रही है। वे इस सभ्यता को एक रोग कहते हैं। महात्मा गांधीजी भी संसार को दिखा चुके हैं कि पाश्चात्य सभ्यता आसुरी है। वह एक न एक दिन दुनिया को निगल जाएगी। उस सभ्यता में सादा जीवन और उच्च विचार के लिए कोई गुँजाइश नहीं है; वह नारकीय है; उसमें दुनिया में गंदी होड़ पैदा होती है। इन कारणों से हमारी राय में प्राचीन सभ्यता ही वास्तव में अच्छी है। उसीको उच्च स्थान देना चाहिए।

29. स्वतंत्र भारत की समस्याएँ

हमारा देश परतंत्र था। पहले मुगल हुकूमत करते थे। बाद में अंग्रेज़ इसपर हुकूमत करने लगे। अंग्रेज़ों की नीति शुरू से आख़िर तक शोषण प्रधान रही। वे कभी भी इस देश के बाशिन्दे बनकर न रहे। हम हिन्दुस्तानियों को अपनी

यह गुलामी और उनकी यह नीति खलने लगी। हममें राष्ट्रीयता की भावना जागी। हम आज़ाद होना चाहते थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी थी। सारी दुनिया के इतिहास में यह अनोखी लड़ाई थी। दुनिया में अभी तक इस तरह के शांतिपूर्ण उपाय से किसी देश को आज़ादी नहीं मिली थी, संसार हिन्दुस्तान को देखकर दंग रह गया। क़रीब तीस साल की लड़ाई के बाद, भारतवर्ष 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज़ इस देश से हट गये। 26 ज़नवरी, 1950 को भारतवर्ष में प्रजातंत्रात्मक शासन कायम हुआ।

आज़ाद होने के बाद इस देश के सामने कई बड़ी-बड़ी समस्याएँ उपस्थित हुईं। उनमें सबसे बड़ी और पहली समस्या शरणार्थियों की थी। भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, पर उसे अपनी भौगोलिक एकता खोनी पड़ी। भारतवर्ष के दो टुकड़े हो गये—भारत तथा पाकिस्तान। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब तथा सिन्ध पाकिस्तान में मिले। इस प्रकार भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे अलग होकर पाकिस्तान के नाम से नया राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान पर मुसलमानों का आधिपत्य हुआ। पाकिस्तान के इलाक़ों में ज़मीन के मालिक ज़्यादातर हिन्दू थे। पर पाकिस्तान के अगुआ मुसलमान हिन्दुओं को अपनी ज़मीन छोड़कर भारत चले जाने के लिए लाचार कर रहे थे। देश के बंटवारे के साथ आबादी की बदलौवल का सवाल सामने आया और उसके लिए यह हल सुझाया गया कि

पाकिस्तान के सभी हिन्दू भारत में भेजे जाएँ और भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान में। आबादी की यह बदलौवल आसान नहीं थी। फिर भी यदि शांति से काम लिया जाता, तो आसान हो जाता। लेकिन बात उलटी हो गयी। पाकिस्तान के मुसलमान हिन्दुओं को वहाँ से ज़बर्दस्ती हटाने लगे। भारत में भी मुसलमानों को पाकिस्तान में ढकेलने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन गांधीजी के प्रभाव के कारण यह कार्य नहीं हो पाया। अधिकतर पीड़ित हिन्दू लोग ही पाकिस्तान से भारत में आये। सरकार के सामने यह समस्या उठ खड़ी हुई कि इन निर्वासित हिन्दुओं को कैसे बसाया जाए। भारत सरकार ने शरणार्थियों को बसाने तथा उन्हें आराम पहुँचाने का भरसक प्रयत्न किया। शरणार्थियों के लिए कई सुविधाएँ दी गयीं काफ़ी रुपये ख़र्च किये गये। फिर भी शरणार्थियों की यह समस्या पूर्ण रूप से हल न हो पायी।

अंग्रेज़ों के ज़माने में भारतवर्ष में देशी राज्य स्वतन्त्र थे। ब्रिटिश राज्य ने भारत को कई टुकड़ों में बाँटा था। स्वर्गीय सरदार पटेल ने अपनी साहसपूर्ण नीति से अधिकांश देशी राज्यों को भारत में मिला लिया। हैदराबाद तथा काश्मीर की समस्या आसानी से सुलझ न सकी। हैदराबाद की रिआया ज़्यादातर हिन्दू हैं, पर निज़ाम मुसलमान। निज़ाम हिन्दुओं पर अत्याचार करते थे। भारत सरकार ने निज़ाम को समझाया कि वे हिन्दुओं के साथ भाईचारे का बर्ताव करें। लेकिन निज़ाम पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत सरकार की

सलाह पर ध्यान न दिया। आख़िर, भारत सरकार को बाध्य होकर सेना की सहायता से हैदराबाद को अपने अधीन करना पड़ा। हैदराबाद पाकिस्तान के साथ मिल जाता, तो भारत कमज़ोर हो जाता। हैदराबाद की फतह से भारत को राजनैतिक और आर्थिक बल मिला।

काश्मीर की समस्या हैदराबाद से भिन्न है। काश्मीर का राजा हिन्दू है, पर वहाँ की आबादी में 90 प्रतिशत मुसलमान हैं। काश्मीर की आम जनता, काश्मीर की सरकार तथा वहाँ के नेता भारत से मिलकर रहने के पक्ष में हैं। पर पाकिस्तान की आँखें आरंभ से ही काश्मीर पर लगी हैं। पाकिस्तानियों ने काश्मीर पर हमला किया। काश्मीर का एक छोटा-सा टुकड़ा अब भी पाकिस्तानियों के हाथ में है; इसे पाकिस्तानी 'अज़ाद-काश्मीर' कहते हैं।

काश्मीर और जम्मु की समस्या पहले अन्तर राष्ट्रीय समस्या बनी। तब, संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि काश्मीर की राजनैतिक स्थिति अपनी अहमियत रखती है। अगर काश्मीर पाकिस्तान के हाथ में चला जाए, तो भारत को सदा विदेशी आक्रमण की आशंका बनी रहेगी।

आज़ादी के बाद भारत को आर्थिक संकट का भी मुक़ाबला करना पड़ा। भारतवर्ष के दो टुकड़े हो जाने के बाद भारत की आबादी बढ़ी, पर उपज कम हुई। देश में समय पर पानी न बरसा। पैदावार कम हो गयी। सिंचाई की समुचित

व्यवस्था न हो सकी। अन्न की समस्या अलग थी। सारे भारतवर्ष में खाद्य सामग्री के अभाव से हाहाकार मच गया। भारत सरकार ने विदेशों से अन्न मँगाया। अमेरिका तथा केनड़ा से गेहूँ मँगाया गया। फिर भी अन्न की यह कमी पूरी न हो सकी।

भारत सरकार ने अन्न की कमी को दूर करने तथा सिंचाई के द्वारा उसकी पैदावार को बढ़ाने की योग्य व्यवस्था करने के लिए 'सिन्द्री खाद फ़ैक्टरी' शुरू की। खाद और पानी की कमी को दूर करने तथा बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनानें के लिए सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा बड़ी कोशिश की जा रही है।

आज़ादी पाने के बाद भारत के सामनें एक बड़ा सवाल यह रहा कि उसकी वैदेशिक नीति क्या हो। आज का संसार मुख्यत: दो दलों में बँटा हुआ है—एक का अगुआ अमेरिका है, जिसे पूँजीवादी कह सकते हैं और दूसरे का नेता रूस है, जिसे साम्यवादी कह सकते हैं। भारत इन दोनों ही देशों का पिछलगुआ नहीं रहना चाहता। भारत की वैदेशिक नीति सदा स्वतंत्र रही है। भारत सदा सत्य के रास्ते पर चलनें-वाला है। वह रूस और अमेरिका दोनों का मित्र बनें रहना चाहता है। उसे किसीसे नफ़रत नहीं। भारत दोनों को प्रेम से जीतना चाहता है।

भारत के सामने निरक्षरता की भी समस्या है। यहाँ अधिकाँश लोग अपढ़ है। वे अविद्या के अन्धकार में हैं।

उनको साक्षर कैसे बनाए जाए, यह बड़ा प्रश्न है। आशा है, भारत की सभी समस्याएं एक-एक करके हल होती जाएंगी और निकट भविष्य में भारत दुनिया का सिरताज बनेगा।

30. अगर मैं भारतवर्ष का प्रधान मंत्री होता

कल्पना करना आसान है। कल्पना के अनुसार काम करना मुश्किल है। असली चीज़ के स्वाद का अनुभव मेहनती आदमी ही करते हैं। बिना परिश्रम के कोई कार्य साध्य नहीं होता।

थोड़ी देर के लिए मैं कल्पना कर लूंगा कि मैं भारत का प्रधान मन्त्री हूँ। तब मेरे सामनें समस्याएँ क्या-क्या होंगी, यह तो नहीं कह सकता। फ़िलहाल प्रचलित देशव्यापी समस्याओं में से कुछ समस्याओं को हल करने के लिए मैं क्या क्या करता, इसका थोड़ा-सा विवरण नीचे दिया है। पहले यह बताया है कि प्रधान मंत्री कौन बन सकता है और यह राज्य सूत्र किस-किसकी सहायाता से चलाता है। उसके बाद यदि मैं ही प्रधान मंत्री होता, तो क्या-क्या करता, उसे अपनें ढंग से सोचा और लिखा है।

आजकल के प्रधान मंत्री देश के शासक नहीं हैं। यह युग लोकतंत्र का है। अतः प्रधान मंत्री देश का सर्वप्रिय नेता ही होता है। उसकी शक्ति सीमित होती है। पुराने ज़माने के सम्राटों की तरह उसकी शक्ति असीम नहीं होती। वह वैज्ञानिक

नोट :—यह सन् 1945 में लिखा हुआ लेख है।

बन्धनों से बद्ध है। यह निश्चित दायरे से बाहर नहीं जा सकता। वह अपने प्रत्येक कार्य के लिए पार्लिमेंट (लोकसभा) के सामने ज़िम्मेदार रहता है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का ख्याल भी उसे रखना पड़ता है। इतना होते हुए भी प्रधान मंत्री की शक्ति ज़बरदस्त है। ख़ासकर मंत्रिमंडल की नीति का वही निर्धारण करता है। प्रधान मंत्री लोकसभा के बहुमत का मुख्य अगुआ होता है। अतः आम तौर पर प्रधान मंत्री की नीति ही अमल में लायी जाती है। इस कारण से देश की उन्नति तथा विकास प्रधान मंत्री के व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर रहते हैं।

अगर मैं प्रधान मंत्री होता, तो मेरी वैदेशिक नीति तटस्थता की होती। मैं दुनिया के किसी दल में शामिल न होता। आज दुनिया क़रीब-क़रीब दो भागों में बँटी हुई है। एक भाग का नेता अमेरिका है, जो पूँजीवादियों का सिरताज है तो दूसरे भाग का अगुआ रूस है। दोनों भागों की नीति अलग-अलग है और इन दोनों में काफ़ी अन्तर है। दोनों स्वार्थी हैं। निस्वार्थ भाव से ये लोग संसार का नेतृत्व नहीं कर सकते। रूस ने अपनी नीति को साम्यवाद के आवरण में छिपा रखा है। लेकिन भारत न पूँजीवादी बनना चाहता है, न साम्यवादी। भारत गांधीवादी है। गांधीजी के बताये हुए मार्ग पर हिन्दुस्तान को ले जाना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, संसार की गुटबंदियों से अलग रहे और रूसी ढंग के साम्यवाद का

मुक़ाबला करे तथा अमेरिका की 'शोषण-नीति' का निर्भीकता के साथ विरोध करे। मैं जानता हूँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है और कंटकाकीर्ण भी।

इस युग में कोई देश दलबंदियों से अलग नहीं रह सकता। विश्व के देश कई बातों के लिए एक दूसरे पर अवलंबित हैं। कुछ देशों में, कच्चा माल ज़्यादा पैदा होता है। कुछ देशों में कल-कारख़ानों की अधिकता है। दूसरे देशों से कच्चा माल माँगकर ही कल-कारखाने चलाये जा सकते हैं। कोई देश दूसरे देश से कटकर अलग नहीं रह सकता। भारत देश इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं है। भारत कई बातों में स्वावलंबी नहीं है। भारत को अपने निर्माण के लिए, अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना है। विदेशों से नाता तोड़कर भारत अपना नव निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए सवाल उठ सकता है कि समय आने पर भारत संसार के किस गुट में सम्मिलित होगा, वह रूस से मिलेगा या अमेरिका से। मैं रूसी साम्यवाद से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि साम्यवाद भुखमरी को मिटाता है, पर वह होता है मानव को कुचलकर। रूसी लोग साम्यवादी राज्य रूपी मशीन के कल पुर्ज़े हैं। इसलिए भारतीय वातावरण रूसी ढंग के साम्यवाद के लिए उपयुक्त नहीं है। अमेरिका भी रूस से कम ख़तरनाक नहीं है। वह दुनिया-भर में अपना जाल फैलाकर सब देशों को फँसाना चाहता है। वह दूसरे देशों को ऐसा लूटता है कि लूटे जानेवाले को पता तक न लगे कि हम लुट रहे हैं। अमेरिका अपनी इस नीति से दूसरे

देशों को निर्वीर्य बना देना चाहता है। मसलन, काश्मीर के मामले को अमेरिका नें ही उलझन में डाल रखा था। इस कारण से भारत तथा पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है।

मैं चाहता हूँ कि काश्मीर को संयुक्त राष्ट्रसंघ के अखाड़े से जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए। आज भारत की स्थिति ऐसी नहीं कि वह तलवार के बल पर काश्मीर के प्रश्न का निपटारा कर सके। काश्मीर की समस्या अन्तरराष्ट्रीय समस्या हो गयी है और उसका निपटारा हिंसा के मार्ग से होना भारत के गौरव के लिए योग्य नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी वैदेशिक नीति को सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर ही बनाएँ। तभी हम भारत के प्राचीन गौरव के योग्य अपनें को समझने के हक़दार हो सकेंगे।

मैं प्रधान मंत्री होता, तो देश में अन्न तथा वस्त्र की समस्या को दूर करने का प्रयत्न पहले करता। देश में सिंचाई की उचित व्यवस्था करता। नदियों के पानी को बेकार समुद्र में नहीं जानें देता। मुख्य-मुख्य जगहों में बाँध (dam) बनवाकर पानी को रोक लेता और परती ज़मीन को उपजाऊ बनाता या बनाने में लोगों की मदद करता। खाद की उचित व्यवस्था करता। विदेशों से खाद न मँगाता और न रासायनिक तथा कृत्रिम खाद का ही इस्तेमाल करता। कृत्रिम खाद से ज़मीन की शक्ति क्षीण होती है। गोबर की खाद से ज़मीन जितनी उपजाऊ होती है, उतनी कृत्रिम खाद से नहीं होती।

भारत में पशुपालन तो होता ही है। अनेक तरह के पेड़-पौधों के पत्ते और गोबर आदि को ग्रामीणों के ज़रिये इकट्ठा करवाता और जितनी देश-भर में खेतीबारी के लिए आवश्यक है, उतनी खाद अपने ही देश के गाँवों में तैयार करवाता। इस तरह खेती करनेवालों को सुविधा कर देता कि वे अधिक अन्न पैदा भी करें और साथ ही ज़मीन ख़राब भी न हो। इस तरह एक दो वर्षों में ही देश से अन्न की कमी को दूर कर देता। कपास की उपज बढ़ाता। घर-घर चरखों तथा करघों का प्रवेश कराता और वस्त्रों की कमी को दूर कर देता। ज़मीन को बांटकर किसानों को ही ज़मीन का मालिक बना देता। मैं मुफ़्तख़ोरों को काहिल न रहने देता। मेरे देश में कोई सुस्त न रहता—दिमाग़ी या जिस्मानी मशक़्क़त करना सबके लिए लाज़िमी हो जाता। मैं भारतवासियों को चुस्त तथा कार्यदक्ष बनाता। वे झुककर नहीं, तनकर, गरदन उठाकर, छाती फुलाकर चलें—ऐसी स्थिति देश की कर दिखाता।

मैं प्रधान मंत्री होता, तो देश की कारोबारी भाषा उसीको बनाता, जिसे देश की आबादी का अधिकांश समझता हो।

31. हमारे यातायात के साधन

मनुष्य सामाजिक जीव है। वह अकेला नहीं रह सकता। लोगों से मिलकर वह अपना काम चलाता है। उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। इसलिए सवारी की आवश्यकता हुई। हम पहले पैदल यात्र

करते थे। पुराने ज़माने में सड़कें नहीं थीं। ज़्यादातर पगडंडियों द्वारा ही यात्रा करनी पड़ती थी। वह यात्रा ख़तरे से ख़ाली न थी। रास्ते में चोर-डाकुओं का हमेशा डर रहता था। कहीं जंगली जानवरों का भी सामना हो जाता था। इससे लोग दल बाँधकर ही यात्रा करते थे। पुराने समय में हमारी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं, आसपास के गाँवों की चीज़ों से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। इसलिए उस समय बहुत कम लोग गाँव से बाहर निकलते थे। यात्राएँ साधारणतया धार्मिक दृष्टि या व्यापार के ख्याल से ही की जाती थीं। काशी का निवासी धार्मिक भावना से रामेश्वर की यात्रा करता। तंजाऊर का निवासी पुण्य कमाने के इरादे से काशी, प्रयाग या हरद्वार की यात्रा करता। पूंपुहार (कावेरी-पूंपट्टिनम) का सौदागर व्यापार के ख्याल से उज्जैन जाता और घोड़े के व्यापार के लिए सिन्ध का आदमी अरब जाता। लोग काफ़िले या झुंड में बाहर निकलते और रात के समय किसी गाँव के पास अपना पड़ाव डालते।

धीरे-धीरे यातायात के साधनों में वृद्धि होने लगी। यातायात के साधनों का विकास मनुष्य जाति की उन्नति का प्रतीक माना जानें लगा। जब कि प्राचीन काल में हम जंगलों में रहते थे और असभ्य अवस्था में थे, तब पैदल यात्रा करने से भी डरते थे। आज हम सभ्य हो गये हैं। गाँवों, क़सबों और शहरों में रहते हैं। हवा में उड़ते हैं। पहले हमारा मस्तिष्क कुंचित था, हमारे विचार संकुचित थे, हम अज्ञानी थे। अब

हमारा दायरा बहुत विस्तृत हो गया है। इसलिए यह ज़रूरी हो गया है कि अब हम अपने विकास के लिए बाहर के लोगों के संपर्क में आएँ, उनके विचारों से परिचित हों। दूसरों के संपर्क में आने से हमें अपने गुणों तथा अवगुणों का दूसरों के गुणों तथा अवगुणों से मिलान करके देखने का मौका मिलता है। बन्धे हुए विचारों में विकास नहीं होता। बहता पानी स्वच्छ रहता है—बहते विचार सदैव उत्तरोत्तर स्वच्छ तथा विकसित होते रहते हैं। केवल अपने तक ही सीमित रहने से प्रगति रुक जाती है। इसके लिए अपने गाँव, अपने शहर, अपने राज्य तथा अपने देश के बाहर के लोगों के संपर्क में आना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यह यातायात की सुविधा से ही संभव है। यातायात की सुविधा से सांस्कृतिक उन्नति होती है और आर्थिक कठिनाइयाँ भी दूर होती हैं। यातायात के कारण ही कानपूर की अरहर की दाल मद्रास पहुँचती है, तंजाऊर का चावल दिल्ली पहुँचता है और कृष्णा ज़िले से रायलसीमा को आसानी से अन्न पहुँचाया जाता है। यातायात की सुविधा के कारण सांस्कृतिक समन्वय के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनायी जा सकती हैं।

प्रारंभिक युग में यात्रा पैदल होती थी। कुछ समय के बाद आदमी घोड़े पर सवारी करने लगा। उस समय आम तौर पर अमीर लोग ही घोड़े पर यात्रा करते थे। कालक्रम में बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ। बाद में धीरे-धीरे घोड़ागाड़ी बनी। घोड़ागाड़ी भी अमीरों का वाहन थी। रामायण से मालूम होता है कि रामायणकाल में लोग विमान द्वारा भी

यात्रा करते थे। पर यह विमान अमीरों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए ही था। ग़रीबों को तो हमेशा पैदल ही चलना पड़ता था। धीरे-धीरे सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता के साथ यातायात के साधनों का विकास हुआ। कुछ समय के बाद नाव का, फिर जहाज़ का भी आविष्कार हुआ। यात्रा तथा सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली जाने लगीं। फिर गाड़ी के लिए पक्की सड़कें बनवायी गयीं।

भारत में यातायात का विकास तेज़ी से हो रहा है। अब हम स्थलमार्ग, जलमार्ग और आकाशमार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। आजकल स्थल यात्रा का सबसे प्रमुख साधन रेल है। भारत में क़रीब साठ हज़ार किलो मीटर से भी अधिक लंबी रेलवे लाइनें हैं। वे देशा के एक भाग को दूसरे भागों से मिलाती हैं। उनके कारण देश के बड़े-बड़े शहर—कलकत्ता, बंबई, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ एवं दूसरे से संबंधित हैं। जंगल, पहाड़, नदी, नाले सबको पार करती हुई रेल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है।

रेल का कार्यक्रम कभी रुकता नहीं। पहले मनुष्य यात्रा से घबराता था, अब वह उसका प्रेमी हो गया है। पहले ऊबड़-खाबड़ सड़कें तथा पगडंडियाँ ही यात्रा के साधन थीं। अब पटरी पर रेलगाड़ी चलती है। यात्री रात-भर आराम से, गाड़ी में सोता हुआ, मज़े से आगे बढ़ता जाता है। वह रात को मद्रास में सोकर सवेरे विजयवाड़ा में जागता है। कैसा आश्चर्य है ! पुराने ज़माने में हफ़्तों यात्रा करने के बाद मनुष्य

कहीं मद्रास से विजयवाड़ा पहुँच सकता था। रेल के कारण अब हम कम से कम समय में, दूर से दूरतर स्थानों का भ्रमण कर आते हैं। रेल की यात्रा में समय कम लगता है, पैसा कम ख़र्च होता है, आराम अधिक मिलता है। इस यात्रा में न जंगली जानवरों का डर रहता है, न चोर डाकुओं का। हाँ, बड़े स्टेशनों पर कभी-कभी गिरहकटों से भेंट हो जाती है। आजकल रेलवे अधिकारी गिरहकटों तथा चोरों को स्टेशन के प्लैटफारम पर आने नहीं देते। हाँ, कभी-कभी रेलवे दुर्घटना हो जाती है, लोग मर भी जाते हैं।

कुछ जगहों में बिजली से चलनेवाली रेलें भी हैं। इन गाड़ियों में ज्यादा आराम रहता है। मद्रास में 'बीच' स्टेशन से विष्णुपुरम तक आप बिजली से चलनेवाली रेलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि विज्ञान ने यह क्या कर दिया है, किस तेज़ी से रेलें इधर से उधर चलती हैं! कभी-कभी भाप तथा बिजली से चलनेवाली रेलों में होड़ लग जाती है। आख़िर में जीत बिजलीवाली गाड़ी की होती है। रेल के आविष्कारक जार्ज स्टीवेन्सन को कोटिशः धन्यवाद हैं, जिसने रेल द्वारा मनुष्य के लिए यात्रा करना इतना सुगम बना दिया।

रेल के बाद मोटरगाड़ी की बारी आती है। वह भी थल पर चलनेवाली सवारी है। मोटरगाड़ी से हम दूर से दूरतर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मोटरगाड़ी की यात्रा महँगी होती है। यह ग़रीबों का वाहन नहीं है। धनी ही इसे ख़रीद सकते हैं।

हाँ, 'बस' में गरीब भी यात्रा कर सकते हैं। मोटरगाड़ी के अलावा साइकिल रिक्शा, आटो रिक्शा और टेंपो आदि भी स्थानीय यातायात के साधन हैं। साइकिल जनता का वाहन है। साइकिल से हम समय का बचाव कर सकते हैं। आजकल मद्रास, बेंगलूर जैसे बड़े शहरों में आटो रिक्शा और टैक्सी लोकप्रिय वाहन हो गये हैं। इन सभी वाहनों के लिए पक्की सड़कों की आवश्यकता होती है।

हमारे देश में गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी नदियों में नावें चलती हैं। यह जलमार्ग है। कावेरी तथा कृष्णा नदी की धारा तेज़ होने के कारण उनमें नावों के द्वारा यातायात कम होता है। नहरों तथा बड़ी बड़ी नदियों में छोटे छोटे स्टीमर भी चलते हैं। नावों के द्वारा व्यापार भी होता है। नेल्लूर ज़िले से मद्रास तक चावल तथा लकड़ी नाव के द्वारा ही ले आते हैं। आजकल नदियों का व्यापारिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। भारत सरकार अब समुद्री यात्रा के लिए उपयुक्त जहाज़ों को तैयार करने में प्रयत्नशील है और 'जल उषा', 'जल जवाहर' आदि जहाज़ बन भी चुके हैं।

अब हमारे देश में हवाई जहाज़ भी तैयार किये जा रहे हैं। अभी स्वतन्त्र भारत में हमारा पहला वायुयान तैयार हुआ। अब हमारे देश में भी बड़े बड़े वायुयान बनाये जा रहे हैं। कल-कारख़ानों की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। अमेरिका से नयी नयी मशीनें मँगायी जा रही हैं। हम अमेरिका तथा यूरोप से इस कार्य में होड़ लगाना चाहते हैं।

हम भी अच्छी चीज़ें बनाएँगे। हमारा देश भी उन्नत होगा। आधुनिक विज्ञान की दौड़ में हम पीछे न रहेंगे। हम सबसे अव्वल रहने का प्रयत्न करेंगे। हिम्मत न हारेंगे।

वायुयान आजकल सबसे द्रुतगामी वाहन है। उसके जरिये हमने समय तथा दूरी पर विजय प्राप्त कर ली हैं। मद्रास, हैदराबाद, नागपुर आदि कई प्रमुख शहरों में हवाई अड्डे क़ायम हो गये हैं तथा एक शहर से दूसरे शहर तक वायुयान सर्विस स्थापित हो गयी है। हवाई जहाज़ का किराया ज़्यादा है। यह जनता का वाहन नहीं है। जब हमारे देश में काफ़ी तादाद में वायुयान तैयार होने लगेंगे तब किराये में कुछ कमी होने की संभावना है।

हमने देखा कि रेल, मोटरगाड़ी और वायुयान के आविष्कार ने हमारे यातायात के साधनों में क्रांति पैदा कर दी है। आजकल के जलयान भी पहले की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। विज्ञान के चमत्कार के कारण विदेश की यात्रा सुलभ तथा सुगम हो गयी है।

यातायात के कारण अब दुनिया एक तथा अखण्ड हो गयी है। विशाल संसार वायुयान, जहाज़ तथा रेल के कारण छोटा हो गया है। विश्व का कोई भी प्रदेश आज एक दूसरे से दूर नहीं रह सकता। एक देश दूसरे पर आसानी से अपना प्रभाव डाल सकता है। आज हमारे देश में खाद्य सामग्री की कमी हो, तो अमेरिका से वायुयान या जहाज़ के द्वारा अन्न मँगाया जा सकता है। हमारे देश में बीमारी फैल रही हो,

तो इग्लैंड से दवा मँगाकर रोग दूर किया जा सकता है। अमेरिका या यूरोप में किसी घटना या क्रांति की लहर फैलते ही इसकी प्रतिक्रिया हमारे देश के सुदूर देहातों में भी होने लगती है।

यों क्रमशः यातायात के साधनों का विकास हुआ है— घोड़ागाड़ी, नाव, रेल, मोटर तथा अन्त में वायुयान। वाहनों के साधनों में विकास होने के साथ-साथ मनुष्य का भी विकास हुआ है। इस प्रकार मनुष्य के विकास में यातायात के साधनों का भी महत्वपूर्ण हाथ है।

22. हमारा शासन विधान

हमारा देश बहुत प्राचीन है। मुसलमानों के आक्रमण के पहले इस देश पर भारतवासी ही शासन करते थे। किन्तु दसवीं शताब्दी के लगभग कुछ आक्रमणकारी मुसलमान यहाँ आये। उनके पहले ही सातवीं सदी में कुछ मुसलमान फ़कीर सिन्धु तथा दक्षिण भारत के समुद्र तट पर आकर बस गये थे और वे प्रेम तथा भक्ति के द्‌वारा इसलाम की खूबियाँ यहाँ के लोगों को समझाते रहे। राज्य पर क़ब्ज़ा करने के इरादे से मुसलमानों का आगमन 10-वीं सदी के बाद ही हुआ। उनमें कुछ नेक थे, तो कुछ खूनी भी थे।

मुगल सलतनत के बाद अंग्रेज़ों का राज भारतवर्ष में क़ायम हुआ। अंग्रेज़ों ने यहाँ के निवासियों को निहत्था करके उन्हें गलाम बना दिया। उनकी स्वतंत्रता की भावना कुचल

डाली। लेकिन सब दिन बराबर नहीं जाते। रात के बाद दिन और अन्धकार के बाद प्रकाश का आना स्वाभाविक है। भारतवर्ष गुलामी के ज़ंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसे यह गुलामी असह्य मालूम होनें लगी। भारतवर्ष को दासता की शृंखलाओं से मुक्त क़रने के लिए ईश्वर ने अहिंसा के दूत गांधीजी को यहाँ भेजा। गांधीजी ने बिना तलवार के, बिना खून गिराये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी। यह विचित्र युद्ध था, दुनिया के लिए नया प्रयोग था। दुनिया आश्चर्य के साथ इस अनोखी लड़ाई को देखती रही। अन्त में गांधीजी की जीत हुई।

15 अगस्त सन् 1947 ई. को हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हुआ। अन्तर राष्ट्रीय परिस्थिति भी इस परिवर्तन के अनुकूल थी। अंग्रेज़ों ने देखा कि भारतीय जाग गये हैं और अब हमारा पैर इस देश में अधिक दिन नहीं टिक सकेगा। उनकी खूबी यह है कि वे समय के अनुकूल अपनें को परिवर्तित करने में आगा-पीछा नहीं करते। कहाँ वे भारतवर्ष के मालिक—शासक थे, कहाँ परिस्थिति को देखते ही यकायक भारतवर्ष का भला चाहनेवाले सलाहकार भी बन गये! उन्होंने नये भारत का विधान बनाने के लिए एक विधान सभा का संगठन किया। इस विधान सभा (Constituent Assembly) द्वारा एक संविधान तैयार हुआ, जो 26 जनवरी सन् 1950 ई. से हमारे देश में लागू है।

इस संविधान में कई विशेषताएं हैं। इसकी भूमिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न गणराज्य ऐलान किया गया है तथा

समस्त नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समता और बन्धुता की वृद्धि करने का दृढ़ संकल्प किया गया। भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता प्राप्त है। इस नये संविधान ने बेशक उन्नति की ओर एक बहुत बड़ा क़दम उठाया है। इस संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को विकास का समान मौका दिया गया है। इसने जात-पांत, उच्च-नीच, सवर्ण और छूत-अछूत का भेद मिटा दिया है। क़ानून की नज़र में सब बराबर हैं। यह हमारे संविधान की विशेषता है।

हम सब मनुष्य हैं। मानव होने के नाते हमें कुछ ईश्वर प्रदत्त अधिकार प्राप्त हैं। यह अधिकार मूल अधिकार (Fundamental Rights) कहलाते हैं। प्रत्येक प्रजातंत्र (लोकशाही) या गणतंत्र देश में इन अधिकारों की रक्षा करना संविधान का पहला उद्देश्य रहता है। अमेरिका तथा फ्रांस जैसे उन्नत देशों में इन अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की गयी और उनकी रक्षा का संतोषजनक इन्तज़ाम भी किया गया है। भारत के संविधान में भी सात मूल अधिकार दिये गये हैं :—

1. समता का अधिकार, 2. स्वातंत्र्य का अधिकार, 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4. धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार, 5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 6. संपत्ति का अधिकार, 7. संविधानिक उपचारों का अधिकार।

मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय (High Court) और उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) क़ायम हैं।

भारतवर्ष की आम जनता को अधिक सुखी बनाने के उद्देश्य से विधान में राज्य की नीति के संबंध में कुछ निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। इन उसूलों की बुनियाद नैतिकता है। इन निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा राज्य के कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि वे दिन रात, उठते बैठते, सोते-जागते, हमेशा जनता की भलाई का ही ध्यान रखें।

संविधान ने भारत को बालिग मताधिकार प्रदान किया है। इसके अनुसार 21 वर्ष के व्यक्ति को, चाहे वह मर्द हो या औरत, चुनाव में 'मत' देने का अधिकार प्राप्त है। परंपरा से विरासत में राज्य पानेवाले देशी राजाओं का ज़माना अब ख़तम हो गया है। अब कोई जन्म से राजा या शासक नहीं हो सकता। जनता के हितैषी तथा लोकप्रिय दक्ष व्यक्ति ही राज की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं।

अंग्रेज़ों ने रियासतों और प्रांतों के बीच एक बनावटी दीवार खड़ी कर दी थी। अंग्रेज़ों के आने के पहले से इस देश में अनेक छोटे तथा बड़े देशी राज्य थे, पर नये संविधान ने भारत में अब एकता क़ायम कर दी है। इसके अनुसार देशी राज्यों और प्रांतों को समान आर्थिक और राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी राष्ट्रीय एकता हिन्दुस्तान की तावरीख में पहले कभी नसीब नहीं हुई थी।

अब हमारे देश में केन्द्र तथा प्रांतों के अधिकारों का विस्तृत विभाजन किया गया है। कुछ समवर्ती अधिकार भी हैं,

जिनके आधार पर केन्द्र में संघ शासन और राज्यों में राजकीय शासन स्थापित हो चुके है । संघ शासन की सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में रहती है । राष्ट्रपति का चुनाव संसद (Parliament) के दोनों सदनों (Both the Houses) तथा रज्यों की विधान सभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है । संसद चाहे तो राष्ट्रपति को पदच्युत भी कर सकती है । संविधान में एक उप-राष्ट्रपति की भी गुंजाइश है । इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा पाँच वर्ष के लिए किया जाता है । राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रि-परिषद है । राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को चुनते हैं । लोक सभा में कई दलों के सदस्य होते हैं—कुछ कांग्रेसी, कुछ साम्यवादी, कुछ समाजवादी और कुछ स्वतंत्र दल के । इन दलों में जिसका बहुमत होता है, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधान मंत्री बनाते हैं । हमारे सर्व प्रथम प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू थे । प्रधान मंत्री की नियुक्ति के बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधान मंत्री की सिफ़ारिश से राष्ट्रपति करते हैं । मंत्रिमंडल अपने हर काम के लिए संसद के निम्न सदन (Lower House) के प्रति जिम्मेवार रहता है ।

संसद के दो सदन होते हैं—लोकसभा (Lower House—House of Commons) और राज्य सभा (Council of States) । लोकसभा के सदस्यों की संख्या 540 है । ये सभी सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों के मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं । इनका चुनाव हर पाँचवें वर्ष में होता है ।

पांच वर्ष के बाद फिर आम चुनाव होता है। राज्य सभा में 250 सदस्य होते हैं। इनमें 236 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। राज्यों के प्रतिनिधि केन्द्रीय तथा राजकीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा चुनें जाते हैं। राज्य-सभा एक 'स्थाई सदन' है जिसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल अलग हो जाते हैं।

राज्य (State) के प्रधान राज्यपाल (Governor) होते हैं। राज्यपाल पाँच वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। राष्ट्रपति उन्हें पाँच साल के अन्दर भी हटा सकते हैं। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल का प्रधान विधान सभा (Legislative Assembly) के बहुमतवाले दल का नेता होता है।

हमारे देश के अधिकांश राज्यों में व्यवस्थापिका के दो सदन हैं—विधान सभा (Legislative Assembly) और विधान परिषद (Legislative Council)। विधान सभा का निर्वाचन राज्य के इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के स्त्री और पुरुष मतदाताओं के द्वारा होता है। चुनाव का इलाक़ा—निर्वाचन क्षेत्र—आबादी के आधार पर निश्चित किया जाता है। विधान परिषद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका कार्यकाल निश्चित होता है, पर एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल परिषद से अलग होते रहते हैं। इस परिषद में राज्यपाल भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं।

प्रत्येक ज़िले में ज़िला न्यायालय होता है और प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय। केन्द्र में (दिल्ली में) एक उच्चतम न्यायालय है, जो सभी विवादास्पद मामलों का अंतिम फैसला करता है।

हमारा संविधान बड़े परिश्रम से बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण संविधान है। यह संविधान तभी सफल होगा, जब जनता का सक्रिय सहयोग शासन विधान को प्राप्त होगा।

कुछ लेखों की सूची

1. अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना । 2. आधुनिक नारी समाज पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव । 3. आधुनिक शिक्षा-प्रणाली भारतीय स्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। 4. आभूषणों से हानि और लाभ । 5. आमोद-प्रमोद का सर्वोत्तम साधन । 6. आवश्यकता आविष्कार की जननी है । 7. औद्योगिक शिक्षा का महत्व । 8. किसानों की वर्तमान समस्याएँ । 9. किसी जाति का साहित्य उसकी संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। 10. किसी जाति की उन्नति के साधन । 11. किसी देश की रक्षा के लिए सेना का महत्व । 12. किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन । 13. कृषि कर्म का महत्व । 14. गर्मी की छुट्टियों का कार्यक्रम । 15. ग्राम-सुधार । 16. ग्रामीण जीवन का आदर्श । 17. देश की उन्नति के लिए प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता । 18. भारत में यात्रा के विविध साधन । 19. युद्ध की उपयोगिता । 20. वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के गुण-दोष । 21. समाज-सेवा का आदर्श । 22. सौ वर्ष पहले का संसार । 23. सौ वर्ष के बाद का संसार । 24. हिन्दुओं के ह्रास के कारण । 25. यूरोपीय महायुद्ध । 26. दहेज़ के पक्ष व विपक्ष में बहस । 27. अस्त्र-शस्त्र हमारा हित करते हैं या अहित ? 28. अंग्रेजी सभ्यता से भारतवर्ष को लाभ है या हानि ? 29. धनवान-रोगी से स्वस्थ निर्धन अच्छा है । 30. अंग्रेज़ी व भारतीयों के समाजों का भेद । 31. हस्तकौशल या कारीगरी का महत्व । 32. खुले मैदान में पढ़ाई । 33. विज्ञान और मज़हब । 34. कृषि का पूँजीवालों के

हाथ में जाना भारत के लिए मंगलकारी नहीं है। 35. समाज की देश-काल के अनुरूप व्यवस्था। 36. वर्तमान संसार के आर्थिक और सामाजिक आन्दोलन। 37. आदर्श विश्वविद्यालय की कल्पना और उसके उद्देश्य। 38. पूँजीपतियों के नाश से ही संसार में शांति स्थापित हो सकती है। 39. देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के लिए राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। 40. विनोबा और भूदान-यज्ञ। 41. आधुनिक नारी। 42. सुनाम ही अमरता है। 43. सादा जीवन, उच्च आदर्श। 44. जनता का राज्य। 45. ग्राम-पंचायत। 46. विज्ञान की विजय। 47. सर्वोदय समाज। 48. मनुष्य और मशीन। 49. सहशिक्षा। 50. हमारे त्योहार।

तीसरा हिस्सा

TRANSLATION PASSAGES

एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना 'अनुवाद' कहलाता है। अनुवाद दो प्रकार का होता है— (1) 'भावानुवाद' (free translation), जिसमें मूल भाषा से लेकर उसे दूसरी भाषा में लिखते हैं। इसके लेखक को स्वतंत्रता रहती है। (2) शब्दानुवाद (literal translation), जिसमें प्रत्येक शब्द का अनुवाद करना पड़ता है। अनुवादक को दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मूल भाषा की बात उसी रूप में प्रकट नहीं हो सकती। फिर भी अनुवाद की भाषा, जहाँ तक हो सके, मुहावरेदार (idiomatic) होनी चाहिए। नमूनें के लिए हम यहाँ अंग्रेज़ी गद्य का एक अंश हिन्दी में अनुवाद करके दे रहे हैं।

A merchant who had several clerks, found that one of them was in the habit of coming late to the office. He warned him that his conduct would lead him into trouble, and told him that he had better mend his ways. The clerk replied that the fault was not his, but that of his watch, which did not keep good time. A few days afterwards, he was late again and the merchant said to him, "To-morrow either you or I will have something new." "What is that

Sir?" asked that man. Either you will have a new watch, or I shall have a new clerk", replied his master.

हिन्दी अनुवाद :—एक सौदागर को, जिसके यहाँ कई लिपिक थे, ज्ञात हुआ कि उनमें से एक की आदत कार्यालय में देर से आने की थी। उसने उसे यह सूचना दी कि तुम अपनी करनी से दुख में पड़ोगे, और यह भी कहा कि अच्छा हो यदि तुम अपनी आदत सुधार लो। लिपिक ने उत्तर दिया कि दोष मेरा नहीं, किंतु मेरी घड़ी का है, जो कि ठीक समय नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद जब वह फिर देर करके आया, तब सौदागर ने उससे कहा, "कल या तो तुमको कोई नयी चीज़ मिलेगी या मुझको।" उस आदमी ने पूछा, "महाशय, कौन-सी चीज़ है?" मालिक ने उत्तर दिया, "या तो तुम एक नयी घड़ी लोगे या मैं एक नया लिपिक रखूंगा।"

Passages for Translation

1. The Railways

The advantages, which railways have brought to India, or for the matter of that, to every country, are manifold. In the first place, travelling, which was costly, dangerous and difficult has been made quite cheap, easy, and comfortable. Then again the time required for going from one place to another has been considerably shortened. Moreover, railways have increased trade and commerce, and thus the material prosperity of the country. Railways have made possible the export and import of goods. But for railways, those things which were not produced in a place, but which were nevertheless essential, would not be avilable, or even if they were available, the cost would be high. Railways are of the utmost importance during famines. Corn and other foodstuffs are promptly carried by the railway, to famine-stricken areas, from places where there has been a suffcient crop, and relief is given to thousands of sufferers. Where there are no railways, people would have to die by thousands for want of timely aid. When there is an outbreak of war or rebellion or any serious disturbance in any part of the country, railways enable the swift transport of troops from different parts of the country to the affected area.

[**manifold** - अनेक रूप का ; **dangerous** - जोखिम से भरा; **comfortable** - आराम से पूर्ण, आनंददायक ; **material prosperity** - भौतिक संपत्ति ; **export** - निर्यात ; **import** - आयात ; **promptly** - शीघ्रता से ; **famine - stricken** - अकाल पीड़ित ; **relief** - राहत ; **sufferer** - पीड़ित ; **rebelion** - गदर, बलवा ; **troops** - फ़ौज, रिसाला]

2. The Cinema

The cinema has a high educative value. It is not possible for the people of one country to know the customs and manners and the general life of the people of another country, unless they go there or read about them in books. Moreover, it is only the educated section of the people, who can have this advantage. But, by means of films produced in one country, the cinema makes it possible to spread this knowedge amongst the masses of another country, whether educated or otherwise. As a means of spreading ideas, the cinema is highly valuable. Films dealing with economic or social problems can be produced and shown through the length and breadth of a country to enlighten the ignorant masses and thus bring about the uplift of the country. With all the good that the cinema might do, there is one evil for which it is responsible. Some films are not of a high moral tone. Such films, if shown, are likely to have a harmful effect upon the public mind,

particularly upon the minds of young boys and illiterate men. Government have, however, taken measures to counteract this evil by setting up a Board of Film Censor. The duty of this Board is to see which films are fit to be shown and which are not.

[value - महत्व ; customs - प्रथाएँ ; manners - रहन-सहन ; general life - सामान्य जीवन ; masses - जनता ; ideas- विचार, ख़यालात ; economic - आर्थिक ; social - सामाजिक ; problems - समस्याएँ ; uplift - उद्धार ; responsible - ज़िम्मेदार ; moral tone - नैतिक स्तर ; harmful - हानिकारक ; effect-प्रभाव, असर; Government-सरकार; counteract-रोक]

3. The Radio

The invention of the wireless is really something wonderful. It is nothing short of magic to be setting in one of the remotest villages of Tamilnadu State with a wireless receiving set and listening to broadcasts from different parts of the world. The wireless has proved to be a boon to humanity in various ways. In the first place, message from distant countries, which used to take a long time to reach their destination, now do so within the brief space of a few minutes. In voyages, the wireless is of immense value. Big ships now-a-days are equipped with broadcasting and receiving apparatus. In case of danger, distress-signals are sent out, and any ship

catching the signals hurries to the scene and helps the distressed. The popularity of the wireless at the present day, however is largely due to the facilities of recreation and entertainment of an evening. The wireless or the radio has slowly taken the place of the gramophone. First of all, because it is cheaper than the latter, and secondly, because new entertainment is provided every day, which is not possible in the case of the gramophone. We hear news, songs, concerts, comic pieces and lectures in the evening through the radio. The radio is a gift of science.

[Invention - आविष्कार ; wonderful - आश्चर्यंजनक - magic - जादू ; remotest - सुदूर ; boon - वरदान ; destination - ठिकाना ; voyage - जलयात्रा, समुद्रयात्रा ; equipped - सुसज्जित ; apparatus-औज़ार, सामग्री ; signal-संकेत, इशारा ; popularity-लोकप्रियता ; facilities - सुविधाएँ ; recreation - दिल बहलाव, मनोरंजन ; enjoyment - आनंद ; concert - राग-रंग ; comic - हँसाऊ ; gift - देन ; science - विज्ञान]

4. Newspapers

Newspapers are one of the signs of civilization. The more a country is educated, the greater is the demand for newspapers; for, an educated man is always eager to know what is going on in the world and this information he can have only through the medium of newspapers. The primary function of

a paper is to supply us with all sorts of news, local and foreign. It gives us information of what is going on in our own country and other parts of the world. It is only on account of newspapers, that we can closely follow the important and interesting events of the world and keep abreast of the times. As a matter of fact, a newspaper is a sort of contemporary history. The benefits of newspapers do not end here. By supplying information about the different parts of the world, they bring them into close touch with one another and tend to promote friendly feelings. A newspaper is also the best means of communication between the government of a country and its people. The rulers and the ruled make known their respective view-points through the medium of newspapers. The people can lay down their grievances in newspapers to the consideration of the government, and the government in its turn can communicate its own views to the people. Another advantage of a newrpaper is that it appeals to all classes of people, whether lawyers, politicians, doctors or students.

[sign - चिन्ह ; eager - उत्सुक ; information - जानकारी ; medium - माध्यम, जरिया ; local - स्थानीय ; contemporary - समकालीन ; close touch - घनिष्ठ संपर्क ; communication - पत्रव्यवहार ; ruler - शासक; ruled - शासित; view-point - दृष्टि

कोण, विचारधारा ; grievance - शिकायत ; for consideration - विचार के लिए ; politician - राजनीतिज्ञ]

5. Physical Exercise

Exercise of the body is as much a necessity as food. It is the one thing that enables us to preserve our health, which we all know, is one of the greatest blessings of life. Just as education develops all powers of the mind, physical exercise develops all the parts of the body. There being an intimate connection between the mind and the body, both require to be equally developed. Want of exercise brings disease and weakness. Sound health is necessary to keep the mind sound, and sound health can only be obtained by physical exercise.

Physical exercise then, is an absolute necessity. It enables one to ward off diseases. A constitution which has been made strong by exercise can successfully combat a disease. Such a man, if he falls ill, recovers sooner than one who does not do any exercise. He can bear more hardships and fatigue, has more enduring power and along with it, a strong mind. In short, a man who takes regular exercise is fitted in all ways to fight successfully against almost all the evils that human beings are subject to. But exercise should never be overdone. Just as it is not

prudent to neglect the body, so it is equally unwise to pay too much attention to the body, neglecting the development of the mind altogether. The development of both should proceed side by side.

[physical exercise-शारीरिक व्यायाम; necessity-जरूरत, आवश्यकता ; health - स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती ; blessing - वरदान, देन; powers of the mind-मानसिक शक्तियाँ ; develops-बढ़ाता है ; intimate connection - घनिष्ठ संबंध; equally - समान रूप से ; want - अभाव, कमी ; sound - चँगा ; necessary - जरूरी ; absolute necessity - सख़्त जरूरत ; to ward off - बचे रहना ; constitution - शरीर की रचना; successfully - सफलतापूर्वक ; to combat - सामना करना ; hardship - श्रम, कष्ट ; fatigue - थकावट ; prudence - बुद्धिमानी ; side by side - साथ-साथ, एक साथ]

6. Power of Steam

The great strides that the world has taken towards the development of industry and machinery are all due to the power of steam. It is the power of steam which has brought the distant parts of the world into close contact, which made it possible for one to go from place to place within the shortest possible time which has helped in the spread of knowledge through printing presses, and contributed immensely to the advancement of civilization and to the benefit and welfare of humanity. One cannot

but be struck with wonder to note what steam is capable of. In fact, everything in which power is necessary, can be effected by steam. Steam draws; raises, lowers, drains, drives, digs, cuts, spins, prints and does many other things. Steam, indeed, is of immense benefit to mankind. But for the discovery of the power of steam, it would not have been possible for man to enjoy the innumerable facilities and advantages that he does. Without steam, there would have been neither railways nor steamships, neither mills nor factories; in short, nothing which we see every day testifying the progress of civilization. With the development of science, steam is being gradually ousted by gas and electricity, but it should be remembered that at the bottom of all these, there is steam.

[stride - चाल, डग ; industry - उद्योग ; power - शक्ति ; printing press - छापाख़ाना, मुद्रणालय ; welfare - कल्याण ; to drain - नाली से बहाकर पानी निकालना ; innumerable - अनगिनत, असंख्य; facilities - सुविधाएँ ; advantages - फ़ायदे; लाभ ; progress - उन्नति, तरक्की ; to testify - प्रमाण देना; gradually - धीरे-धीरे ; to oust - निकाल देना, अधिकार छीन लेना ; gas - गैस ; electricity - बिजली ; bottom - नीचे आधार पर]

7. Debating Societies

A debating society is useful in many ways. It is the place, where students can apply their knowledge to practical things and develop their thinking and reasoning faculties. It is here that they learn to speak and argue. The powers of independent thinking and effectual speaking and arguing do not increase and develop, unless they are brought into play. A debating society offers facilities for the exercise of these powers and helps students to become good speakers and successful debaters. These powers are very useful in public life, and debating societies make it possible for students to acquire them. Next, a debating society widens the range of knowledge and the power of close examination. A keen desire to win in a debate leads one to refer to various things outside one's ordinary sphere, and to find out by thorough study points in support of what he wants to state. In this way, one learns many new things with which one was upto that time quite unfamiliar. Further, a debating society helps a person to get rid of many wrong ideas, due to too high a notion of his own intellect. By obtaining an opportunity to discuss the subject on which he holds wrong views and by hearing the argument of others, he is convinced of his mistakes and corrects himself.

Debates between two parties should always be conducted in the right spirit, that is to say, in a spirit of argument alone, without any feeling of bitterness.

[debating society-वाग्वर्धिनी सभा; practical-व्यावहारिक; to reason - तर्क करना; to argue-बहस करना, दलीलें पेश करना; faculties - शक्तियाँ, independent thinking - स्वतंत्र विचार; debater - बहस करनेवाला; public life-सार्वजनिक जीवन; keen desire - उत्कट इच्छा; sphere - कार्यक्षेत्र; support - समर्थन; unfamiliar - अपरिचित; wrong idea - गलत विचार; is convinced-विश्वास हो जाता है; corrects - दुरुस्त करता है]

8. Compulsory Military Training

Compulsory military training has many advantages. In the first place, under voluntary enlistment mostly, people from the lower ranks, who take up the military profession as a means of livelihood, are drawn into the army. But under conscription, that is under compulsory military training, men from high ranks become soldiers and the general standard of the army is raised. Secondly, conscription makes it possible for able bobied men of a country to be trained in the art of fighting, so that if a war breaks out, a large number of people can at once join in offering resistance to the enemy. To train up men only when it becomes necessary to add to the standing army, means waste of time and an increase

of the chances of defeat at the hands of the invader. Compulsory military training, therefore, makes a country comparatively safe from foreign invasion; for, rival nations do not so easily dare to make such attacks. The benefits of compulsory military training are evident in European countries.

Lastly, compulsory military training uplifts the national character by teaching discipline and other like qualities to the majority of the people.

Notwithstanding the advantages of compulsory military training, it has also its disadvantages. Compelling the people to undergo military training seriously interferes with the individual liberty of the people.

[compulsory military training - अनिवार्य सैनिक-शिक्षा; voluntary - स्वेच्छा से ; enlistment - भर्ती होना ; livelihood- जीविका ; higher ranks - ऊँचे दर्जे ; resistance-प्रतिरोध, विरोध; standing army-स्थायी सेना ; defeat- हार; invader - चढ़ाई करनेवाला, आक्रमणकारी; comparatively - अपेक्षाकृत; safe - सुरक्षित; invasion - चढ़ाई, आक्रमण, हमला ; rival - प्रतियोगी ; to dare - हिम्मत या साहस करना ; to meet - सामना करना ; evident-जाहिर, स्पष्ट, प्रकट; discipline-अनुशासन; interfere- दखल देना; individual - व्यक्तिगत]

9. Travelling

Going abroad to visit new lands and new people is travelling. It is a thing the advantages of which cannot be exaggerated. It is an essential part of education and without it no education can be considered to be complete. What we read in books in schools and colleges is at best theoretical knowledge. It is only travelling which gives us practical knowledge, so to say, of different people, their manners and customs, their mode of living, their language and dress, and many other things about them. Travelling widens the range of our knowledge and broadens our outlook. By bringing us into contact with other nations of the world and giving us first-hand knowledge about them, it helps us to remove the prejudices that one nation generally cherishes with regard to another. By observing the different and peculiar characteristics of foreign nations and by applying what is good in them to our own nationality, we can improve ourselves immensely. Travelling also contributes much to the sum total of human knowledge and helps in the advancement of civilization. It is not possible for every man to go to all parts of the world and know whatever is to be known about the different countries of the world and the different races which inhabit them. It is from the

accounts given to us by famous travellers that we derive knowledge of other countries, which would otherwise have remained unknown to us. Travellers who go to explore unknown regions and discover new regions contribute much to the advancement of civilization.

[theoretical-शास्त्रीय; practical-व्यावहारिक; manner-रहन-सहन; custom - रिवाज; mode - ढंग; dress - पोशाक; range - हद; outlook - दृष्टिकोण; prejudice - पक्षपात, वहम; advance - प्रगति ; race - जाति ; traveller - यात्री ; to explore - खोजना ; region - प्रदेश]

10. Female Education

It is an undisputed fact that mothers are makers of nations. The larger the number of good mother the stronger the nation. The reason for this is not far to seek. The first and earliest training that a man receives is when he is a child. Now, as a child, when his mind can be moulded in any manner one likes, he dwells for the most part in the company of his mother. Whatever the mother teaches him at that stage and whatever training she gives him then becomes deeply impressed upon his mind and find full development when he grows up into a man. To impart proper training to a child, the mother must know the value of character, the way in which it

can be developed and many other things necessary for the upbringing of a child. And how can all these things be expected of a mother who is not educated? It is education alone, which can teach her these things. Further, it is the woman who is the solace and comfort of a family. It is she who is her husband's best and most unselfish friend, who cheers him up in the midst of his troubles and difficulties, and who assists him in overcoming them. But can she be expected to discharge her functions to the satisfaction of her husband or have full sympathy with his aspirations, if she is illiterate? It is education which endows her with the power of fully appreciating these things and of being a true partner of her husband.

[female education-स्त्री शिक्षा ; undisputed-निर्विवाद; impress - जम जाना ; value of character - चरित्र का महत्व; solace-सांत्वना, मन बहलाव ; comfort - सुख, सुविधा; unselfish निस्स्वार्थ ; aspiration - अभिलाषा]

11. The Wheel of Mercy

When Ashok became a Buddhist, he turned over a new leaf as a man and as a ruler. His attitude towards men and animals was full of compassion. He treated all his subjects as his own children. No one was too low to approach him in person to claim and get common justice.

Once a poor ill-clad man ran towards the throne of justice. He complained that a rich man had cheated him by giving two pieces of silver instead of twenty for his mule. The rich man was summoned to the royal presence. He came riding on the mule. He told the emperor that he had only acted according to a written agreement between him and the owner of the mule. He produced the document wherein it was mentioned that the price of the animal was two silver pieces. The thumb-impression of the owner was in it. Moreover, the richman stated that the animal did not deserve even that amount, because it had a sore on its back. The emperor was puzzled. He decided, however, that the mule legally belonged to the rich man, because he had paid for it.

The poor man was sad with disappointment. The emperor, however, stopped the rich man, who was getting ready to depart. He questioned him how he could ride a mule. which had a sore on its back. His laws clearly laid down that cruelty to animals was a crime. The officers examined the back of the animal and found that there was indeed a bad sore. So the man was fined eighteen pieces of silver for his cruel treatment of the mule. The poor man was awarded the sum, which belonged to

him as the balance of the cost of the animal. The mule was led to the State Hospital for animals. It was well taken care of there. Thus the Wheel of Mercy went round in the days of yore.

[Wheel of Mercy - करुणा-चक्र ; attitude - भाव, रुख ; mule - खच्चर ; written agreement - लिखित इकरारनामा ; thumb impression - अंगूठे का निशान; moreover - अलावा इसके ; sore - घाव ; legally - क़ानून के अनुसार ; cruelty - निर्दयता; fine - जुर्माना; days of yore - पुराना जमाना]

12. Royal Road to Success

Hasan, a Muslim, was a slave under Gangu, a Brahmin in Delhi, who was known far and wide as an astrologer. The slave was all sincerity. He knew no grumbling or discontent. The master was immensely pleased with his devoted service. As a token of his appreciation, he gave him a gift of a piece of land. Hasan was full of gratitude.

One day, as Hasan was ploughing the field, the point of his plough struck against something hard. Full of curiosity, he dug into the earth. To his astonishment, he found a big copper vesseal containning gold. He gazed at it and thought for a while. The angel in him triumphed over the devil and he made up his mind to hand it over to the master from whom he had received the gift of the land. He

hastened to Gangu and placing the treasure trove at his feet, said: It is yours. I found it in your field.'

The Brahmin was struck with the honesty of his slave. He gave him some gold and made him a free man. He also prophesied that his honesty would one day raise him to the throne. Soon, the Sultan, coming to know of Hasan's worth and integrity, elevated him to a high position.

Hasan became the leader of the *amirs* in the Deccan in the days of Mohammad Tughlak. In course of time, he became the ruler of that province. As a mark of gratitude to his former master, he called himself Hasan Gangu, and his kingdom Bahmani kingdom. Thus, it was honesty, coupled with ability, that raised a slave to the throne.

[Royal road - राजमार्ग ; success - सफलता ; astro-loger - ज्योतिषी; sincerity - सच्चाई, ईमानदारी; grumbling- बड़बड़ाहट ; discontent - असन्तोष ; devoted service - सच्ची सेवा; gratitude - कृतज्ञता; point - नोक; curiosity - जिज्ञासा ; angel - फ़रिश्ता; treasure-trove - गड़ा हुआ धन; prophesied- भविष्यवाणी सुनायी; integrity-ईमानदारी; kingdom - सलतनत; ability - काबिलयत]

13. At the Altar of Religion

Guru Govind, the tenth Guru of the Sikhs, made up his mind to oppose the mighty Moghul Emperor, Aurangazeb, who had put an end to Teg Bahadur,

his father. He told his followers that he was going to worship the Goddess of freedom before beginning his campaign against the Moghuls. When all the Sikhs had gathered, the Guru came forward and declared that a human sacrifice had to be offered to the Goddess. He then demanded if any sikh was ready to die for his religion. The assembly was struck with awe. There was tense silence. Each member looked at the face of his neighbour. Suddenly a cry 'Victory to the Guru' was heard. It was shouted by Dayaram of Lahore who sprang forward.

The Guru blessed him and took him into the shrine. In a few minutes he emerged with his sword dripping with blood. He announced that the Mother desired to have another faithful follower as an offering. This time Dharmadas of Delhi came forward to give his life. There more Sikhs were taken in, one after another, to propitiate the Goddess. At last the Guru came out leading the five brave Sikhs, who had gladly offered their lives for their faith. He explained to the astonished assembly how he had simply tested their sincerity by demanding their lives. The five brave Sikhs became the chosen disciples and were called *Singhs* or lions. They inspired the others with their zeal and passion for

sacrifice. In course of time, all the Sikhs began to call themselves *Singhs*, expressing their readiness to fight for their religion. They became the *Khalsa* or the chosen people. All of them have certain distinguishing features. Thus each Sikh had *Kesa* or long hair, *Kangha* or comb, *Kachcha* or short drawers, *Kada* or iron bangle, and *Khadga* or daggar. They felt they were all holy warriors and vowed not to recognise any caste differences. Thus were the peaceful followers of Guru Nanak converted by Guru Govind Singh into a martial race determined to do any brave deed for the sake of their religion.

[altar - वेदी ; mighty - ज़बरदस्त ; campaign - जंग; लड़ाई; came forward - आगे बढ़ा ; sacrifice - बलिदान ; struck with awe - आश्चर्यचकित हो गया ; tense silence- बिलकुल ख़ामोशी; victory - विजय ; shrine - मंदिर ; emerged निकला ; dripping - टपकते ; to propitiate - प्रसन्न करना ; sincerity - सच्चाई ; passion - लगन ; distinguishing features - ख़ास विशेषताएँ ; warriors - लड़ाकू ; caste difference - जाति-भेद; martial race - लड़ाकू जाति]

14. The History of Kohinoor

Long long ago, there lived near the bed of the sacred Krishna river a poor peasant, who owned a small farm. Once, when he was ploughing the land,

he caught sight of a big and attractive diamond. He cleaned it by removing the mud on it. Then it shone brightly, an object of dazzling beauty. In accordance with the prevailing law, the peasant passed it on to his ruler. In course of time it found its way into the hands of Babar, the Moghul Monarch. He was mightily pleased with the rare gem and was quite proud to own it.

Years rolled on. In the reign of Aurangazeb, the last of the great Moghuls, a great French traveller, Trevernier, came to the royal palace. He saw the diamond preserved with great care. It was placed on a velvet cushion in a beautiful ivory box inlaid with gold. The foreigner was simply amazed at its sight. It was he who publicised far and wide the fact of its existence. He talked of its grandeur wherever he went during his extensive travels.

Aurangazeb passed away in 1707. In the reign of one of his successors, Nadir Shah of Persia swooped down on India. He plundered the city of Delhi and eagerly searched the palace for the coveted diamond. He could not get it. The courtiers refused to reveal to him the place where it was. At last he heavily bribed one of the servants and learnt from him that it was in the turban of the Moghul King.

Nadir Shah hit on a clever plan to obtain it. He sought the friendship of the vanquished ruler. The custom among the Mohammadans in those days was for two people to exchange their turbans, whenever they swore friendship. Following it, the Moghul King had to reluctantly part with his turban along with the diamond. Nadir Shah impatiently seized the turban and pulled out the precious stone. Spellbound by its marvellous beauty he exclaimed *Kohinoor*; which means 'a mountain of brilliance'. From that moment the diamond has come to be know by that significant name. Nadir Shah carried it with him as he travelled over mountain, valley and plain. When at last he reached Persia, he celebrated the acquisition of the precious gem by holding several pleasant functions.

His power passed into the hands of Afghans. After some time, Ranjit Singh, the mighty Sikh Chieftain, brought back Kohinoor to India. After his death, the English annexed the Punjab and gave away the costly diamond to Queen Victoria in 1850. She spent a large sum of money in cutting and polished it. Today it is the largest diamond belonging to the British crown. It is also one of the most famous of its kind in the world, weighing 103 carats. Its original weight was 900 carats.

Legend has it that if first belo nged to Karna, the hero of epic fame. It is a matter of legitimate pride to us, that it is a product of our Motherland.

[farm - खेत ; attractive - आकर्षक ; dazzling - चकाचौंध करनेवाला ; prevailing law - प्रचलित नियम ; royal palace - शाही महल ; velvet cushion - मख़मल की गद्दी ; inlaid - खचित ; grandeur - वैभव, शान ; successor - उत्तराधिकारी ; reign - शासन-काल ; swoo ped down-झपट्टा मारा ; coveted - अभिलाषि त ; courtiers - मुसाहब ; bribed-रिश्वत दी, मुट्ठी गरम की ; turban - पगड़ी ; to vanquish - हराना ; custom - प्रथा ; to make friendship - दोस्ती लगाना ; reluctantly - अनिच्छापूर्वक ; impatiently - आतुरता से ; marvellous - आश्चर्यपूर्ण ; brilliance - उज्ज्वलता; significant - उल्लेखनीय ; valley - घाटी ; chieftain - सरदार ; annexed - मिला दिया ; to polish - चिकना करना ; weight - वजन ; legitmate - जायज ; pride - अभिमान, घमंड; product - उपज]

15. Life in a School Hostel

Every school that lays claim to be a model one, must have a hostel attached to it. For, life in a hostel has certain definite advantages. The boarder in a hostel, feels himself to be more fully a part of his school, than a day-scholar is likely to do. The day-scholar is like a visitor who spends a few hours in the school. But the boarder is a member of the school-family, who spends almost the whole of his time in the school atmosphere.

The whole of the education imparted in a school is not confined to the class room. A very precious part of it consists in the training in social life given at school. In the majority of schools, such training can be given only in the hostels attached to them.

The members of a hostel develop a sort of community feeling. They forget the differences in their social status in life. They eat, play and study together. Thus there are greater opportunities in a hostel than in a day-school for students to cultivate the friendship of one another.

As all the members in a hostel are students, the juniors can seek the guidance and help of the seniors. They have plenty of opportunities for meeting together and having discussions on the subject that they study. All those that take part in such discussions really stand to gain by them.

Several members of the hostel may be studying in the same class. The presence of some intelligent and diligent students often create a very healthy spirit of rivalry among them. They vie with one another in trying to distinguish themselves in their studies, in their debating societies or in sports.

All these advantages can be found in the life of a hostel, only if supervised by a wise and competent warden, who can understand the spirit of the students and direct their energies into proper channels. The warden should exercise discipline without unduly curbing the freedom of the students.

There is no rose without thorns. Life in a hostel is not without its disadvantages. Very often students divide themselves into warring sections on trivial matters like the *menu* for a feast, and mar its joyous atmosphere. Grown up students sometimes lead innocent laps into bad ways.

Wise, tactful and symyathetic supervision can certainly remove all such defects. School-hostels if carefully conducted, will surely prove to be the training ground for future citizens.

[hostel - छात्रावास ; model - आदर्श ; sociale life-सामाजिक जीवन ; majority - अधिकाँश ; community feeling-एकता की भावना ; guidance - मार्गदर्शन ; rivalry - स्पर्धा ; competent - योग्य ; sympathetic - सहानुभूतिपूर्ण]

चौथा हिस्सा

नमूने का प्रश्न-पत्र

1. किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिये :—
   (अ) देश की रक्षा की समस्या ।
   (आ) विद्यार्थी जीवन का महत्व ।
   (इ) संगीत और चित्रकला ।
   (ई) किसी त्योहार का वर्णन ।

2. किसी एक पर निबन्ध लिखिये :—
   (अ) समय पर काम करना ।
   (आ) स्वच्छता ।
   (इ) डाक और तार-घर ।
   (ई) समुद्र तट पर परिभ्रमण ।

3. (अ) हर एक शब्द का दो भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग कीजिये—
   कर; मगर; और ।

   (आ) लिंग बदलिये :—
   भैंस, मोर, दूल्हा, बेगम ।

   (इ) शुद्ध कीजिये :—
   (1) घर का मालिक से रुपया पूछो ।

(2) लड़के रोटी खाया है।

(3) उसको तीन रानियां हैं।

(4) उन्होंने अपनी किताबें लायीं।

(5) मैं यहां आकर तीन साल हुए।

(6) वह लड़के ने पत्र लिखना चाहिए।

(ई) सूचना के अनुसार लिखिए:—

(1) राम को हिन्दी सीखना ज़रूरी है ('ज़रूरी' के बदले 'ज़रूरी' का इस्तेमाल कीजिये।)

(2) राजाजी के आने की बात सुनकर लड़के खुश हुए। ('खुश' के बदले 'खुशी' का इस्तेमाल कीजिए।)

4. (अ) किसी एक विषय पर तीस पंक्तियों का एक लेख लिखिये:—

(1) पुस्तकालय (2) स्त्री-शिक्षा (3) कल-कारख़ाने (4) समय का सदुपयोग (5) ग्रामवास और नगरवास (6) नदियों से लाभ (7) दीपावली (8) अपने देखे हुए किसी एक नाटक का वर्णन।

(आ) किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिये:—
भारत में स्त्री-शिक्षा; सत्संग; अपने अनुभव की एक रोचक घटना; पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता।

(इ) किसी एक विषय पर तीन पृष्ठों का एक लेख लिखिये :—

(1) वाग्वर्द्धिनी सभा ।

(2) समाज सेवा ।

(3) यात्रा से होनेवाले लाभ ।

(ई) हर एक शब्द का दो भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग कीजिये :—दो, पर, डाल ।

(उ) सूचना के अनुसार बदलिये :—

(1) तुम रोज़ कसरत करो । तुम तन्दुरुस्त बनोगे ।
(जोड़कर एक वाक्य बनाइये ।)

(2) मनुष्य हर्ष में सुख का और कष्ट में दुख का अनुभव करता हैं । ('सुख' के बदले 'सुखी' और 'दुख' के बदले 'दुखी' का प्रयोग कीजिये ।)

(3) तिलक देश-भक्त थे । वे बड़े विद्वान भी थे । (बल्कि का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को मिलाइये ।)

(4) किसान को खेती छोड़कर मज़दूरी बन जाना मंजूर नहीं था ।
('खेती' की जगह 'खेत' और 'मज़दूर' की चगह 'मज़दूरी' का प्रयोग कीजिये ।)

(ऊ) किसी एक विषय पर दो पृष्ठों का एक लेख लिखिये :—

(1) गांव का बाज़ार ।

(2) बरसात का एक दिन ।

(3) स्वावलंबन ।

(4) हिन्दू समाज में स्त्रियों का स्थान ।

(5) ग्रामोद्योगों की प्रदर्शनी ।

(6) बिजली के उपयोग ।

5. (अ) रूपरेखा देते हुए किसी एक पर मुहावरेदार हिन्दी में निबन्ध लिखिये :—

(1) समाज और नाटक (2) भारत को अंग्रेज़ी शासन की देन (3) द्वितीय पंचवर्षीय योजना (4) समाज सेवा (5) अनुशासन (6) पश्चिम और पूर्व की सभ्यताएँ ।

(आ) किसी एक विषय पर तीन पृष्ठों का एक लेख लिखिये :—

(1) अपनी पसंद का सिनेमा ।

(2) खेल-कूद का जलसा ।

(3) स्त्री-शिक्षा ।

(इ) वाच्य बदलिये :—

आदमी, वस्तु, नदी, तारा ।

(ई) वाच्य बदलिये :—

(1) धूप में मुझसे चला नहीं जाता ।

(2) लड़कों ने ज़मीन खोद डाली ।

Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras-17

SARAL HINDI VYAKARAN—Part III

Price: Rs. 3-30